राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का पांचवां दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सा. प्रशासन, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्योग, आयुर्वेद, विधि, विद्युत्, यातायात, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भगवानदास शास्त्री !

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, अजमेर के विरुद्ध शिकायतें

८८. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १-७-६८ को अजमेर नगर के अध्यापकों की ओर से सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र अथवा नोटिस प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अध्यापकों की मांगें अथवा शिकायतें क्या-क्या हैं ?

(२) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के विरुद्ध शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह): (१) दिनांक ९-७-६८ को प्राप्त नहीं हुए बल्कि अलग-अलग तारीखों को प्राप्त हुए जिनमें कई प्रार्थना-पत्र अजमेर इकाई के कर्मचारियों की वरिष्ठता के मानदण्ड में संशोधन, सेवा निवृत्ति नियमों में डिसप्लेस्ड एवं अन्य अध्यापक सेवा में असमानता, पुनर्गठन के पश्चात् भूतपूर्व अजमेर राज्य के भाषा शिक्षकों की वेतन शृंखलाओं के समीकरण व वरिष्ठता सूची में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन इत्यादि हैं।

(२) वरिष्ठता के लिये मानदण्डों के नियम दिनांक ९-५-६७ को राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिये गये थे। इन नियमों के अनुसार अपील-पत्रों पर विचार एवं निर्णयोपरान्त अन्तिम वरिष्ठता सूची विद्यालय निरीक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक १५-८-६७ को प्रकाशित कर दी गई। इस पर सचिव, जिला शिक्षक संघ, अजमेर ने अजमेर शिक्षकों

(श्री धीरसिंह)

की ओर से यह आपत्ति की है कि निर्धारित मानदण्ड में चयन-अचयन का जो भेद रखा गया है उसको हटा दिया जाय एवं सभी अध्यापकों को चयनित मानकर वरिष्ठता दी जावे। इस मानदण्ड को अन्तिम रूप देने से पूर्व विद्यालय निरीक्षक, अजमेर एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से शिक्षा विभाग तथा नियुक्ति विभाग से विचार-विमर्श कर लिया गया था एवं सभी ने एक मत दिया था। इस प्रकार पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् ही मानदण्ड में चयन अचयन का प्रावधान रखा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य आपत्तियां राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां। भूतपूर्व निरीक्षक के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें अनियमित नियुक्तियां आदि के सम्बन्ध में थीं, जिनकी जांच की जा रही हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप फर्मा रहे हैं कि सिंघल साहब के विरुद्ध जांच कर रहे हैं तो कौन वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं ?

श्री धीरसिंह : पहले इस बारे में उप-निदेशक का जवाब आ गया था कि जो मोटवाणी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी उसने लिखकर दे दिया है कि मैंने शिकायत नहीं की। अतः इसके बारे में आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हैं। हमने उस पर दुबारा लिखकर भेजा है कि आपके केवल इस एक व्यक्ति के बयान लेने से कार्यवाही पूरी नहीं होती है। आप इस बारे में और आगे इन्क्वायरी कर सूचित करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने श्री ओमप्रकाश सिंघल के विरुद्ध जिला, शिक्षक संघ, अजमेर और शिक्षक संघ, अजमेर ने जो शिकायतें की हैं उसमें जांच में देरी होने का क्या कारण है ?

श्री धीरसिंह : दो शिकायतें आई थीं—एक श्री मोटवाणी की ओर दूसरी सीतादेवी की। इनमें से मोटवाणी ने तो लिखकर दे दिया है कि उसने कोई शिकायत नहीं की फिर भी हमने दुबारा इन्क्वायरी करने का आदेश दिया है कि एवीडेन्स लेकर के पूरी रिपोर्ट भेजें।

सीतादेवी की यह शिकायत थी उनके हस्बेन्ड के बारे में थी उसके बारे में इन्क्वायरी रिपोर्ट आने पर जल्दी निर्णय लिया जायगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रान्सफर तो होते रहते हैं, उनकी कोई गिनती न मैं कर सकता हूं न भगवान्। मुझे सिर्फ यह पूछना है कि अनियमितता सिंघल साहब की उपस्थिति में हुई। एक इमामुद्दीन रामसर विद्यालय में पढ़ने वाला और विजयनगर में एडमिट था १९६८ में पास कर दिया गया और उनकी उपस्थिति की एन्ट्री आज तक उपस्थिति किताब में दर्ज है तो ऐसा क्यों करवाया गया ? उनको पास किया गया।

श्री धीरसिंह : ये दो मोटवानी और सीतादेवी की शिकायतें आई हैं। चार्ज की इन्क्वायरी हो रही है। ये चार्ज इन्क्लूड होंगे तो जांच करवा लेंगे। नहीं हैं तो कह देंगे। आप तो और करवा लेंगे।

श्री भगवानदास, शास्त्री : ओमप्रकाश सिंघल ने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर रह कर ऐसी अनियमितताएं की हैं मैं उनकी गिनती कर नहीं सकता। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि लाइट हमारे शिवचरणजी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

माथुर ने शिक्षक संघ के सम्मेलन में डी. ए. वी. हाई स्कूल में घोषणा की थी कि जो एडेड स्कूल हैं उनमें जो मकान किराया जो अभी बन्द कर दिया है और बहुतों का वसूल किया जाता है वह आज से वसूल नहीं होगा तो हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री धीरसिंह : शिक्षा मन्त्री की आज्ञा का उल्लंघन किया गया इस तरह की शिकायत उसमें है नहीं, अगर कोई उल्लंघन किया गया तो इसको भी देख लेंगे। आप बताइये।

श्री भगवानदास शास्त्री : उनकी पे से काटा जाता है। विद्यार्थी आपसे नाराज, शिक्षक आपसे नाराज। शिक्षक का यह हाल है। सीता पाठशाला में आठ महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। नवज्योति ने भी लिखा है। जिसके प्रधान ज्वालाप्रसादजी हैं। उनको आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अगर आपको एक महीने की नहीं मिले तो कैसा हो ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि आठ महीने से पे नहीं मिली ?

श्री धीरसिंह : कहां लिखा है इसमें ? आप बता दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसमें इन्क्लूड है। किन-किन ने शिकायतें भेजीं और किन-किन से शिकायतें करा रहे हैं, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने ध्यान दिया ? मैंने दोनों की शिकायत के पेपर पहुँचा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : सीता पाठशाला के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है ?

श्री धीरसिंह : दो बताई हैं, उसमें अगर लिखा है तो इसकी जांच हो रही है। अलग से हमारे पास दो मोटवानी और सीतादेवी की शिकायतें आई हैं। अगर इस पाठशाला के बारे में हैं तो इन्क्वायरी हो जावेगी। शिकायत की कॉपी मेरे पास इस समय नहीं है। अलग से शिकायत आई है तो हमारे सेक्रेटरियट में तो आई नहीं है। इन्सपेक्टर को दी होगी तो वह भी देख लेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : आठ महीने के बाद भी पे नहीं मिलने की बात पर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स चुप बैठा हुआ है तो मन्त्री जी बतावें इसका क्या परिणाम हो सकता है ? इससे परेशान होकर गरीब से गरीब और दरिद्र से दरिद्र जो बच्चे हैं उनको अध्यापिकाएँ जबरन कहती हैं ट्यूशन लो। अब पे नहीं मिले और उसे अपना भरण-पोषण करने के लिये गरीब दरिद्र बच्चों पर बोझ डालना पड़े, तो यह भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता है, और आप लोगों की गफलत के कारण बढ़ता है। इसके लिये इन्सपेक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिये, अगर वास्तव में यह सरकार इसको महसूस करती है तो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! प्रश्न पूछिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप तो उन अध्यापिकाओं को पेमेन्ट कर दीजिये। एडहॉक पेमेन्ट ही कर दीजिये। आश्वासन तो दे दीजिये कि चार महीने का एडहॉक पेमेन्ट ही आप कर देंगे।

श्री धीरसिंह : जो भी दिक्कत है दूर कर देंगे जल्दी से जल्दी। दिक्कत कायम

(श्री धीरसिंह)
रखने में हमारा इन्ट्रेस्ट नहीं है। व्यक्तिगत दिक्कत है तो दूर कर दी जावेगी।

राजकीय प्रवास भवन के मैनेजर का स्थानान्तरण

८९. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय प्रवास भवन, जयपुर के मैनेजर इस पद पर कितने अरसे से हैं ?

(२) क्या इनका इतने समय तक इस पद पर रहना नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो इनको इतने समय तक यहां क्यों रखा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण कुछ समय पूर्व जयपुर के निकट सर्किट हाउस में हुआ था ? यदि हां, तो इसे कैन्सिल क्यों किया गया है ?

(४) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अब क्या है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) ये १९५५ से इस पद पर हैं।

(२) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इनके स्थानान्तरण की आज्ञा निकली थी पर प्रशासनिक दृष्टि से उसे निरस्त किया गया था।

(४) प्रशासनिक दृष्टि से जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जावेगी।

श्री श्रवणलाल : क्या उनके खिलाफ विजिलेन्स कमीशन की लास्ट रिपोर्ट में शिकायत थी कि ९९ बीघा भूमि का अनधिकृत रूप से कब्जा किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि सन् ५५ से अब तक इस पद पर बने रहने से सर्विस रूल्स के किसी नियम का भंग हुआ है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सर्विस रूल्स में अधिक समय तक एक ही जगह नहीं रखा जाना चाहिये यह कहीं नहीं है।

श्री श्रवणलाल : उनका व्यवहार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं है, मारने-पीटने और घर और फार्म पर उनसे नाजायज काम लिये जाने की आम शिकायत है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : यह जो बीच में इनका ट्रान्सफर किया वह विजिलेन्स कमीशन के कहने से किया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अलग से प्रश्न है।

ट्यूब वेल्स

९०. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वेल्स ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान में कितने ट्यूब वेल्स एक्सप्लोर किये ? उनकी सूची सदन की मेज पर जिलेवार रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(२) उन ट्यूब वैल्स में कितने असफल हुए एवं कमीशन्ड किये गये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) उनमें से कितने ट्यूब वैल्स उपयोग में लाये जा रहे हैं और कितने नहीं लाये जा रहे हैं ? दोनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) उन ट्यूब वैल्स को उपयोग में नहीं लाये जाने के क्या कारण हैं ? वे कब तक उपयोग में लाये जायेंगे ?

(५) राज्य सरकार ने इस वर्ष कितने ट्यूब वेल्स कहां-कहां पर खोदने का प्रावधान किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह, वेगूं) : (१) एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान में कुल २८१ नल-कूप एक्सप्लोरेट किये । इन नल-कूपों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) इनमें से १४१ नल-कूप असफल हुए जिनको भी उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया है । ६३ कमीशन्ड किये गये । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) इनमें से ४३ नल-कूप उपयोग में लाये जा रहे हैं और शेष २० काम में नहीं लाये जा रहे हैं । दोनों की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(४) इन नल-कूपों के उपयोग में नहीं लिये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:—

पम्पिंग मशीनरी का उपलब्ध नहीं होना । बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना । ग्रामवासियों द्वारा नल-कूप चलाने हेतु खर्चे की रकम जमा नहीं कराना । शेष सफल नल-कूपों के लिये पम्पिंग मशीनरी उपलब्ध करने तथा बिजली के कनेक्शन लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसके पश्चात् इनको शीघ्रातिशीघ्र उपयोग में लाया जा सकेगा ।

(५) एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस वर्ष २५० राज्य नल-कूप योजना के अन्तर्गत कोई भी नल-कूप खोदने का प्रावधान नहीं है और उन्होंने नल-कूप खोदने का कार्य बन्द कर दिया है । राजस्थान भू-गर्भ जल मण्डल द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत २३ कुओं में बोरिंग करने का प्रावधान है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इस वर्ष भू-गर्भ जल मण्डल द्वारा राजाखेड़ा (जिला भरतपुर) में चार नल-कूप खोदने की स्वीकृति भी दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान से कहां और क्यों शिफ्ट हुआ है जब कि काफी काम यहां बाकी पड़ा है और जल का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री हरिसिंह (वेगूं): केन्द्रीय खाद्य मन्त्री को इसके लिए निवेदन किया गया था कि एक साल इसे और यहां रखा जावे । पर स्वीकार नहीं किया गया । यह पूरे भारत के लिये है । इसलिये इस साल के मार्च में ही यहां से हटाकर उड़ीसा और दूसरे हिस्सों में लगाया गया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सत्य है कि २५० कुए सफल करने का लक्ष्य था पर १४१ ही बनाये गये ?

श्री हरिसिंह : २८१ कुए एक्सप्लोरेट किये हैं। २५० की जगह २८१ किये हैं उनमें से १४१ असफल सिद्ध हुए हैं और उसके कारण मैंने निवेदन किये हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : लाठी सीरीज के अन्तर्गत जो को-ऑपरेटिव सोसाईटीज़ के द्वारा चलाये जाने थे वह व्यक्तिगत लोगों को बेचने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, क्या यह सही है ?

श्री हरिसिंह : यह भी पूछ लीजिए मैं इसका जवाब दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : यह सही है या नहीं यह बता दें ?

श्री हरिसिंह : यह सवाल अलग से पूछ लीजिए मैं इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : यह इससे संबंधित है। यह सामुदायिक पैसे से बनते हैं और प्राइवेट लोगों को बेचना चाहते हैं इसलिए साफ संबंधित है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सत्य है कि जो ४३ नल-कूप हैं उनमें से २० काम में नहीं लाये जा रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : यह क्या अपने क्षेत्र का कह रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सारे राजस्थान का।

श्री हरिसिंह : २८१ कुल कुए हैं जो एक्सप्लोरेट किये गये हैं। उनमें से १४१ तो असफल हुए हैं और जो शेष १४० रहते हैं वह यूज़ किये जा सकते हैं। उनकी स्थिति यह है कि उसमें से ६३ तो कमिशन्ड किये जा चुके हैं और इन ६३ में से करीब ४३ तो यूज में हैं एक्चुअली और बाकी के २० अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं जिसके कारण मैंने प्रश्न के भाग ४ में बता दिये हैं कि बहुतसी जगह तो पंचायतों ने पैसे जमा नहीं कराये हैं, कहीं बिजली प्राप्त नहीं हुई है। ये कारण हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन कारणों को हटाने का क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : यह तो प्रयास पंचायत ही करे। पैसे जमा करा देंगे तो चालू कर दिये जायेंगे और जहां पम्पिंग सेट आने हैं यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगले वर्ष के अन्त तक यानी १९६९ के अन्त तक ५८ रह गये हैं उन सभी जगहों पर पम्पिंग सेट लगा दिये जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : लाठी सीरीज़ के अन्तर्गत जितनी को-ऑपरेटिव सोसाईटी को भूमि व्यक्तिगत रूप से अलॉट की है उनकी भूमि को राज्य सरकार ने अवाप्त कर ली, क्या यह सही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलग से प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित है। जिन गरीब किसानों को राज्य सरकार ने भूमि अलॉट की थी भूमिहीनों को और उन्होंने सन् ६१ से ६७ तक उस जमीन पर खेती की, क्या राज्य सरकार ने उन गरीब किसानों की भूमि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को अवाप्त कर लिया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? मुख्य मंत्री महोदय जरा जवाब देने का कष्ट करें ।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, जो ४३ कुए सफल हुए हैं और उपयोग में लाये जा रहे हैं इनमें ६ कुए ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर परपज के लिए हैं। बाकी ३७ कुए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट को ड्रिंकिग परपज के लिए सुपुर्द कर दिये गये और इसमें को-ऑपरेटिव सोसाईटी के बारे में जो श्री नत्थीसिंह जी ने जिक्र किया उसके लिए अलग से हम देखेंगे कि जो को-ऑप-टिव सोसाइटीज़ चल रही हैं वह जमीन और वह कुए एक तरह के थे उनको अलग रखना है और जो श्री देवीदत्तजी ने कहा वह जनरल प्रश्न है। एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वेल का जो प्रश्न आया है उनका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है और न अवाप्त की गई उसका सम्बन्ध है। एक जनरल सवाल है जो को-ऑपरेटिव सोसाईटी से ताल्लुक रखता है और इसमें एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वेल ऑर्गनाइज़ेशन ने जितने कुए बनाये उसका संबंध कतई नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बड़ी तरकीब से इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया है। क्या राज्य सरकार ने उन भूमिहीनों को जो सन् ६१ और ६२ में भूमि अलॉट की थी उस भूमि को राज्य सरकार ने अवाप्त कर लिया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री शोभाराम : क्या माननीय सदस्य के पास यह सूचना है कि जो ६ कुए एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वेल के अन्दर एग्रीकल्चर परपज में काम में आ रहे हैं और उनमें जो कमान्डेड एरिया है वहां जमीन को एक्वायर करके उनके हकों को खत्म किया गया है ऐसी सूचना है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्रीजी जो कह रहे हैं यह बात निश्चित है कि राज्य सरकार जिन को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाईटी को और भूमिहीन किसानों को...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : भूमिहीनों को जमीन अलॉट की और उनकी भूमि अवाप्त की थी और जो सोसाईटी चल रही है उनकी भूमि को राज्य सरकार ने अवाप्त कर लिया है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग से प्रश्न है। इस तरह से दूसरे प्रश्न रह जाते हैं ..

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। क्या ट्रेजरी बेन्चेज से सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स रेज किये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी बेन्चेज सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स रेज कर सकती हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा मतलब था मंत्री महोदय से।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स कमेटी के माननीय सदस्य (श्री देवीदत्त गाड़िया) सदस्य हैं और देवीदत्तजी ने इस प्रश्न को एस्टीमेट्स कमेटी में भी पूछा था। इसलिए उनको यहां पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एस्टीमेट्स कमेटी से सम्बन्धित नहीं है। गरीब किसानों को राज्य सरकार ने और राजस्व विभाग ने भूमि अलॉट की है और उस भूमि को जो ६१–६२ में अलॉट की...

एक माननीय सदस्य : माननीय भैरोंसिहजी ने भी एतराज किया था इसी बात पर...

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह विवाद में पड़ गया ..

श्री अध्यक्ष : मैं इस विवाद को खत्म कर देता हूं। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि एस्टीमेट्स कमेटी के माननीय सदस्य, सदस्य हैं और यह प्रश्न एस्टीमेट्स कमेटी से संबंधित है। यदि ऐसा है तो माननीय सदस्य अपने दायित्वों को समझ सकते हैं। दूसरे कोई माननीय सदस्य आपकी भावनाओं को समझ गये।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : एक माननीय सदस्य ने जो इस एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य थे उन्होंने जब प्रश्न किया था और चेयर की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो ऐसी प्रेरणा चेयर की तरफ से मिली थी कि चेयरमैन होकर सवाल पूछ सकते हैं तो ऑर्डिनरी मेम्बर भी पूछ सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : आबू के बारे में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने कोई प्रश्न दिया ऐसा मुझे खयाल नहीं है।

श्री भैरोंसिह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया था लेकिन कल आकर्षण का प्रश्न रेज हो गया इसलिए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रह गया।

श्री अध्यक्ष : कल का आकर्षण अभी तक माननीय सदस्य को आघात किये हुए है ?

श्री नत्थीसिंह : बदस्तूर बना हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि, एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स बनाये गये उसमें से कुछ को पार्टी को अलॉट करने का निश्चय किया गया है जिस पार्टी के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी आस्ट्रेलिया गये थे ?

श्री नत्थीसिंह : भेड़ों के मामले में।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं माननीय सदस्य पहली बार सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुए खोदने का निर्णय किया गया था तो कुए खुदने के पहले सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है तो जो कुए आपके अनसक्सेसफुल हुए हैं तो सर्वे रिपोर्ट में जिनका प्रिडक्शन किया गया था क्या उसके विपरीत रिजल्ट्स निकले हैं ?

श्री हरिसिंह : सतह तक एक्सप्लोर नहीं किया जाता है तब तक नहीं कह सकते कि उसमें मीठा पानी है या कैसा पानी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो सूची ट्यूब वैल की रखी गई है

(श्री रामनारायण चौधरी)

सदन के सामने उसको देखने से जाहिर होता है कि यह कुछ ही दिनों में और कुए खोदे गये हैं तो कुछ ही जगह और खोदने का क्या आधार था ? क्या उसमें झुंझुनूं जिला नहीं आता था ? वहां एक भी नहीं खोदा गया क्या कारण है ?

श्री हरिसिंह : राजस्थान के ७ जिले जो कि प्रभावग्रस्त हैं– जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर और जहां स्केसिटी कन्डीशन्स ज्यादा हैं उन्हीं जगहों के लिए यह योजना बनाई गई है। उसमें नये जिले शामिल नहीं किये गये हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि २५० ट्यूब वैल की योजना के अन्तर्गत आपने २८१ बनाये हैं तो क्या २५० ट्यूब वैल की योजना के बाहर भी खोदे गये हैं ?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि २८१ एक्सप्लोर किये गये हैं।

श्री आईदानसिंह : तो २५० की योजना के अगेंस्ट में २८१ खोदे हैं क्या ऐसी भी कोई योजना राजस्थान में है कि जिसके द्वारा ट्यूब वैल खोदे जा रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो रह गये हैं उनको राजस्थान अण्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड अण्डरटेक कर रहा है।

श्री आईदानसिंह : २५० ट्यूब वैल के अलावा कोई योजना चल रही है ?

श्री हरिसिंह : इसके अतिरिक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (श्री दौलतराम सारण, गिरधारीलाल व्यास व अन्य कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) केवल एक माननीय सदस्य।

श्री आईदानसिंह : २५० ट्यूब वैल के अलावा भी २०१ ट्यूब वैल की जालौर की योजना और बनी है जिसके अन्तर्गत २९ कुए खोदे जा रहे हैं और १२ और कुए खोदने के लिए भारत सरकार ने मन्जूरी दे दी है और इसके लिये मंत्री महोदय चाहें तो मैं आपके सदन की मेज पर रख सकता हूं। मैंने एक प्रश्न किया था ४-४-६८ को कि यहां से ट्यूब वैल ऑर्गेनाइजेशन हटाया जा रहा है या नहीं और मंत्री महोदय ने कहा था कि 'जी नहीं' और उसके बाद में एक महीने के बाद ही हटा लिया गया। तो उत्तर देकर मेरे ख्याल से सदन को गुमराह तो नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

श्री शोभाराम : माननीय महोदय, गत कुछ समय से इसको हटाने की चर्चा चल रही थी। मैंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा था कि इस योजना को रोका जाय क्योंकि इस इलाके के अन्दर खारा पानी निकला है। तब तक इसके सम्बन्ध में फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था। यह बाद में हुआ है। तो उनका पत्र जाने में, इसमें कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है। यह फाइनल होगा। यह संगठन यहां काम नहीं करे तो यह कहना स्वाभाविक होगा।

श्री आईदानसिंह : यह भारत सरकार को पत्र कब लिखा ?

Page No. 10

श्री विजयसिंह (मकराना) : ग्रॉन ए प्वाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर !

श्री अध्यक्ष : उत्तर ग्रा जाने दीजिए।

श्री शोभाराम : तारीख तो मुझे याद नहीं। शायद फरवरी या जनवरी, २० जनवरी को यह पत्र मुख्यमन्त्री द्वारा लिखा गया। तारीख जानना चाहते हैं तो देखकर बताई जा सकती है।

श्री विजयसिंह : प्वाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर !

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर! ग्रॉर्डर !!

श्री विजयसिंह : मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप से इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि जब ग्रसेम्बली नहीं चलती है तो मुख्यमन्त्री महोदय, छः छः महीने हमको रगड़ाते हैं। २० मिनिट हो चुके हैं उनको टालते हुए, इनकी भी कुछ रगड़पट्टी हो जाने दीजिए।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : प्वाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर !

श्री अध्यक्ष : किस बात का प्वाइण्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर ?

श्री ग्राईदानसिंह : क्या यह सही है कि यह मालूम था कि यह ४-७-६८ को हटाया जा रहा है ?

श्री शोभाराम : जी नहीं।

श्री विजयसिंह : जब राजस्थान सरकार को मालूम हो गया था कि यह ग्रॉर्गनाइजेशन हटाया जा रहा है ग्रौर पब्लिक ने ध्यान ग्राकर्षित किया तो सीधासा जवाब मिला, नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : ग्रध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर ! ग्रॉर्डर !! श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के लिये ट्यूब वैल योजना बनाई गई थी, क्या वह पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास : पिछले बजट सत्र में जब एग्रीकल्चर पर बहस हो रही थी तो मैंने एक कटमोशन द्वारा यह जानना चाहा था कि ग्रासीन्द तहसील में....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए ग्रलग से प्रश्न कीजिए। ग्रॉर्डर ! ग्रॉर्डर !!

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे सप्लीमेंट्री का जवाब दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि ये ट्यूब वैल जो खोदे गये थे तो क्या झुंझुनूं जिला उनमें नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

श्री शोभाराम : जी नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : था।

श्री शोभाराम : कितने जिले ग्रभावग्रस्त थे, इसके लिए इस ग्राधार पर नहीं लिया गया था ग्रौर भी जिले हो सकते थे। छः सात जिलों के लिए ही इस संगठन को भेजा गया था।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय,...

Page No. 11

श्री अध्यक्ष : उत्तर हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले की उपेक्षा किस कारण से की गई है ?

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न थे उनका स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री शोभाराम : माननीय दौलतरामजी सारण ने जो पूछा है कि उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं ? यह तो उनको मालूम हो जाएगा। उद्देश्य पूर्ति हुई या नहीं इसकी प्रोग्रेस से मालूम हो जाएगा कि कितना एक्सप्लोर हो जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न यह था कि जिस उद्देश्य के लिए ट्यूब वैल योजना बनाई गई थी वह पूरी हो गई या पूरी नहीं हुई ? अगर पूरी नहीं हुई है तो बन्द क्यों कर दी गई है ?

श्री हरीसिंह : इसकी एक्सप्लोरिटी ही ऐसी है। इस प्राब्लम में १० साल भी लग जायें। ये रीड्स यहां पर नहीं रख सकते हैं। एक्सप्लोरेशन का अर्थ समझिए। सर्वे करा लिया जाएगा उसके बाद किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : अगला प्रश्न ले लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सम्पच्युरी अलाउन्स पर व्यय

६१. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अप्रेल, १९६७ से जनवरी, १९६८ तक कितने रुपये सम्पच्यूरी अलाउन्स के अन्तर्गत प्रत्येक मन्त्री पर खर्च हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह : अप्रेल ६७ में और ६८ जनवरी तक कितने मेहमान आये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सम्पच्यूरी एलाउन्स में ऐसी लिस्ट नहीं रखी जाती है।

श्री विजयसिंह : ८३.३३ पैसे अप्रेल ६७ में हैं और जनवरी ६८ में ५००.०० हैं तो बाकी के ४१६.६७ पैसे इन्हें और दे दिये जायें इसके हिसाब से तो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! प्रश्न नहीं बनता है।

श्री विजयसिंह : दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। क्या यह सही है कि माननीय विधायकों के माननीय मिनिस्टर से अधिक महमान आते हैं इसलिये माननीय विधायकों को इससे अधिक सम्पच्यूरी एलाउन्स दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अच्छा है, लेकिन अलग से प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस अलाउन्स का प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत करें।

श्री नत्थीसिंह : प्रस्ताव यह हो कि विधायकों को जरूरत नहीं है इसलिए आपको कम दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री फतेहसिंह।

प्रवेश तथा शुल्क माफ के लिए प्रमाण-पत्र

६२. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री फतहसिंह)

(१) क्या यह बात सही है कि शुल्क माफ कराने के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं ?

(२) क्या यह बात भी सही है कि विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष उसी विद्यालय की नई कक्षाओं में प्रवेश लेते समय प्रस्तुत करने पड़ते हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :
(१) जी हां।
(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह :

सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि., टोंक

६३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० स्थापित हैं ? यदि हां, तो कब से ? तथा इसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि इसमें गैर सरकारी सदस्य भी मनोनीत किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन ? और इस मनोनयन के क्या आधार हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि भंडार की कार्यकारिणी का चुनाव अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि भारत सेवक समाज का सदस्य इसमें मनोनीत करना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) :
(१) जी हां। टोंक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि०, टोंक का पंजीयन दिनांक १-१०-६६ को किया गया था। इस होलसेल भंडार के निम्न सदस्य हैः—

(१) राज्य सरकार	१
(२) क्षेत्र की क्रय-विक्रय समितियां	२
(३) व्यक्तिगत सदस्य	४२५७

(२) जी हां। टोंक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के संचालक मंडल में निम्न गैर सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया गया हैं:—

१. श्री महेन्द्रकुमार जैन दिनांक २४-३-६७ को (व्यक्तिगत सदस्य)

२. श्री रामप्रसाद व्यास दिनांक १४-३-६७ को (व्यक्तिगत सदस्य)

३. श्री रफीउल्ला बेग दिनांक ६-७-६७ (अध्यक्ष, म्युनिसिपल काउन्सिल, टोंक)

४. अध्यक्ष, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, टोंक (श्री मांगीलाल) दिनांक ६-७-६७।

उक्त व्यक्तियों को भंडार के उपनियम सं० ३८ (ब) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान की सिफारिश पर मनोनीत किया।

(३) जी हां। कार्यकारिणी के चुनाव न होने का कारण होलसेल भण्डार के उपनियमों में वांछित संशोधन का प्रस्ताव प्र.।

(श्री रामदेवसिंह)

अब वांछित संशोधन किये जा चुके हैं, और कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम भी बनाया जा चुका है, जो कि २९-८-६८ से ६-६-६८ तक का है।

(४) उपनियमानुसार आवश्यक नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : जो तीन सदस्य मनोनीत राज्य सरकार ने किये हैं उनके क्या आधार हैं ?

श्री रामदेवसिंह : जो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं उन्होंने भण्डार के गठन में पूर्ण सहयोग दिया था और सदस्यों की संख्या की वृद्धि में पूरा सहयोग दिया था। इस आधार पर सहायक रजिस्ट्रार व जिलाधीश, टोंक की सिफारिश पर नियुक्त किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : वह किसी भी उपभोक्ता भण्डार या कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी नहीं हैं – क्या यह सही है ?

श्री रामदेवसिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें आधार क्या है। सिर्फ इस वजह से मनोनीत करना कि उन्होंने सहयोग दिया, तो ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं। कृपया यह बताने की कृपा करें कि यह तीनों के तीनों सदस्य कांग्रेसी हैं इसलिये इन्हें रखा है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : किसी को भी रख सकते हैं।

श्री रामदेवसिंह : जिन लोगों ने भण्डार के गठन में पूर्ण सहयोग दिया है उनको सहायक रजिस्ट्रार और जिलाधीश, टोंक की सिफारिश पर रखा है।

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसे तो हम भी सहयोग देने को तैयार हैं और लोग भी सहयोग देते हैं। लेकिन यह तीनों के तीनों मेम्बर कांग्रेस के मेम्बर हैं इसलिये इनको मनोनीत किया गया है और इनमें से एक मेम्बर तो वह हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, और उनको राजी रखने के लिये जो भी कमेटी बनती है उसमें लगा दिया जाता है, श्री महेन्द्रकुमार को, इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामदेवसिंह : हो सकता है कि आपने सहयोग में कुछ हिस्सा न दिया हो।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता है। आॅर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सरकार बनाने में उन्होंने सहयोग दिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री देवीदत्त गाड़िया !

मुई बांध में मछली पकड़ने का ठेका

९४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पशु-पालन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर में मत्स्य-पालन विभाग में सहायक मत्स्य विकास अधिकारी की जगह एवं दो इन्सपेक्टर्स की जगह गत एक वर्ष से खाली पड़ी है, यदि हां, तो किस-किस तारीख से व किन कारणों से ?

Page No. 14

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(२) इस जिले में मत्स्य पालन विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी स्कीम कितने समय से लागू है तथा कितने समय से कौन-कौन सी स्कीम चल रही है ?

(३) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर के मुई बांध में गत वर्ष करीब ५० हजार मछली के बच्चे बाहर से मंगवा कर छोड़े गये थे ? यदि हां, तो ये बच्चे किस साधन से व कितने रुपयों की लागत से किस स्थान से मंगवा कर छोड़े गये और उसका उद्देश्य क्या था ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त मुई बांध में मछली पकड़ने का ठेका इस वर्ष किसी ठेकेदार को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों में किस ठेकेदार को किस तारीख में किन कारणों से दिया ?

उपमंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (१) जी नहीं। तारीख व कारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) सवाईमाधोपुर जिले में निम्नांकित योजनाएं उनके समक्ष अंकित अवधि से चल रही हैं:—

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रारम्भिक तिथि
(अ)	मत्स्य विकास योजना	१९६१
(ब)	मत्स्य पोषाहार कार्यक्रम	१९६६-६७
(स)	सघन मत्स्य योजना	१९६६-६७

श्री देवीदत्त गाड़िया : समझ में नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को सुनाई दे रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रीजी को कह दें जवाब देने को। सम्बन्धित मंत्री जवाब दे दें तो अच्छा हो। इनकी आवाज तो सुनाई नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री ज्यादा नहीं हो पायेंगे।

श्री हरिसिंह : समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं योजनाओं के नाम बता रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करें—

(अ) मत्स्य विकास योजना। १९६१

(ब) मत्स्य पोषाहार कार्यक्रम १९६६-६७

(स) सघन मत्स्य योजना १९६६-६७

(३) जी हां। ये मछली के बच्चे विभाग द्वारा फिश सीड सिन्डीकेट, हावड़ा से ६५०० रुपये की लागत से बच्चों एवं पोषक आहार की कमी वाले व्यक्तियों के वितरण हेतु मंगवाये गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : रट कर आया करें।

श्री अध्यक्ष : उसमें भी आप कह देते, रट कर आते हैं।

श्री हरिसिंह : (४) जी हां। इस वर्ष मुई बांध का ठेका १४२० रुपये में श्री राणामल, मत्स्य ठेकेदार, जयपुर को १४ मई, १९६८ को नियमानुसार दिया गया है। उक्त ठेका देने का केवल एकमात्र कारण यह था कि जो मछली के बच्चे मुई बांध में डाले गए थे इनकी सुरक्षा हेतु बड़ी मछलियां जिनका कि बच्चों को खा जाने का डर था निकलवा दी जावें। जिससे कि सरकार को भी कुछ आमदानी हो जाय

(श्री हरिसिंह)

और सीड स्टाक को भी किसी प्रकार की हानि न पहुँचे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही नहीं है कि सवाई माधोपुर का मत्स्य पालन विभाग है उसमें दो पोस्ट इन्सपेक्टर की थीं जिसमें से एक पोस्ट मई, ६७ से ६ फरवरी ६८ तक खाली रही और दूसरे इन्सपेक्टर की पोस्ट उसको आगरा ट्रेनिंग पर भेजने के कारण ६ मई से मार्च, ६८ तक खाली रही ?

श्री हरिसिंह : जी हां । इन्सपेक्टर्स का जहाँ तक सवाल है, उमेशचन्द्र माथुर मत्स्य निरीक्षक अगस्त, ६७ से प्रशिक्षणार्थ आगरा में ३१-३-६८ तक रहने के कारण करीब ८ महीने तक पोस्ट खाली रही। राघवेन्द्रसिंह, मत्स्य निरीक्षक का स्थानान्तर कृषि विभाग में होने से दूसरा पद दिनांक ३-९-६७ से ३-१०-६७ तक रिक्त रहा। इसमें देखा जाय तो दोनों इन्सपेक्टर की पोस्ट खाली रहने में डिफरेन्स आता है वह करीब दो महीने का डिफरेन्स रहता है। एक्चुअली दो महीने तक पोस्ट खाली रही। आप जो एक साल का कह रहे हैं वह निराधार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा जो पहला प्रश्न था, जिसमें आपने कहा है जी नहीं। उसमें मैंने कहा था कि इस प्रकार सहायक मत्स्य विकास अधिकारी और दो इन्सपेक्टर की पोस्ट खाली रही। आपने कहा, जी नहीं। जब कि दो इन्सपेक्टर की पोस्ट खाली रही और ए. एफ. डी. ओ. की पोस्ट खाली रही। मेरी सूचना के आधार पर इन्होंने तीन में से दो व्यक्ति की नियुक्ति की लेकिन लगातार एक वर्ष तक वह पोस्ट खाली रही। यह सूचना मैं दे रहा हूं।

श्री हरिसिंह : मैं कह रहा हूं, जी नहीं। मैंने जो जवाब दिया है वह सही है। आपने एक वर्ष के लिए प्रश्न पूछा है, इन्सपेक्टर की जगह गत एक वर्ष से खाली पड़ी है। यह बिल्कुल गलत है। मैंने निवेदन किया, उसके साथ में डेट्स बता दी है और उनके आधार पर डिफरेन्स दो महीने का रहता है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि ५० हजार मछलियों के बच्चे मुई बांध में छोड़े गये तो पशुपालन विभाग के नियमों के अनुसार दो साल तक मछली पकड़ने का ठेका नहीं दिया जा सकता है ?

श्री हरिसिंह : जैसा कि मैंने प्रश्न दो के उत्तर में निवेदन किया है, यह सीड स्टाक रेज किया जाता है, उसके लिए हावड़ा से सीड मंगवाई थी, उनको पहले तो टोंक में रखा गया और सन् ६६ में मुई बांध में डाल दिया गया। उसके बाद में ठीक तरह से वह डेवलप हों इसलिए यह आवश्यक है कि जो काम्पिटिंग फिशेस होती हैं, जो एक-दूसरे से काम्पीट करती हैं, और भी कई फिशेस की केटेगरी होती है एक होती है मेजर काफ वह एक दूसरे के साथ रह सकती है और उनका खाद्य पदार्थ पैलस्टर वगैरह होता है, और एक इस प्रकार की होती है जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो छोटी मछलियों को बचाने के लिए जल्दी ठेका देना आवश्यक समझा गया। वरना जिस तरह आप कह रहे हैं वह सही है, दो साल तक ठेका नहीं हो सकता।

Page No. 16

श्री देवीदत्त गाड़िया : बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं इसलिए यह ठेका देना आवश्यक समझा तो यह रिपोर्ट इस विभाग के किस अधिकारी की है ? किस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ठेका दिया गया ?

श्री हरिसिंह : आधार तो मैंने यह बताया कि यह आवश्यक हो जाता है, जब कि....

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऐसी रिपोर्ट किस अधिकारी की थी ! जिस तरह की रिपोर्ट आप बता रहे हैं यह रिपोर्ट किस अधिकारी की थी ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एक-व्यवस्था का प्रश्न है। मछलियों से तो ज्यादा गम्भीर गेहूं की फसल नष्ट होने का विषय आगे है। मछलियों से तो कम लोग सम्बन्धित हैं लेकिन गेहूं से ज्यादा हैं। इसलिये आगे बढ़ें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी पूछ लीजिये, गेहूं की फसल का प्रश्न आगे है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जितने के मछलियों के बच्चे डाले जाते हैं उससे एक बटा तीन मत्स्य पालन विभाग को उस बांध से, तालाब से आमदनी होनी चाहिए ? यह सही है तो पचास हजार बच्चे मुई बांध में डाले गये तो पन्द्रह सौ रुपये में ठेकेदार को ठेका क्यों दिया गया ?

श्री हरीसिंह : जहां तक ठेके देने की प्रणाली का प्रश्न है, पहली बात तो यह क्लीयर नहीं है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अभी जो प्रणाली चल रही है, वह यह है कि राजस्थान में जितने तालाब हैं, उनमें नियमित तरीके से बोलियां लगती हैं, सब ठेकेदार इकट्ठे होते हैं, नियमानुसार हाइयेस्ट बिडिंग जिनका होता है, उन्हीं को दिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है; क्या यह सही है कि रामगढ़ बंधे में राज्य सरकार द्वारा स्वयं की फिशेरीज करने से ४॥ लाख की आमदनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस मुई बांध के अन्दर राज्य सरकार खुद की फिशेरीज करवाये। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ठेका दिया गया पी० डी० माथुर डायरेक्टर थे उनकी ठेकेदार से सांठगांठ थी, इसलिये ठेका दिया यदि राज्य सरकार स्वयं फिशेरीज करवाती तो राज्य सरकार को ३० हजार की इससे आमदनी होती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इससे बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स आगे आने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पी० डी० माथुर की ठेकेदार से सांठगांठ थी...

श्री अध्यक्ष : मच्छियों के प्रश्न बहुत हो चुके हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत।

दिल्ली में ड्राई पोर्ट

६५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि राज्य के व्यापारियों को निर्यात करने के लिये बम्बई बार-बार जाना पड़ता है और उसमें खर्च भी अधिक पड़ता है और दिक्कतें होती हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को दिल्ली में ड्राई पोर्ट खोलने पर रजामन्द करने की पुरजोर कोशिश करेगी ताकि कस्टम आदि की कार्यवाही दिल्ली में ही हो सके ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) :
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत : राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय, कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री भीमसेन : इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा गया है कि हम ड्राई पोर्ट दिल्ली में खोलना चाहते हैं। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी मुकर्रर की है उसकी रिपोर्ट आ जाने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर तो हमेशा जी हां, जी हां है और हमारे प्रश्नों का उत्तर हमेशा जी नहीं, जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्या का रूप धारण कर सकते हैं। (हंसी)

नैक्स्ट।

परिवार नियोजन के लिये औषधि का आविष्कार

६६. श्री लाभचन्द वैद (सरदारशहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चूरू जिला स्थित रतनगढ नगर में श्री वीर हनुमान सेवा संघ आयुर्वेद भवन नामक औषधालय के प्रधान वैद्य पं० रावतमल शर्मा ने अपने जड़ी बूटियों के अन्वेषण से परिवार नियोजन हेतु एक औषधि का आविष्कार किया है ?

(२) क्या सरकार उस औषधि का परीक्षण व अन्वेषण करा कर सरकारी स्तर पर प्रयोग चालू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राज्य-मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (१) विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

Page No. 18

(श्री जयकृष्ण)

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लाभचन्द वैद : यह प्रश्न करने के बाद भी जानकारी करने का प्रश्न नहीं उठाया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह प्राइवेट संस्था है, आयुर्वेद विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है, विभाग को जानकारी नहीं दी है कि इस प्रकार की औषधि का निर्माण किया है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वे नहीं करते तो आप करते, ऐसी महत्वपूर्ण बूंटी मिल जाय तो उसका उपयोग करना चाहिये।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर राज्य मंत्राणीजी से दिलवाते तो अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री परसराम गंगाराम ।

नियुक्तियों में रिजर्वेशन

९७. श्री परसराम गंगाराम (परवतसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १९६२ में सरकार द्वारा जारी आदेश कि साढ़े बारह पर्सेन्ट रिजर्वेशन ऑफ सर्विसेज, राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ स्टेट्यूटेरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक एन्टर-प्राइज व इन्स्टीट्यूशन्स जिनमें राज्य सरकार का मेजर फाइनेन्शियल एलोकेशन है, में रखा गया है, का कितना पालन हुआ है, और नहीं हुआ है तो सरकार ठोस रूप से क्या कदम उठा रही है ताकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेकारों को रिजर्वेशन के कोटे से काम दिलाया जा सके ?

(२) इस समय किस-किस सरकारी विभाग में साढ़े बारह पर्सेन्ट कोटे के हिसाब से नियुक्तियां नहीं की हुई हैं और क्यों ? सरकार कब तक इन विभागों में इस निर्धारित कोटे की पूर्ति कर देगी ?

उप-मंत्री, नियुक्ति विभाग, (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) १९६२ में दिये गये आदेशों का राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं मे भी पालन हुआ है लेकिन राजकीय विभागों के मुकाबले में इन संस्थाओं में अपेक्षाकृत कम नियुक्तियां हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा बराबर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इन संस्थाओं में भी राजकीय संस्थाओं की तरह रिजर्वेशन के अनुसार नियुक्तियां हों।

(२) ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां कोटे के अनुसार योग्य व्यक्ति मिलने पर भी बिलकुल ही नियुक्तियां नहीं हुई हों। सरकार द्वारा बराबर प्रयत्न किया जा रहा है कि कोटे के अनुसार नियुक्तियां की जाय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रोफेसर केदार !

बीकानेर में दुग्ध वितरण की व्यवस्था

९८. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर से दिल्ली और जयपुर कुल कितना दूध प्रति दिन जाता है ?

(२) किस योजना के अन्तर्गत वहां से दूध बाहर ले जाने की इजाजत सरकार ने दी है ?

Page No. 19

(श्री केदारनाथ)

(३) क्या सरकार इसी दूध में से दूध ले कर बीकानेर में दूध वितरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ताकि बीकानेर में भी दूध सस्ता मिल सके ?

उपमंत्री, पशु-पालन विभाग (श्री हरिसिंह) : (१) बीकानेर से दिल्ली दूध वितरण योजना के अन्तर्गत लगभग ७००० लीटर्स दुग्ध प्रति दिन दिल्ली जाता है। बीकानेर से जयपुर दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत दुग्ध फिलहाल प्राप्त नहीं किया जाता है।

(२) बीकानेर से दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत दुग्ध ले जाने के लिये किसी प्रकार की स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई और न उसकी आवश्यकता है।

(३) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री केदारनाथ : कितना दूध बीकानेर से दिल्ली और जयपुर जाये क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और डी. एम. एच. के बीच कोई एग्रीमेन्ट हुआ है ?

श्री हरिसिंह : फॉर्मल एग्रीमेन्ट तो नहीं हुआ है, राजस्थान की कौन्सिल ऑफ इमर्जेन्सी सप्लाईज की १९-२-६५ की मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया कि १०० मन दूध दिल्ली और ५० मन जयपुर दुग्ध वितरण योजना को दिया जाय, यह अन्डरस्टेंडिंग थी।

श्री केदारनाथ : क्या मिल्क पोटेन्शियल को यूटिलाइज करने की क्षमता इस योजना में है ?

श्री हरिसिंह : यह इस तरह की गम्भीर समस्या है कि वहां जितना दूध होता है, उसका उपयोग हो नहीं पाता है। ७००० लीटर दूध दिल्ली जाता है। बहुत से पैकेट्स उस एरिया में है, वहां अगर मिल्क पाउडर बनाया जाय तो बहुत कुछ स्कोप है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रीजी से बातचीत की जा चुकी है। एनीमल हसबेन्ड्रीज के मिनिस्टर्स की मिटिंग हुई उसमें यह विचार रखा गया था। डी. एम. एच. को देने के अलावा भी दूध रह जाता है, जिसका घी बना कर बेचते हैं, यह भी लाभप्रद नहीं होता है इसलिये इसके लिये केन्द्रीय सरकार भारी प्लान्ट वित्तीय साधनों के अनुसार लगा सकती है, ऐसे चार प्लान्ट लगाने का केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, राजस्थान उसमें है या नहीं, नहीं कहा जा सकता।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : यह दूध गायों का है या भैंसों का ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। राजवी रूपसिंह।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया यह बहुत जरूरी है। नैक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, जानकारी है ?

श्री हरिसिंह : गायों का दूध है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह बीकानेर से जुटाते है या आसपास से ?

श्री हरिसिंह : बीकानेर के आसपास के गांवों से।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या सरकार ने घोषणा की थी कि बीकानेर के लिये दुग्ध वितरण योजना लागू की जायगी ?

श्री हरिसिंह : ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : इस प्रकार की घोषणा की गई है....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मीटिंग में घोषणा की गई है....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है घोषणा का। विधि मंत्री।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी मसला है, बीकानेर एक सीमावर्ती जिला है।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे प्रश्न नहीं होने देंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। नेक्स्ट। राजवी रूपसिंह !

हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले

९९. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान हाईकोर्ट में कितने मुकद्दमात (सिविल व क्रिमिनल) इस वक्त पेंडिंग में हैं ?

(२) इन मुकद्दमात में कितने-कितने मुकद्दमात किस-किस जिले के हैं ?

(३) इन जेर तजवीज मुकद्दमात में कितने मुकद्दमे में एक साल से लेकर दस साल तक के पुराने हैं ? उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इतने ज्यादा मुकद्दमात जेरतजवीज होने का कारण क्या है ? माननीय जजों की कमी है या माननीय जजों को दूसरे कामों में लगा देना है।

उप मंत्री, विधि विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) तारीख १-८-६८ को निम्न मुकद्दमात पेंडिंग थे :—

(१) सिविल ५,६०४

(२) क्रिमिनल १,९१४

योग... ७,५१८

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) दोनों।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : जो मैंने लिस्ट मांगी है, उसमें आपने सिविल के जेरतजवीज मुकद्दमे जो एक साल से दस साल तक के पुराने हैं, उनका नम्बर ५,६०४ दिया है मेरी जानकारी के अनुसार ४,८११ होते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको जानकारी कहां से हुई ?

एक माननीय सदस्य : इस लिस्ट से।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि जो लिस्ट दी गई है उसके अनुसार जो केसेज एक साल से १० साल तक के पेंडिंग हैं, उनकी संख्या ५,६०४ है तो कानून का यह फंडामेन्टल प्रिन्सिपल है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसके अनुसार यह डिले उचित नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : जस्टिस डिले नहीं होना चाहिये यह सभी मानते हैं पर हालात को देखते हुए, बढ़ते हुए लिटिगेशन को देखते हुए, यह मुमकीन नहीं हो सकता है कि जस्टिस फौरन मिले। जस्टिस की सारी फोरमेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। मैच्योर तरीके के लोगों को जजेज बनाना पड़ता है। यह जरूरी है कि जस्टिस जल्दी मिलना चाहिये इसीलिये राजस्थान में पहले हाई कोर्ट जजेज का नं० १० था वहां १२ हाई कोर्ट के जजेज को मुकर्रर किया।

राजवी श्री रूपसिंह : जो डिले बताई उसका मेन कारण क्या है कि इतने पुराने केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : कुछ तो यह कारण है कि राजस्थान में शुरू में हाई कोर्ट के ८ ही जजेज थे, बाद में १० हुए, फिर १२ हुए। जजेज की कमी थी, कुछ जजेज इलेक्शन में लग गये एक जज एन्क्वायरी कमीशन में लग गये हैं, इसकी वजह से और....

श्री नत्थीसिंह : कुछ काउन्टिंग कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : वह इलेक्शन में आ गये। यह मैं मानता हूं कि इसमें देरी हुई है और पुराने केसेज हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

(१२ मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री। आपने ये कारण बताये हैं कि इतने कारण हैं जिनसे डिले होती है उनका निराकरण करने के लिये कोई प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री बरकतुल्लाखां : इसके लिये यह है कि हाईकोर्ट के जजेज को बढ़ाने हैं, दूसरी स्टेट्स के पेटर्न को देखते हुए ऑल इन्डिया पेटर्न में किस प्रकार फिट हो सकते हैं इसका पता लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : दूसरे प्रश्न हैं इससे सम्बन्धित...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या १००।

सहकारी समितियों का एकीकरण

१००. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सहकारी समितियों को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई निर्धारित नीति है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार अथवा सहकारी विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री नत्थीसिंह)

(२) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों का जो एकीकरण अब तक किया गया है उनमें से अधिकांश सहकारी समितियों की असहमति होते हुए भी सहायक रजिस्ट्रारों ने राजस्थान सहकारी अधिनियम, १९६५ की धारा १७ में रजिस्ट्रार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया है ? यदि हां, तो अब तक एकीकृत की गई समितियों में से सहकारी समितियों की सहमति से स्वीकृत की गई सहकारी समितियों एवं ऐसी सहमति के अभाव में सहायक रजिस्ट्रारों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग से स्वीकृत की गई सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रारों द्वारा सहकारी समितियों की आपत्तियों के बावजूद भी एक ग्राम पंचायत में स्थित समस्त सहकारी समितियों का एकीकरण करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार स्वीकृत की गई सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि मई, जून व जुलाई, १९६७ व १९६८ में भी ऐसे एकीकरण के आदेश दिये गये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राय को भी ऐसे एकीकरण के समय उपेक्षा की गई है ?

उपमंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, कल संदेश अखबार में पढ़ा है कि श्री रामदेवसिंहजी की सीकर में पिटाई हुई।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

ऐसा संदेश आप यहां क्यों देते हैं ?

(प्रश्न संख्या १०१)

श्री **बीरबल।**

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, श्री रामचन्द्र आर्य की ऑथोरिटी मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : यस। श्री सारण।

सेकन्डरी स्कूल नौहर में बॉयलोजी विषय की पढ़ाई

१०२. **श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) :** [श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नौहर के सेकेन्डरी स्कूल में बॉयलोजी पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इतने बड़े कस्बे व देहात में बॉयलोजी की कक्षा खोलना आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ?

(३) क्या यह सही है कि गत वर्ष मुख्य मंत्रीजी ने नौहर का दौरा किया था उस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

समय स्कूल के मैदान में अपने भाषण में बॉयलोजी की कक्षा खोलने व नोहर में कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उस आश्वासन का क्या हुआ ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) जी हां, शिक्षा निदेशालय में इस विषय को खोलने हेतु किसी प्रकार की स्थानीय जनता अथवा किसी अन्य सूत्र द्वारा मांग नहीं की गई है कि इस विषय की प्रयोगशाला खोल दी जावे। गुण अवगुण के ऊपर विचार किया जा सकता है।

(२) व (३) जी हां, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यहां की जनता कॉलेज भवन बना दे तो कॉलेज खोल दिया जावेगा।

श्री दौलतराम सारण : जनता कॉलेज भवन बना दे तो सरकार अब भी आश्वासन पर दृढ़ है ?

श्री धीरसिंह : आपको उस वक्त कहा था उस पर अभी भी दृढ़ हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बसों में भीड़भाड का हल

१०३. **श्री रतनलाल रौत (चौरासी) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने बसों में भीड़भाड़ को कम करने और परमिट दिये जाने पर भी लम्बे अर्से तक बसें न चलाने और रिट दायर करने से परमिटशुदा व्यक्तियों की बसें न चलने आदि की परेशानियों को मिटाने के लिए कोई स्थायी हल सोचा है ?

(२) यदि हां, तो इस ओर क्या कदम उठाया जा रहा है ?

उपमंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत वर्णित परिस्थितियों का सामना करने के लिये प्रावधान उपलब्ध है। परमिट मिलने के बाद गाड़ी चालू करने के लिये कुछ समय देना आवश्यक है। अदालतों की आज्ञा के कारण भी कभी-कभी बसों के चलने में देर लगती है, सफर करने वालों और बस वालों को इसमें कम से कम कठिनाई हो, इसका प्रयत्न किया जाता है। उन मार्गों पर ट्रिपें भी बढ़ाई जाती हैं। वर्तमान कानूनी व्यवस्था से अधिक संतोषजनक व्यवस्था कठिन मालूम होती है। सीटें जो कानून के माफिक हो सकती हैं उनमें कुछ नहीं किया जा सकता है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मिनी बसों के परमिट दिये जा रहे हैं इसका कारण है कि बसों में अधिक भीड़भाड़ रहती है और रोडवेज को इन्कम होती है इसलिए परमिट दिये जा रहे हैं।

श्री यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : परमिट आर. टी. ए. देता है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, सुना ही नहीं गया माननीय मंत्री ने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : माइक की खराबी से सुना नहीं है। वापिस उत्तर दे दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : परमिट आर. टी. ए. देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आथोरिटी होता है।

श्री मोहनलाल मोदी : मिनी बसों के लिये आपके क्या विचार हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ।

ग्राम निम्बी जोधा उपभोक्ता भंडार

१०४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने सहकारी उपभोक्ता भंडारों का गठन शहरी क्षेत्रों में करने का और ग्रामीण क्षेत्र में इनका गठन नहीं करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो ग्राम निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं में उपभोक्ता भंडार का गठन किस आधार पर किया गया जब कि यह पंचायत क्षेत्र है ?

(२) उक्त आदेश की अवहेलना करके उपभोक्ता भंडार का गठन कर देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

(३) उक्त भंडार कब तक चलता रहा ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने उक्त भंडार को तत्काल खत्म करने का आदेश दिया ? यदि हां, तो कब और उक्त आदेश की तामील कब हुई ?

उपमंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : (१) भारत सरकार के इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी उपभोक्ता भंडारों का गठन नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र क्रमांक पं. सं. २८/सविरा/उम/६५ दिनांक २१-५-६५ द्वारा यह निर्देश अवश्य दिये गये थे, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय का कार्य कर रही हैं, वहां उपभोक्ता भंडारों का गठन नहीं किया जावे। निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं में उपभोक्ता भण्डार का गठन विभाग के उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के विपरीत किया गया था।

(२) उक्त उपभोक्ता भंडार का गठन तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर श्री अयोध्याप्रसाद माथुर द्वारा किया गया था। श्री माथुर का इस अवहेलना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया। उनका उत्तर संतोषप्रद न होने पर उन्हें भविष्य के लिये लिखित में चेतावनी दे दी गई। जिसका इन्द्राज उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में किया गया है। श्री माथुर अब राज्य सेवा से मुक्त (रिटायर्ड) हो चुके हैं।

(३) उक्त भंडार दिनांक ३१-३-६८ के पश्चात् निष्क्रिय अवस्था में है क्योंकि इसके नाम नियंत्रित वस्तुओं का अलॉटमेन्ट जिलाधीश कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया है।

(४) राज्य सरकार ने उनके निर्णय दिनांक १३-११-६७ के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर को यह निर्देश दिये थे कि वह उक्त भंडार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। अतः सहायक रजिस्ट्रार, नागौर द्वारा अब उक्त भण्डार को अवसायन में लाये जाने के बारे में कारण बताने का नोटिस दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा और रजिस्ट्रार साहब द्वारा आदेश दिये जाने पर भी यह भण्डार चलता रहा ?

श्री रामदेवसिंह : जहां तक मेरी जानकारी है ३१-३-६८ के बाद अलॉटमेन्ट बन्द है।

श्री हरजीराम बुरड़क : राज्य सरकार ने आदेश कब दिये थे ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर है क्या ?

श्री रामदेवसिंह : अध्यक्ष महोदय, डेट तो मेरे पास इस समय नहीं है। ३१-३-६८ के बाद जिलाधीश ने आॅर्डर कर दिये थे नियन्त्रित वस्तुयें नहीं मिलती हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : रजिस्ट्रार साहब ने यह आदेश दिये कि भण्डार के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे आपने तो यह बताया कि सहायक रजिस्ट्रार को चेतावनी दे दी गयी। उनको डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया।

श्री रामदेवसिंह : उनको चेतावनी दे दी गयी और गोपनीय रिपोर्ट में भी लिख दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठलप्रसाद।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरे अधिकारी थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामदेवसिंह : दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सरकार के आदेश होने के बावजूद भी एक भंडार का अनुचित तरीके से रजिस्ट्रेशन किया और रोकने के बाद भी वह चालू किया गया और फिर कहते हैं कि पूरी जानकारी नहीं है।

श्री रामदेवसिंह : ३१-३-६८ के बाद चला नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप ६८ की बात कह रहे हैं। मैं ६४ की बात बता रहा हूं। इतने दिनों तक लोगों ने उसको जारी रखा।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर ! माननीय सदस्य नेक्स्ट।

कोटा-अकलेरा रूट की बस

१०५ विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : [श्री विजयसिंह (मकराना) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दिनांक २१-२-६८ को कोटा से अकलेरा चलने वाली ५ बजे वाली बस कोटा से कब रवाना हुई थी ?

(२) क्या उस गाड़ी को ड्राईवर ने पाटन स्टेण्ड पर रात्रि को ६ बजे अकारण ही खड़ा कर दिया और ड्राईवर, कन्डक्टर शराब पीने लग गये ?

(३) क्या यह सही है कि वही बस सवेरे चार बजे बिना ठीक किये ही अकलेरा रवाना हो गई ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(४) उस दिन गाड़ी में कितनी सवारियां यात्रा कर रही थीं ?

(५) क्या यह सही है कि उस दिन अकलेरा जाने वाली ४० सवारियों से पैसे लेकर टिकिट ही नहीं दिया गया ?

उपमंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) दिनांक २१-२-६८ को कोटा से अकलेरा जाने वाली बस ठीक समय पर १७.३० पर रवाना हुई।

(२) जी नहीं। वाहन की लाइट खराब हो जाने के कारण पाटन पर रोका गया।

(३) जी नहीं। गाड़ी को सुबह ६ बजे उजाला होने पर पाटन से बुक करके रवाना किया गया।

(४) उस दिन गाड़ी में पाटन से आगे जाने वाली २।। सवारी थी। एक सवारी बुक की गई।

(५) जी नहीं। गाड़ी में पे बिल के अनुसार कुल ३।। सवारियां ही थीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह! प्रश्न संख्या १०९।

राज्य के पोलीटेक्निक स्कूल्स

१०९. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने पोलीटेक्निक स्कूल किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं और उनमें कितने-कितने विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है ?

(२) पिछले तीन सालों में कुल कितने-कितने विद्यार्थी इन संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं और उनमें से कितनों को रोजगार मिल गया है या वे अपना धन्धा चलाने में सफल हुये हैं ?

(३) पोलीटेक्निक स्कूल चलाने का सरकार का उद्देश्य क्या है और प्रशिक्षित विद्यार्थियों को समाज में और राज्य में उपयोगी बनाने की दिशा में क्या योजना है तथा यह भी बतलावें कि राज्य सरकार अपनी योजना में कहां तक सफल हुई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) राजस्थान में ६ पोलीटेक्निक अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में चल रहे हैं। इनमें कुल २३६७ छात्रों को (क्रमशः ५२६, ३४७, २६६, ५४८, ३७० व २८०) शिक्षा मिल रही है।

(२) पिछले तीन सालों में १६६१ विद्यार्थी इन पोलीटेक्निक से शिक्षा ग्रहण करके निकले जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७
५१३	५४५	६०३

रोजगार प्राप्त छात्रों सम्बन्धी सूचना शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(३) राज्य सरकार की तकनिकी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी डिप्लोमा पास करके सरकारी नौकरियां व प्राइवेट फर्मों में काम करें। छात्र निजी उद्योग भी चला सकते हैं तथा अन्य उद्योगों में भी नौकरी कर सकते हैं।

Page No. 27

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मेन प्रश्न यह है कि इनको किस तरह एम्पलॉय कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब ठीक नहीं दिया गया है। इसका जवाब ठीक दिलाया जाय नहीं तो इसको पोस्टपोन किया जाय। एक-एक हजार आदमी अन-एम्पलॉयड पड़े हैं। उनको एम्पलॉयमेन्ट नहीं मिला है। इसको अभी पोस्टपोन किया जाय या सैटिस्फैक्टरी जवाब दिलाया जाय।

श्री धीरसिंह : इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं। एम्पलॉयमेन्ट विभाग से आंकड़े मिल सकते हैं कि कितने एम्पलॉय हुए और कितने नहीं हुए? शिक्षा विभाग से ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप सम्बन्धित मन्त्री महोदय से उसकी जानकारी करके बतायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि सरकार ने इसमें जो प्रवेश की संख्या है उसको इस आधार पर कम किया है कि इसमें बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। इस कारण प्रवेश संख्या कम की है?

श्री धीरसिंह : यह सही है कि पहले से पास हैं उनको एम्पलॉयमेन्ट नहीं मिल पा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने ऐसी खबर के आधार पर जानकारी प्राप्त नहीं की, स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे नहीं किये कि कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला? आखिर कोई रिपोर्ट आपने मांगी होगी? किस आधार पर निर्णय करना चाहते हैं?

श्री धीरसिंह : प्रश्न के अन्दर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पोजीशन यह है कि पहले से पास किये हुए लड़कों को रोजगार नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) प्रश्न-कर्ता।

श्री जुझारसिंह : आपके ६ पोलीटेक्निक स्कूल खोलने के आधार क्या हैं? क्या आपने यह नहीं सोचा कि कितना एम्पलॉयमेंट पोटेन्शियल है इस स्टेट में? क्या आपने यह कभी अन्दाज नहीं लगाया?

श्री धीरसिंह : जो स्टेट में पोटेंशियेलिटी है उसमें रोजगार मिल जाता है, जो इसमें पढ़े हुए लड़के हैं वे अपना रोजगार ले सकते हैं। वे प्राईवेट एन्टरप्राईज में भी एम्पलॉयमेन्ट ले सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा दी जाती है। ट्रान्सपोर्ट एन्टरप्राईज के अन्दर स्लम आने की वजह से आगे रोजगार नहीं दिया गया। कुछ फाइनेन्स की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी एम्पलॉयमेन्ट नहीं दिया गया। प्राईवेट एन्टरप्राइज में भी एब्जार्ब किये जा रहे हैं। यह नहीं है कि हम नौकरी के लिये शिक्षा देते हैं, वे खुद भी एन्टरप्राईज चला सकते हैं, इन्डस्ट्री खोल सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : सेल्फ एम्पलॉयमेन्ट की क्या शिक्षा दी गई है? एम्पलॉयमेन्ट पोटेंशियल के हिसाब से कितना स्टेट में एम्पलॉयमेन्ट मिलने वाला है?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री धीरसिंह : इन्डस्ट्री खोल सकते हैं, सरकार मदद करती है, कॉपरेटिव सोसाइटी

(श्री बीरसिंह)
बना सकते हैं। उनको फैसिलिटीज देते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : शिक्षा विभाग ने जब पोलीटेक्निक स्कूल खोले तो उससे पहले कोई योजना तो होगी ? किस जगह क्या काम दिया जायगा या बिना योजना के स्कूल खोले ?

श्री बीरसिंह : नौकरी के आधार पर नहीं खोले गये हैं। वे खुद भी एन्टरप्राइज खोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हनुमानगढ़ तलवाडा घग्घर तल क्षेत्र में नलकूपों को बिजली

१०१. श्री बीरबल (मांगरिया-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अब तक श्री गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ तलवाड़ा घग्घर तल क्षेत्र में कितने नलकूपों को विद्युत् सम्बन्ध दिये गये हैं ? और कितने प्रार्थना-पत्र विद्युत् सम्बन्ध हेतु विचाराधीन है ?

(२) क्या इन नलकूपों के मालिकों से विद्युत सम्बन्ध देने के पहले गारन्टी लिखाई गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कहां-कहां ?

(३) क्या इन नलकूपों को विद्युत् रात्रि को १० बजे से सुबह ६ बजे तक ही दी जाती है ? यदि हां, तो क्या इस अल्प समय के विद्युत् प्रयोग से नलकूपों के मालिकों से लिखाई गई गारन्टी पूरी हो सकेगी ?

(४) क्या विद्युत् सम्बन्ध हेतु नलकूपों के मालिकों के प्रार्थना-पत्र तीन वर्ष से भी पुराने हैं ? यदि हां, तो कितने और इनको विद्युत् सम्बन्ध कब दिया जा सकेगा ?

उत्तर

१. (अ) विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये हैं।

(ब) करीबन ६६ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

२. (अ) करीब-करीब सबसे ली गई है।

(ब) इच्छित-सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. (अ) जी नहीं। मार्च से सितम्बर तक केवल अत्यधिक-भार के पीक लोड हावर्स तीन घंटे रात्रि शाम को ६ बजे से ६ बजे तक के समय के अलावा पूर्ण समय में कृषि कार्य हेतु बिजली दी जाती है। केवल अक्टूबर से फरवरी तक इस क्षेत्र में मिल सीजन चलने के कारण तथा विद्युत् की कमी के कारण रात्रि को ६ बजे से सुबह ८ बजे तक बिजली दी जाती है।

(ब) जी हां।

४. (अ) जी नहीं।

(ब प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

Page No. 29

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विशेष योग्यता के आधार पर पुनर्नियुक्ति

९४. श्री रामकिशन (डेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कुल कितने आर. ए. एस. आफिसर ५५ साला रोक को लागू करने के बाद माह जून, १९६७ में रिटायर हुए हैं ?

(२) क्या कुछ अफसरों को विशेष योग्यता के आधार पर सरकार ने पुनः नौकरी में रखा है ? अगर हां, तो कृपया उनका पूरा विवरण, योग्यता सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) ५५ वर्ष की आयु होने पर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश १ जुलाई, १९६७ से लागू किये गये थे । अत: इस आदेश के तहत किसी अधिकारी को माह जून, १९६७ में सेवा निवृत किया जाने का प्रश्न ही नहीं उठता तथापि इस आदेश के फलस्वरूप आर. ए. एस. अधिकारी १ जुलाई, १९६७ से सेवा निवृत हुए ।

(२) उपरोक्त ३९ अधिकारियों में से किसी को भी फिर से राज्य सेवा में नियुक्त नहीं किया गया है ।

चूरू जिले में कृषि उत्पादन के लिये बिजली

९५. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में चूरू जिले में कृषि उत्पादन हेतु बिजली ग्रामीण क्षेत्र को दिये जाने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का कौनसा अंश पूरा किया जाना राज्य सरकार को मंजूर है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) अभी योजना नहीं बनी है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य बीमा विभाग की इमारत

९६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिये अच्छे होटलों की जयपुर में आवश्यकता है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य बीमा विभाग की वर्तमान इमारत होटल कायम करने की गरज से बनाई गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस इमारत में ६० कमरों के साथ गुसलघर जुड़े हुए हैं और उनमें ऊंचे दर्जे की सेनिटरी फिटिंग है जो अच्छे होटल के लिये अत्यावश्यक है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य बीमा विभाग को इतनी बड़ी इमारत की जरूरत भी नहीं है ? यदि हां, तो फिर इस इमारत को होटल में क्यों नहीं बदला जाता है तथा बीमा विभाग के लिये दूसरी इमारत का प्रबन्ध क्यों नहीं कर दिया जाता ?

उत्तर

(१) जी हां, अच्छे होटल टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक होंगे ।

(मुख्य मंत्री)

(२) जी हां।

(३) इस इमारत में ५३ कमरे हैं जिनमें से १४ कमरों के साथ अंग्रेजी टाइप के सैनेटरी फिटिंग और ३८ के साथ देशी सैनेटरी फिटिंग है। ये फिटिंग ऊंचे दर्जे की नहीं कहलाई जा सकती है, परन्तु अच्छी किस्म की अवश्य है।

(४) यह सही नहीं है। राज्य बीमा विभाग के मुख्य कार्यालय जयपुर में ९ अधिकारी व ४९२ कर्मचारी कार्य करते हैं। समस्त कमरे इस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों एवं रेकार्ड के लिये अति-आवश्यक हैं और कोई स्थान रिक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार के पास कोई इतनी बड़ी इमारत या स्थान उपलब्ध नहीं है जो बीमा विभाग को दिया जा कर यह इमारत होटल के लिये ले ली जाय।

ग्राम डिमसलर पुरोहितान में सिंचाई के लिये बिजली

९७. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा-सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर जिले के ग्राम डिमसलर पुरोहितान में कृषि सिंचाई के लिये कुए में कनेक्शन लेने के लिये क्या कोई प्रार्थना पत्र आये थे? यदि हां, तो सन् १९६२ से आज तक कितने और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(२) क्या यह सही है कि कुए में पम्पिंग सेट लगाने का सारा सामान वहां की पंचायत के पास तैयार है केवल कनेक्शन नहीं मिलने के कारण काश्तकारों को उपज बढ़ाने का नुकसान भोगना पड़ रहा है?

(३) क्या यह सही है कि जिस कुए में कनेक्शन लेना चाहते हैं वहां से थ्री फेस लाइन ५० फीट दूर है? यदि हां, तो फिर आज तक कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं?

(४) क्या अब सरकार कनेक्शन देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो इस कुए में कब तक कनेक्शन लग जायेगा? अगर नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

(१) केवल तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जो डिमान्ड नोटिस के बावजूद भी रकम न मिलने से फाइल कर दिये गये।

(२) इस विषय में यह अनभिज्ञता है। जहां तक विद्युत् मण्डल का प्रश्न है, एल फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(३) मौजूदा लाइन में लगे हुए तारों को बदल कर मोटे साइज के तार लगाये जाने जरूरी है। डिमान्ड नोटिस की रकम प्राप्त न होने के कारण कनेक्शन देने में असमर्थता है।

(४) डिमान्ड नोटिस की रकम जमा करवाने, एल फार्म एवं प्रतिभू देने आदि की आवश्यक औपचारिकता पूरी होने पर कनेक्शन दिया जा सकेगा।

फ्यूजों को बदलने के लिए लेबर चार्जेज की वसूली

९८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल द्वारा बीकानेर जिले में विद्युत् उपभोक्ताओं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

से रेल एवं मोटर दोनों के जलने वाले फ्यूजों को बदलने के लिए लेबर चार्ज लिया जाता है और क्या रेल पर जलने वाले फ्यूज का लेबर चार्ज लेना नियमों के विरुद्ध है ?

(२) अगर हां, तो यह गलत राशि विद्युत् मण्डल कब से ले रहा है और आज तक कितनी राशि ले ली गई है ?

(३) क्या गलत तरीके से ली गई उपरोक्त राशि उपभोक्ताओं को वापिस करदी जायगी ? अगर हां तो कब तक तथा किस विधि से ?

(४) क्या यह सत्य है कि फ्यूज जलने पर उपभोक्ताओं को सब-स्टेशन पर लिखित, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है ? अगर हां, तो जनता की सुविधा के लिये प्रत्येक सब-स्टेशन पर शिकायत पंजिका की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, जिसमें विद्युत् मण्डल का कर्मचारी शिकायत लिखे एवं उपभोक्ता के अथवा शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर ले ले ?

उत्तर

१. (अ) जी हां।

(ब) यदि उपभोक्ता के उपकरणों में खराबी के कारण पोल का फ्यूज उड़ जाता है तो उसे पुनः लगाने के लिये चार्जेज लेना नियमानुकूल है ।

२. प्रश्न ही नहीं उठता ।

३. प्रश्न ही नहीं उठता ।

४. (अ) जी नहीं।

(ब) सब-स्टेशनों पर शिकायत पंजिका की व्यवस्था है उसमें तमाम शिकायतें बोर्ड का कर्मचारी लिखता है ।

काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन

९९. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन लेने के लिये कितना रुपया जमा करवाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि नये आदेशों के माफिक सरकार ने किसानों से १५०। रुपये अग्रिम जमा करने का फैसला किया है जो उसके खर्च में धीरे-धीरे मुजरा लगता रहेगा ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

(३) अग्रिम रकम जमा करने का नियम और किन-किन व्यवसायों पर लागू किया गया है और कितना-कितना ?

उत्तर

१. जमा करवाये जाने वाली रकम कनेक्शन के विद्युत् भार पर निर्भर है, जो इस प्रकार है:—

१० अश्व शक्ति तक	२००) रु०
१० अश्व शक्ति से ऊपर २५ अश्व शक्ति तक	३००) रु०
२५ अश्व शक्ति से ऊपर	५००) रु०

२. (अ) उपरोक्त नियम के अतिरिक्त मण्डल ने केपिटल कन्ट्रीब्यूशन इन दी चेक ऑफ एडवान्स डिपोजिट और कन्जूमर चार्जेज फॉर इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ वेल्स

(श्री मुख्य मंत्री)

के नाम से एक और योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार कोटा और जयपुर वृत्त में ५ अश्व शक्ति के लिए १५०० तथा उसके उपरान्त प्रत्येक ५ अश्व शक्ति अथवा उसके किसी भी अंश के लिए ५०० रु० अग्रिम जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। जोधपुर एवं बीकानेर वृत्त के लिए यह रकम २००० रु० ५ अश्व शक्ति तक तथा उसके उपरान्त प्रत्येक ५ अश्व शक्ति अथवा उसके किसी अंश के लिए १००० रु० रखी गई है।

(ब) यह योजना कृषि हेतु अधिक कनेक्शन देने की दृष्टि से एवं उन किसानों की सुविधा के लिए कराई गई है कि जो सामान्य प्राथमिकता से पहले कनेक्शन लेने के इच्छुक हों।

३. कृषि के अलावा और किसी व्यवसाय पर ऐसी योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि अन्य सब प्रकार के कनेक्शन, उन पर लगने वाले खर्चे को नियमानुसार लेने पर ही दिये जाते हैं जबकि कृषि हेतु कनेक्शन उन पर वास्तविक होने वाले खर्चे से बहुत कम चार्जेज लेकर दिये जाते हैं। औसतन एक कृषि हेतु कनेक्शन देने पर करीब ३५००) रु० खर्चा आता है जबकि चार्जेज केवल २००) और ५००) रुपये के बीच में ही लिया जाता है।

फालना में कुओं पर बिजली

१००. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फालना बिजली घर (जिला पाली) के लिये सन् ६६-६७ में ६५ कुओं पर बिजली देने हेतु पैसा बहुत देरी से मिला। अतः ३१ मार्च, ६७ तक ३८ कुओं को ही बिजली दी जा सकी? यदि हां, तो कितनी देरी से यह पैसा कब और कितना दिया गया?

(२) सन् ६७-६८ हेतु फालना बिजली घर को केवल २० कुओं को ही बिजली देने हेतु पैसा मिला? यह पैसा कब व कितना दिया गया?

(३) क्या इस वर्ष अच्छी वर्षा से कुओं में काफी पानी है और बहुत से लोगों ने कुओं पर बिजली लेने हेतु सम्बन्धित पैसा भी भर दिया है? ऐसे कितने कुओं के लिये बिजली हेतु पैसा फालना बिजली घर के पास जमा हो चुका है? उन शेष पेंडिंग कुओं को बिजली कब तक दी जायेगी?

(४) क्या यह सही है कि फालना बिजली घर के लिये न तो अब और कोई पैसा शेष रह गया है और न कुओं पर देने हेतु बिजली ही है? क्योंकि बिजली घर ओवर लोडेड चल रहा है।

(५) क्या उन सब कुओं को भी बिजली दी जायेगी जो कि अब भी आवश्यक पैसा भर देंगे?

उत्तर

१ (अ) १९६६-६७ में कुओं को बिजली देने हेतु फालना डिवीजन को प्रथम दिनांक ३-५-६६ को रु० ४,०६,००० प्रदान किये थे एवं दिनांक ३-२-६७ को यह राशि बढ़ाकर ६,५०,००० रु० कर दी थी। दिनांक ३१-५-६७ तक फालना सब डिवीजन में १४३ कुओं को बिजली दी गई है।

Page No. 33

(श्री मुख्यमंत्री)

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता ?

२. १९६७-६८ में फालना डिविजन को दि० ३१-५-६७ को कुओं पर विद्युत् देने हेतु रु० १,००,००० की राशि दी गई एवं १-९-६७ को यह राशि रु० २,००,००० कर दी गई। इस राशि से फालना डिवीजन में ९८ कुओं को बिजली दी गई।

३. (अ) ३१-३-६८ तक फालना डिवीजनल में ६३८ एप्लीकेशन्स कुओं के विद्युतीकरण के लिये पैंडिंग थी।

(ब) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) जी नहीं। इस वर्ष फालना डिविजन को ५० कुओं को बिजली देने हेतु रु० १,७५,००० प्रदान किया है। हां फालना बिजली घर की क्षमता इतनी नहीं है कि उससे अधिक भार वहन कर सके।

(५) बिना किसी विशिष्ट मामले की जांच किये निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम मादा में बिजली

१०१. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मादा, तहसील देसूरी, जिला पाली में कुओं को बिजली देने हेतु ५ खंभे खड़े किये जा चुके हैं ? ये खम्भे कब खड़े किये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि मादा ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया गया है ऐसे आशय का तार ता० ३१ मार्च, १९६७ को फालना के असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने सरकार को (जयपुर) दे दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मादा ग्राम के विद्युतीकरण वाली बात असत्य है ? ऐसा झूठा तार देने का प्रयोजन क्या था ?

(३) ग्राम मादा के विद्युतीकरण किये जाने हेतु १९६६-६७ में कितना बजट स्वीकृत हुआ था ? यदि ग्राम मादा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो स्वीकृत बजट की शेष राशि का उपयोग कहां किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। ६ खम्भे ता० ३१-३-६७ को लगा दिये गये थे।

(२) जी हां।

(३) तार झूठा नहीं था क्योंकि मादा ग्राम का विद्युतीकरण ४४० वोल्ट्स पर कर दिया गया था।

ग्राम मादा के विद्युतीकरण के लिये अलग से कोई प्रावधान नहीं था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फालना-देसूरी बिजली की लाइन

१०२. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि फालना-देसूरी विद्युत् लाइन वाया सादड़ी ले जाने की योजना बनी थी ? यदि हां, तो सादड़ी तक ही यह लाइन पहुँचाई जाकर बन्द क्यों कर दी गई ? अब देसूरी तक यह लाइन कब तक पहुँचा दी जायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि "फालना-देसूरी" वाया सादड़ी की लाइन का बजट

(श्री फूलचन्द बाफना)

स्वीकृत हो चुका था ? यदि हां, तो सादड़ी से देसूरी तक लाइन नहीं खींची गई उस बजट का उपयोग कहां हुआ ? यदि इसी बजट का उपयोग अन्यत्र हुआ हो, तो वहां से उस बजट को रद्द करने का कारण क्या ?

उत्तर

१. (अ) जी हां ।

(ब) धनाभाव के कारण ।

(स) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

२. (अ) केवल इसी लाइन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था ।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिलों की जीपों को ड्राइवरों के न चलाने से क्षति

१०३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जिन-जिन जिलों में जीपें दे रखी हैं क्या उनके लिए ड्राइवर भी दिए हुए हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि गाड़ियों को ड्राइवर लोग खुद न चला कर राज्य के अन्य कर्मचारी भी चलाते हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि राज्य के कर्मचारीगण गाड़ियों को ठीक न चला कर कई बार गाड़ियों को क्षति पहुंचाते हैं जिससे राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार पुनः ऐसी आज्ञा निकालने का इरादा रखती है कि गाड़ियों को केवल ड्राइवर ही चलाया करें, अन्य राज्य कर्मचारी नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) यद्यपि इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश पहिले से ही हैं, फिर भी आज्ञा पुनः निकाल दी गई है ।

कस्बा लाडनूं की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं

१०४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में जो शिक्षा विभाग से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें हैं वे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं ? यदि हां, तो उनके रजिस्टर्ड विधानों की प्रतियें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

रजिस्टर्ड विधानों की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

माध्यमिकशाला निम्बाहेड़ा का भवन

१०५. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेड़ा माध्यमिकशाला में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(२) उक्त शाला के भवन की क्षमता (कैपेसिटी) कितने छात्रों की है ?

(३) क्या यह सही है कि बैठने की क्षमता कम होने के कारण वहां दो शिफ्ट चलते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि दो शिफ्ट होने के कारण सर्दी के मौसम में भी छोटे-छोटे बालकों को प्रातः ६.३० बजे स्कूल के लिये घर से निकलना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कमरे और अधिक बढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है ?

उत्तर

(१) सत्र १९६७-६८ में छात्र संख्या ६८० थी।

(२) यह स्कूल इस साल से हायर सैकेन्डरी स्कूल होगया है, अतः भवन अपर्याप्त है।

(३) जी हां।

(४) जी हां। अर्थाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

अजमेर के स्कूल

१०६. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६८ में प्रारम्भ होने वाले सत्र से अजमेर में कई स्कूल बन्द कर दिये गये हैं ?

(२) क्या अन्य स्थानों पर भी स्कूल बन्द किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या अजमेर में जो स्कूल बन्द किये गये हैं उनके अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करके अन्य स्थानों पर लगाया जायेगा? यदि हां, तो अब तक कितने अध्यापकों को लिया जा चुका है और कितने बाकी हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. अजमेर में चल रही दो सहायता प्राप्त संस्थायें—१. 'हिन्दू धर्म उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजमेर, २. राष्ट्रीय प्रेम विद्यालय (उच्च प्राथमिक वि०) अजमेर के प्रबंधक समिति में कई दिनों से गतिरोध उत्पन्न होने के कारण उक्त विद्यालयों को विभाग द्वारा मान्यता दिनांक १-७-६८ से रद्द करदी गई है।

२. जी नहीं।

३. इस सम्बन्ध में निरीक्षक एवं अपर निदेशक के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। मामला विचाराधीन है।

सरदारशहर के अध्यापकों को महंगाई भत्ता

१०७. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिला स्थित सरदारशहर में अनिवार्य शिक्षा स्कूलों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता कितना और कब से मिलता है ?

Page No. 36

(श्री लाभचन्द वैद)

(२) चूरू जिला स्थित अन्य अनिवार्य शिक्षा शालाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ता कितना मिलता है ?

उत्तर

१-२. अनिवार्य शिक्षा पाठशाला, सरदार शहर समेत चूरू जिले की सभी अनिवार्य शिक्षा पाठशालाओं के अध्यापकों को विभाग ने वित्तीय वर्ष १९६७-६८ से वे दरें लागू कर स्वीकृति दे दी है जो राज्य सरकार की पाठशालाओं में लागू है। अतः सभी अनिवार्य शिक्षा पाठशालाओं के लिये समान दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना अनिवार्य है।

ग्राम नेछवा के स्कूल में विज्ञान के विषय की पढ़ाई

१०८. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिला स्थित नेछुआ ग्राम में स्कूल निमित्त किसी दानवीर ने डेढ़ लाख रुपया खर्च करके इमारत बनवा कर सरकार को प्रदान की ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिडिल स्कूल को उसी दानदाता ने बीस हजार रुपया एक वर्ष का खर्च सरकार को देकर मिडिल से हायर सैकेन्ड्री स्कूल में परिणत करवाया ?

(३) क्या यह सही है कि उसी दानदाता ने उपरोक्त स्कूल निमित्त दस हजार रुपया प्रदान कर स्कूल में कॉमर्स का विषय खुलवाया ?

(४) क्या यह सही है उपरोक्त स्कूल में सरकार ने कामर्स विषय बन्द कर दिया ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल में कामर्स विषय बन्द करने से दानदाता ने अपनी दी हुई धनराशि सरकार से वापिस मांगी ?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त विषय में दानदाता ने धनराशि जो कि कॉमर्स पढ़ाने के लिये प्रदान की थी वापिस मांगने पर सरकार के किसी अधिकारी ने उस दानदाता को यह लिखा कि अगर यह धनराशि वापिस न ली तो कॉमर्स के स्थान पर विज्ञान का विषय अगले सत्र में ही खोल दिया जावेगा ?

(७) क्या यह सही है कि उस सरकारी अधिकारी के पत्र के आधार पर उस दानदाता ने अपनी धनराशि का उपयोग विज्ञान विषय खोलने के लिये करने की अनुमति दे दी ?

(८) उस दानदाता ने कॉमर्स के लिये दस हजार रुपये कब जमा कराये ? सरकार ने कब कॉमर्स विषय बन्द किया ? दानदाता ने कब धनराशि वापिस मांगी ? सरकारी अधिकारी ने विज्ञान का विषय खोलने का पत्र कब दिया ? दानदाता ने कब स्वीकृति प्रदान की ? क्या उस स्कूल में विज्ञान का विषय पढ़ाना शुरू हो गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(श्री शिक्षामंत्री)

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) शिक्षा सत्र १९६७-६८ में शिक्षा सत्र १९६६-६७ मे १०-१-६६ को २-९-६६ को ११-४-६७ को चालू शिक्षा सत्र १९६८-६९ से विज्ञान विषय प्रारंभ कर दिया गया है।

ब्यावर में शिक्षा की व्यवस्था

१०९. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ब्यावर की शिक्षण संस्थाओं की माध्यमिक कक्षाओं में कुल कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं? कृपया शिक्षण संस्थावार छात्रों की संख्या बताइये ?

(२) ब्यावर में कुल कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और इनमें कुल कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं? कृपया प्रत्येक शिक्षण संस्था की प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बताइये।

(३) क्या छात्रों की संख्याओं को देखते हुए सरकार ब्यावर में दो माध्यमिक विद्यालय और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शीघ्र खोलने की समस्या पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) अगले वर्ष अन्य ऐसे ही स्कूलों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

उच्च माध्यमिक विद्यालय, कठूमर में स्टाफ की कमी

११०. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कठूमर उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम अलवर जिले में सर्वोत्तम रहता है परन्तु इतना होने पर भी स्टाफ की कमी है तथा जो स्टॉफ है वह भी क्वालीफाइड नहीं है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़लीगंज जिसका परीक्षा परिणाम कठूमर से अच्छा नहीं रहता वहां पर टीचिंग स्टॉफ क्वालीफाइड है तथा आवश्यकता से अधिक भी है ?

(३) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की हुई है ?

उत्तर

(१) इस वर्ष माध्यमिक विद्यालय, कठूमर के सेकेन्डरी परीक्षा का परिणाम ८६ प्रतिशत रहा है तथा तीन छात्र पूरक परीक्षा में आये हैं। परन्तु विद्यालय में स्टाफ स्वीकृत बजट के अनुसार पूरा एवं क्वालीफाइड है।

(२) इस वर्ष माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली का परीक्षा परिणाम ७१.२५ प्रतिशत रहा है तथा ६ विद्यार्थी पूरक परीक्षा में

Page No. 38

(श्री शिक्षामंत्री)

सम्मिलित हुये हैं। लेकिन विद्यालय का स्टाफ आवश्यकता के अनुसार है तथा आवश्यकता से अधिक नहीं है।

(३) व्यवस्था ठीक है।

जिला बोर्डों के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट

१११. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बोर्डों के सन् ५४-५५ के अध्यापकों को शिक्षा विभाग की सीनियोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं दिया गया है जबकि जिला बोर्डों के अन्य कर्मचारियों को उनसे सम्बन्धित राजकीय विभागों में ले लिया गया है ?

उत्तर

(१) जिला बोर्डों के जो अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थानान्तर हुए हैं उन्हें वरिष्ठता सूचियों में पहले ही ले लिया गया है जिसका राजकीय आदेश संख्या एफ. ६ (सी) (५९) शिक्षा (प्र०२) ६५, दिनांक ९-९-६५ के अनुच्छेद १६ में प्रावधान किया हुआ है।

हाई स्कूल, जहाजपुर के भवन की मरम्मत

११२. श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु.) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर हाई स्कूल बिल्डिंग विभागीय संरक्षण में है ? यदि हां तो इसकी देखरेख क्यों नहीं की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भवन मरम्मत के अभाव में बरसात में टपकती है और छात्रों को परेशानी होती है ? यदि हां तो मरम्मत कब तक हो सकेगी ?

उत्तर

(१) यह सत्य है।

(२) धनाभाव के कारण गत दो तीन वर्षों में इसकी मरम्मत करना संभव नहीं हो सका है। इस वर्ष मरम्मत के लिये कुछ धनराशि दी जा रही है।

धातु, पत्थर व कोयले की खानें

११३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कौन-कौन से धातु व पत्थर व कोयले की कितनी-कितनी खान हैं और कहां-कहां हैं ?

(२) प्रत्येक खान से कितना-कितना धातु व पत्थर, कोयला प्रतिवर्ष निकलता है ?

(३) उपरोक्त खानों पर कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं ?

उत्तर

राजस्थान में पाये जाने वाले धातु सीसा, जस्ता, तांबा, वुलफ्रेम, लोहा एवं मैंगनीज हैं। इन धातुओं की खानें १९६६-६७ की स्थिति के अनुसार इस प्रकार थी–(१) सीसा जस्ता, (२) तांबा, (३) मैंगनीज की छः, (४) लोहे की सोला, (५) वुलफ्रेम की एक है। राजस्थान में कोयले की खान एक है। इन धातुओं की खानें यथा:—

सीसा, जस्ता उदयपुर जिले में जावर के पास, तांबा झुन्झुनू जिले में खेतड़ी एवं

Page No. 39

(श्री खनिजमंत्री)

अलवर जिले में सेवपुरी के पास, मैंगनिज जिला बांसवाड़ा में संगन काला बूटा आदि के पास एवं रेमासा जिला सवाई माधोपुर में, लोहा जयपुर जिले में बासनी, भुरीजा श्री नगरियान, नीमला आदि के समीप एवं उदयपुर जिले में नथारा की पाल के पास एवं फ्रेम नागौर जिले में डेगाना के पास है। राजस्थान में पाये जाने वाले पत्थरों में संगमरमर, चूना, पत्थर, बलुवा पत्थर एवं चिनकारी पत्थर मुख्य हैं। राजस्थान में पत्थरों की कुल खानें १९६६-६७ की स्थिति के अनुसार ११४४ हैं। इनमें संगमरमर के पत्थर की खानें नागौर जिले में मकराना के समीप, सिरोही जिले में ठेके खंडेरा में, पाली में जादरी के पास, अजमेर जिले में किशनगढ के पास एवं बूंदी जिले में उमर के पास है। चूना पत्थर की खानें नागौर जिले में मूंडवा गोटन के पास, पाली जिले में सोजत के पास, सिरोही जिले में आबू के पास, चित्तौड़ जिले में निम्बाहेड़ा के पास, कोटा जिले में रामगंजमंडी के पास, बुन्दी जिले में तालाब गांव लाखेरी, सवाई माधोपुर जिले में फलोदी के पास, जयपुर जिले में जमवारामगढ़ के पास एवं सीकर जिले में मांवड़ा के पास है। बलुवा पत्थर व चिनकारी पत्थर की खाने प्रायः राजस्थान में सर्वत्र हैं। परन्तु मुख्यरूप से बलुवा पत्थर की खाने कोटा जिले में कोटा एवं मोडक के पास, बून्दी जिले में धनेश्वर के पास, सवाई माधोपुर जिले में हिन्डोन व करौली के पास, भरतपुर जिले में बयाना, बन्द बरेठा धौलपुर भीलवाड़ा जिलों में मांडलगढ़ के पास, जोधपुर जिले में फिदूसर के पास, पाली जिले में सोजत के पास, नागौर जिले में लाड़नूं व खाटू के पास एवं बीकानेर जिले में दलमेरा के पास है।

कोयला की खान राजस्थान में बीकानेर जिले में पलाना के समीप है।

२. गत वर्ष के आंकड़ों के अनुसार इन खनिजों का उत्पादन निम्नानुसार है:—

(१) सीसा	३६००	मेट्रिक टन
(२) जस्ता	८७००	,,
(३) तांबा	३६००	किलो
(४) वुलफ्रेम	२२	मेट्रिक टन
(५) लोहा	—	—
(६) मैंगनीज	१०,२००	मेट्रिक टन
(७) कोयला	२१००	,,
(८) पत्थर	—	—
(ए) इमारती पत्थर	७१,४५,३२१	मेट्रिक टन
(बी) चूना पत्थर	७,६५,९७३	,,
(सी) संगमरमर	६७,०३१	,,

इन खानों में श्रम करने वाले मजदूरों की औसतन संख्या ७४६८८ है।

ग्राम चांदली आयुर्वेदिक औषधालय की मांग

११५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष १९६७-६८ में कितने नये आयुर्वेद चिकित्सालय खोले गये ? कृपया जिलेवार एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) आयुर्वेद विभाग द्वारा नये चिकित्सालय खोलने के क्या नियम एवं आधार हैं ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजयसिंह)

(३) क्या यह सही है कि ग्राम चांदली, जो कि ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर भी है तहसील देवली, जिला टोंक में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देवली ने इस ग्राम में आयुर्वेद औषधालय खोलने के लिये प्रस्ताव विभाग को भेज रखा है ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय ग्राम पंचायत औषधालय व चिकित्सक दोनों के लिये भवन की व्यवस्था करने को तैयार है ? यदि हां, तो फिर सरकार को इसको स्वीकृति देकर स्थापित करने में क्या एतराज है ?

उत्तर

(१) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष १९६७-६८ में २५ नये चिकित्सालय एवं ६६-६७ के कोटे के बचे हुए ३ औषधालय खोले गये, जिनकी सूची ग्रामवार एवं जिलेवार संलग्न है।

(२) आयुर्वेद विभाग द्वारा नये चिकित्सालय खोलने के कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं। साधारणतया पांच मील की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो, निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध हो तथा पूरे जिले की कुल आबादी को दृष्टिगत कर प्रति १०,००० की आबादी पर एक औषधालय होने के सिद्धान्त के आधार पर नये औषधालय खोले जाते हैं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, विभाग को इस वर्ष कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(५) स्थानीय ग्राम पंचायत औषधालय एवं चिकित्सक दोनों के लिये भवन देने को तैयार है इसकी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

यथा समय जिला परिषद् से निःशुल्क भवन व्यवस्था सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला की जनसंख्या के आधार को देखते हुए विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

चाड़वास में आयुर्वेदिक औषधालय

११५. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चाड़वास में आयुर्वेदिक औषधालय के लिये जनता ने धनराशि प्रदान की थी ? अगर हां, तो कितनी ? सरकार ने कितना रुपया लगाया ? क्या वह औषधालय तैयार हो गया है ? क्या आज तक के कार्य का हिसाब ले लिया गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, चाड़वास में आयुर्वेदिक औषधालय के लिये जनता ने धनराशि प्रदान की इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही सरकार ने कोई धनराशि लगाई है। अतः हिसाब का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कृषि वर्कशॉप, झोटवाड़ा

११६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि विभाग की तरफ से झोटवाड़ा में चल रही कृषि

(श्री हरजीराम बुरड़क)
वर्कशॉप शुरू होने के पश्चात् आज तक घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो सालवार कितना नुक्सान रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह वर्कशॉप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये खोली गई थी और उक्त उद्देश्य की पूर्ति में यह वर्कशॉप कहां तक सफल रही है ? इसका विश्लेषण सरकार ने कब तक किया और उसका नतीजा सरकार के सामने क्या आया ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस वर्कशॉप में हो रहे नुक्सान के कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके फलस्वरूप यह वर्कशॉप उत्तरोत्तर घाटे की ओर जा रही है ?

(४) इस वर्कशॉप के शुरू होने के बाद आज तक कितना-कितना माल कब-कब वर्कशॉप में काम में आने के लिये खरीदा गया और यह माल कब-कब काम में आया तथा खरीद का आदेश देते वक्त स्टॉक पोजीशन क्या-क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह भी सत्य है कि उक्त वर्कशॉप में कुछ मशीनें, वाहन आदि ऐसे भी खरीदे गये जो खरीदने के बहुत समय बाद तक काम में नहीं आये ? यदि हां, तो कौन-कौन सी मशीनें व वाहन हैं जो खरीदने के बाद बहुत समय तक काम में नहीं आये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और उसमें यह भी बतायें कि सामान कितने-कितने समय तक काम में नहीं आया ?

(६) राज्य सरकार ने इस वर्कशॉप को नुक्सान में जाने से बचाने के लिये क्या-क्या किया तथा उनका नतीजा क्या रहा ?

(७) भविष्य में इस वर्कशॉप को चलाने के लिये सरकार का क्या विचार है तथा उसमें क्या-क्या सुधार किया जायेगा ?

उत्तर

(१) कृषि यंत्रालय सन् १९६१-६२ में प्रारम्भ हुआ था और सन् ६१-६२ में और ६२-६३ में साधारण शुद्ध लाभ हुआ था तथा इसके पश्चात् साधारण हानि हुई।

(२) यंत्रालय की स्थापना के मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त कृषि यंत्रों का विकास उनका आवश्यकतानुसार उत्पादन उनका किसानों में प्रसार करना। इसके अतिरिक्त इस यंत्रालय के निम्नलिखित यह उद्देश्य भी हैं—१. कृषि यंत्रों का सही रख-रखाव और मरम्मत, २. कृषि के अन्य उपकरणों एवं अन्य आवश्यक साधनों का विभाग व कृषकों के लिये निर्माण। इन उद्देश्यों की पूर्ति में यह यंत्रालय काफी हद तक सफल रहा है।

(३) राज्य शासन को इस यंत्रालय की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान है।

(४) यंत्रालय में माल एवं मशीनों के हिस्से समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रय होते हैं और यंत्रालय में कुल ५,००० से अधिक वस्तुएं, कच्चा माल उपयोग में आता है यह देखते हुए इतने अल्पकाल में सम्भव नहीं है कि पिछले ७ वर्षों में क्रय की सूची बनाई जा सके। यह सारे क्रय महालेखाकार द्वारा नियमित रूप से जांचे जाते हैं।

(५) यंत्रालयों में ५० मशीनें हैं जिनमें से अपने क्रय काल से ४६ काम कर रही हैं और केवल चार मशीनें ऐसी हैं जो समय पर चालू नहीं हो सकी, वे ये हैं:—

१. वे ब्रिज (२० क्विन्टल-क्रय मार्च, सन् ६७)
२. जेनेरेटिंग सेट्स-क्रय नवम्बर, ६६

(श्री कृषि मंत्री)

३. मोल्डिंग मशीन क्रय, मई ६७

४. डाईसकिंग मशीन क्रय, मार्च ६७

६. जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस कृषि यंत्रालय के उद्देश्य एवं इसके द्वारा कृषकों को दिये गये उक्त उपकरणों एवं यंत्रों की सेवाओं को देखते हुए इस यंत्रालय ने विशेष घाटा नहीं उठाया।

७. ऐसा प्रस्ताव है कि निकट भविष्य में स्थापित होने वाली इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इस यंत्रालय को चलायेगा एवं वर्त्तमान उपलब्धियों को उन यंत्रों एवं मशीनों के निर्माण में लगायेगा जिनकी राज्य में मांग है।

क्रय-विक्रय समिति, डीडवाना

११७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्रय-विक्रय समिति, डीडवाना में कुल कितने सदस्य हैं और हिस्सा राशि कितनी है और कहां-कहां पर लगी हुई है? सदस्यों की सूची उनके द्वारा खरीदे गये हिस्सों की राशि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) समिति को गोदाम व कार्यालय भवन बनाने हेतु कितने रुपये खर्च करने पड़े? जिसमें से राज्य सरकार ने कितने दिये और समिति ने अपने पास से किस मद से कितने रुपये खर्च किये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) राज्य सरकार ने समिति को ऋण व अनुदान भवन निर्माण हेतु कब दिया और समिति को भवन बनाने के लिए भूमि कब किसके द्वारा प्राप्त हुई तथा नियमानुसार ऋण पेटे उक्त भूमि राज्य सरकार को मोर्गेज कब रखी?

(४) समिति ने किस-किस वर्ष में कितना-कितना व्यापार किया और उसमें नफा नुकसान किस प्रकार रहा?

(५) अब तक समिति से किस-किस को कितना-कितना रुपया लेना व देना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. क्रय-विक्रय समिति, डीडवाना में कुल ३६ सदस्य हैं, और कुल हिस्सा राशि १३,३०० रुपये है। समिति की पूंजी कहां लगी है, इसके सम्बन्ध में वर्ष ६७-६८ का संतुलन चित्र संलग्न है। (परिशिष्ट क)

सदस्यों की सूची में उनके हिस्सा राशि परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

२. समिति ने गोदाम व कार्यालय भवन पर भूमि सहित ४४,९५८ रुपये खर्च किया। जिसमें से राज्य सरकार ने १८,७५० रुपये ऋण व ६,२५० रु० अनुदान कुल २५,००० रु० दिया, तथा शेष १९९५८ रु. समिति ने अपने अर्जित लाभ में से खर्च किये।

३. राज्य सरकार ने समिति को ऋण व अनुदान गोदाम निर्माण के लिये सन् ६४-६५ में दिया। समिति को भूमि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेश संख्या एफ० २ (८८) रेजी./६६/जयपुर/दिनांक ७-४-६६ द्वारा ९९ वर्ष के लीज पर प्राप्त की, तथा ऋण पेटे भूमि व गोदाम राज्य सरकार के पक्ष में मार्टगेज दिनांक ११-८-६७ को की गई।

Page No. 43

(श्री सहकारिता मंत्री)

४. समिति द्वारा वर्ष ६४-६५,६५-६६, ६६-६७ एवम् ६७-६८ में किये गये व्यापार के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्षों का व्यापार लाभ-हानि खाता व सन्तुलन चित्र संलग्न है। (परिशिष्ट ग) । तथा क्या हानि व लाभ रहा यह भी इन वर्षों के सन्तुलन चित्र में स्पष्ट है।

५. अब तक समिति से किसको कितना लेना व देना है वह सन्तुलन चित्र वर्ष ६७-६८ में दिया गया है, जो परिशिष्ट (क) में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

नागौर जिले की चर्म उद्योग सहकारी समितियां

११८. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में चर्म उद्योग सहकारी समितियां कितनी हैं, और किन-किन को लोन मिला और कितना-कितना ?

(२) परबतसर तहसील में कितनी चर्म उद्योग सहकारी समितियों को खादी बोर्ड द्वारा सब्सीडी या अनुदान दिया गया है और कितना-कितना ?

उत्तर

(१) नागौर जिले में कुल १७ चर्म उद्योग सहकारी समितियां हैं, और इनमें से ३५ सहकारी समितियों को रु० १,६०,१०७.०० ऋण मिला है, जिनकी सूची परिशिष्ट "म" पर संलग्न है।

(२) परबतसर तहसील में ३ चर्म उद्योग सहकारी समितियों को खादी बोर्ड द्वारा रु० ७,८५०_ का अनुदान दिया गया है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

लाडनूं-रोल मार्ग पर बसें

११९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लाडनूं-रोल गाड़ियें (बसें) चलाने के लिए कब-कब किन-किन को परमिट दिया गया तथा उन्होंने गाड़ियां कब लगाई ? यदि नहीं लगाई, तो उनका परमिट कब कैंसिल किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट पर कोई बस अभी तक नहीं चली है ? यदि हां, तो सरकार उन बसों के मालिकों का परमिट केन्सल करके, नया परमिट दूसरों को कब तक दे देगी ?

उत्तर

(१) लाडनूं-रोल मार्ग पर प्राधिकार द्वारा २१/२२ और २४ दिसम्बर, १९६२ की बैठक में निम्न तीन आवेदकों को एक-एक अनुज्ञा-पत्र इस मार्ग पर बस चलाने हेतु स्वीकृत हुये:—

१. श्री सुखदेवसिंह, २. श्री सुगनसिंह व ३. श्री रामानन्द । इनमें से सिर्फ श्री सुखदेवसिंह ने अनुज्ञा-पत्र उठाया और बाकी आवेदकों ने अनुज्ञा-पत्र नहीं उठाया।

इसके तत्पश्चात् दिनांक ३० मई, १९६६ की बैठक में प्राधिकार ने एक परमिट

Page No. 44

(श्री यातायात मंत्री)

निम्नलिखित आवेदकों को स्वीकृत किया जिसका विवरण निम्न है:—

(१) श्री कानीराम छोटमल, गाड़ी संख्या आर. जे. बी. सुजानगढ़ ६६७।

परमिट देने की तारीख	परमिट की अवधि
१४-७-६७	१३-७-१९६६

तत्पश्चात् २१-१-६६ को प्राधिकार द्वारा नागौर-सुजानगढ़, लाडनूं-सियाल व लाडनूं-रोल मार्गों का एकीकरण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप अब इन मार्गों पर कुल अनुज्ञा-पत्रों की संख्या २१ है।

(२) इस मार्ग पर गाड़ी न चलने की कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है। अतः परमिट कैन्सिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बसों के समय पर चलने की व्यवस्था

१२०. श्री जयनारायण सालोविया (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि यातायात निगम की बस अक्सर समय पर न तो रवाना होती है और ना ही समय पर पहुँचती है? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

(२) बसें समय पर चलें इसके लिए निगम क्या व्यवस्था कर रहा है?

उत्तर

(१) जी नहीं। अक्सर बसें समय पर रवाना होकर समय पर ही गन्तव्य स्थानों पर पहुँचती हैं। कभी किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे देर हो सकती है।

(२) गाड़ियां समय पर रवाना होकर समय पर अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुँचे इसकी व्यवस्था पहिले से है।

जयपुर-बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

१२१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार के पास जयपुर-बीकानेर बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का मामला विचाराधीन है? यदि हां तो, यह कब तक हो जावेगा और नहीं, तो क्यों जब कि यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है?

(२) बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है?

उत्तर

(१) जयपुर-बीकानेर मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना वर्तमान में निगम के विचाराधीन नहीं है।

(२) निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण के लिये मार्गों का चयन निगम की आर्थिक स्थिति अनुमानित आय, मार्ग की स्थिति, बसों की उपलब्धि, मार्ग के लिये वर्कशॉप आदि की स्थिति को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(१२.१५ म० प०)

आश्वासन समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति की घोषणा

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री विजयसिंह रावत

(श्री अध्यक्ष)

(नसीराबाद) की आकस्मिक मृत्यु के कारण आश्वासन समिति में जो स्थान रिक्त हो गया है उसकी पूर्ति के लिये मैंने नियम १८० (३) के अन्तर्गत श्री विजयसिंह (मकराना) को मनोनीत किया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामकिशन, सदस्य विधानसभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया गया है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इनका समय बढ़ाया गया तथा बढ़ाया गया समय भी अब समाप्ति को है किन्तु इनके चुनाव की कोई तैयारी नहीं की गई है इससे इन संस्थाओं में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री गंगासहाय व श्री बृजवल्लभ बोहरा, सदस्य विधानसभा से भी प्राप्त हुई है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ४७ ओवरसियर को सरप्लस घोषित किये जाने के निर्णय के विपरीत विभाग के जूनियर इंजीनियर्स को सरप्लस घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनो स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित करके इन पर विचार किया जाय, अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय पंचायत मंत्रीजी एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी उपरोक्त विषयों में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आगामी सोमवार दिनांक २-९-६८ को वक्तव्य दें।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री ओमदत्त भाटी, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री आईदानसिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसका सम्बन्ध जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक २९ अगस्त से पुनः इंजीनियरिंग कॉलेज को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति से है। इंजीनियरिंग कॉलेज के बन्द हो जाने से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति को दिनांक ३-९-६८ को स्पष्ट की जाय।

मैं इस स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्न चार स्थगन प्रस्तावे के सम्बन्ध में इनमें उल्लिखत तथ्यों के सम्बन्धी जानकारी राज्य सरकार से की जा रही है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिये जायेंगे —(१) ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण सम्बन्धी स्थिति के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) बीकानेर नगर से हरिजनों के परिवारों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलिया व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री अध्यक्ष)

(३) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार-अध्यापकों का चयन न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री हरजीराम बुरड़क व श्री दौलतराम सारण द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) कोटा चम्बल सिंचाई विभाग के अभियन्ता द्वारा चम्बल नहरी क्षेत्रों में नहर पर कार्य कर रहे मजदूरों की छटनी के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री आईदानसिंह व श्री ओमदत्त भाटी द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री हरिवल्लभ : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसकी कोई सूचना नहीं दी। उसमें मैंने राज्य सरकार के व्यवहार के सम्बन्ध में निवेदन किया था और यहां से एक आदेश सं० १८८७ दिनांक २०-८-६८ के संदर्भ में सूचित किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कलेक्टर के....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बतला दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। ग्राम धानपुर के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी करके आपको सूचना दे दूंगा। उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट की जानकारी आनी है।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां पर स्थिति ऐसी है, अध्यक्ष महोदय कि...

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी अत्यन्त शीघ्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थिति का स्पष्टीकरण तो तभी हो सकता है, माननीय सदस्य। माननीय पंचायत मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने निवेदन किया है उस पर आज ही वक्तव्य होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति का दिग्दर्शन माननीय सदस्य ने कराया है वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति का सवाल है अधिकारी तक भयभीत हो गये हैं...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को यहां न उठाया जाय। ऑर्डर-ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर १३१ रूल के तहत जो प्रस्ताव दिया गया है उसका उत्तर आना चाहिये। इसको टाला नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जितनी जल्दी हो सकेगी मैं जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शाम तक जानकारी करके वक्तव्य दिला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रयत्न किया जायगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हमारे इलाके में पानी की बाढ़ आगई, सरकारी कर्मचारियों की बाढ़ आयी फिर मंत्रियों की बाढ़ आयी इस तरह से सारे एरिया में गड़बड़ घोटाला है। इस मामले की जांच के

(श्री विजयसिंह)

लिये स्थगन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर। पंचायत मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन स्थगित करने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट आॅफ आॅर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जिस समय पशु मेला विधेयक पर चर्चा हो रही थी बिजिनेस एडवाइजरी कमिटी की सिफारिश के अनुसार कल ही वह विधेयक पारित होना था। सदन के माननीय सदस्यों ने भी इस बात की मांग की कि यह विधेयक आज ही पारित किया जाना चाहिये। जिस समय लगभग पांच बजने को था उस समय इस बिल पर तृतीय वाचन था उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनको अपना भाषण तुरन्त समाप्त करने का आदेश दिया लेकिन कई माननीय सदस्य ऐसे थे जो उस पर भाषण देना चाहते थे। अतः उन सदस्यों ने थर्ड रीडिंग का समय कुछ समय के लिये और बढ़ा दिया जाय यह आसन से प्रार्थना भी की थी लेकिन उनकी बात को न मानकर हाउस को अचानक स्थगित कर दिया। यह सही है कि हाउस को स्थगित करने का अधिकार उपाध्यक्ष को था लेकिन हम यह देखते आये हैं कि हाउस का बिजिनेस एडवाइजरी कमिटी की सिफारिश के अनुसार चलता रहा है वैसी स्थिति में होना तो यह चाहिये था कि जब तक विधेयक पास न हो जाय हाउस का समय बढ़ाया जाता, लेकिन एक दम हाउस की कार्यवाही स्थगित कर चला जाना उपाध्यक्ष के अधिकार में है उसको दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता लेकिन कई बार हमने देखा है आसन की ओर से विरोधी दल के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी सदन का समय बढ़ाया गया है, क्योंकि बिजिनेस एडवाइजरी कमिटी द्वारा निर्धारित बिजिनेस को समाप्त नहीं कर पाये। हम चेयर से सदा को आॅपरेशन इस बारे में करते रहे हैं जहां तक समय बढ़ाने का सवाल आता है। उस दिन जो कार्यक्रम था वह भी पूरा नहीं हुआ वैसी स्थिति में चेयर की तरफ से जो सदन का प्रश्न है उसको न बढ़ाकर सदन को स्थगित कर देना इसका क्या औचित्य समझा जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, कल सरकारी कर्मचारियों का जलसा आ रहा था। कार्यालयों से पांच बजे छुट्टी मिलती है छुट्टी मिलने के बाद ही वे 'प्रोसेशन में भाग ले सकते हैं। इसमें उनको यहां आने में आधा घंटे का समय लग जाता है उस प्रोसेशन से बचने के लिये आसन की तरफ से इस सदन को स्थगित कर देना किसी प्रकार उचित नहीं प्रतीत होता। सरकारी कर्मचारी विधानसभा के सामने ही प्रदर्शन करते, वे विधानसभा में तो घुसते नहीं, और किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करते फिर ऐसा क्या डर लगा कि आप विधानसभा स्थगित करके चल दिये। कर्मचारियों से आपको किसी भी प्रकार के अशिष्ट व्यवहार की भी शंका नहीं होनी चाहिये थी वे अपनी मांग लेकर आये थे। सदन के माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य था कि वे उनसे मिलते खास तौर से ट्रेजरी बेन्चेज के माननीय सदस्यों को उनसे मिलना चाहिये और उनके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञापन लेते और उनको अपनी प्रतिक्रिया बताते माननीय मंत्री उनका स्वागत न करे यह तो समझ में

(श्री भैरूसिंह)

आ सकता है लेकिन आसन इस बात की व्यवस्था करे सरकारी कर्मचारियों के प्रोसेशन आने से पहले ही हाउस को स्थगित कर दिया जाय यह उनकी कार्यवाही उचित नहीं थी। आसन के प्रति हम सम्मान लेकर चलते हैं वैसी हालत में आसन को भी हमारे विचारों का सम्मान करना चाहिये। इन परिस्थितियों में जिस प्रकार का आचरण उपाध्यक्ष का रहा वह आचरण उचित नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सदन में आसन को सरकार के बीच में, सरकारी कर्मचारियों के बीच में सरकार की कार्यवाही से उन्हें गाइडेन्स मिलता हो इस प्रकार की स्थिति पैदा न की जाय। आसन के प्रति हमारा सदैव सम्मान रहा है, उस सम्मान को आघात न पहुँचे इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इस आसन को राजस्थान सरकार की कार्यवाही के स्वरूप माध्यम से बचाया जाय ताकि आसन के प्रति हमारा सम्मान सदैव की भांति बना रहे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष) : अभी माननीय भैरोंसिंहजी ने प्रश्न उठाया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

मेरी इस बारे में यह व्यवस्था है कि इस प्रश्न का यहां स्पष्टीकरण करना उचित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : हाउस की चीज हाउस में ही आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय आसन पर नहीं है। मेरी मान्यता में यह स्पष्टीकरण अगर माननीय उपाध्यक्षजी आसन पर न बैठकर करेंगे तो उनका स्पष्टीकरण व्यक्तिगत हो जायगा। अगर इसका स्पष्टीकरण करना ही है तो आसन प बैठकर करें तो ठीक रहेगा। यह इसलिये आवश्यक है कि जो आपत्तियां माननीय सदस्यों ने उठाई है वह आसन से सम्बन्धित उठाई है। मैं यही उचित समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय आसन पर होने पर ही इसका स्पष्टीकरण दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या यह परम्परा ठीक रहेगी इस पर विचार कर लेना चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय भैरोंसिहजी ने जो प्रश्न उठाया है वह आसन की व्यवस्था का प्रश्न तो है ही लेकिन उपाध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण देना चाहें तो वे यहीं पर बैठकर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अगर उनके द्वारा आसन पर बैठकर कोई व्यवस्था दी जाती है तो वह आसन का स्पष्टीकरण हो गया और वह रूलिंग हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय को समय दिया जाय ताकि वे उस स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उस समय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर थे। अतः आसन से ही स्पष्टीकरण होना उचित होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारियों ने आपको एक सूचना भिजवाई थी कि इस प्रकार हमारा प्रदर्शन निकलने वाला है। अतः जब तक हमारा प्रोसेशन विधानसभा भवन के सामने न पहुँचे हॉउस को इन सेशन रखा जाय। मेरी जानकारी के अनुसार आपने उनको स्वीकृति भी दे दी थी।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस दिन अध्यक्ष महोदय, इस उम्मीद में मैं खुद भी नहीं बोला उस समय यहां भैरोंसिंहजी बैठे थे उन्होंने कहा था कि अभी तृतीय वाचन चल रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं बोलना चाहता हूं और मैं अस्पताल में पट्टी बन्धवाने के लिये गया इसी बीच सदन स्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति का यह निर्णय था कि इस विधेयक को आज ही पास किया जायगा केवल इस दृष्टिकोण से राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन यहां न आ जाय उससे पहले ही हाउस को स्थगित कर देना उचित नहीं कहा जा सकता। चेयर और हमारे बीच में सदैव सम्मानजनक सम्बन्ध रहे हैं। अगर इस प्रकार की बात होती है तो ये सम्बन्ध कायम नहीं रह सकते।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाय कि क्या इस प्रकार की सूचना राज्य कर्मचारी संघ की ओर से आपको दी थी और आपने उनको स्वीकृति दी थी या नहीं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इसमें दो प्रश्न उठते हैं ऐसे जलसे यहां विधानसभा के सामने आये उस समय क्या व्यवस्था हो। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर उस समय आप आसन पर होते तो शायद इस हाउस को स्थगित नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : आपकी राय हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष दो बार स्थगित कर चुके हैं यह आपका भ्रम है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष बोलने को खड़े हुए)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : ऑन पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर हो तो दूसरा नहीं उठाया जा सकता।

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय बोल नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, यह सम्माननीय आसन है। चाहे इस पर अध्यक्ष महोदय आसीन हो, उपाध्यक्ष महोदय या पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई इस आसन से कोई आदेश व्यवस्था देदी गई हो तो वह चेयरमेन उपाध्यक्ष उस व्यवस्था के सम्बन्ध में हाउस में व्यक्तिगत रूप से एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। यह एक गंभीर प्रश्न है। जहां तक संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम है, उनमें कोई बात नहीं है। आसन से दी गई व्यवस्था चाहे अध्यक्ष की हो, उपाध्यक्ष की या चाहे दूसरे किसी माननीय सदस्य की उसका स्पष्टीकरण व्यवस्था आसन से ही दी जाती है लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस बात का स्पष्टीकरण हाउस में नहीं किया जा सकता। यह गंभीर प्रश्न है। इसके लिये अगर इस प्रकार की परम्परा डाली गई और इसका हाउस में एक्सप्रेशन दिया जाने लगा तो मैं समझता हूं यह बिलकुल गलत और अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। आसन से जो व्यवस्था दी गई है उसका उत्तर आसन से ही दिया जाय। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यह एक अच्छी व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था आसन से दी जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं भी इस बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री महोदय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यहां जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने उठाया है और जो मुद्दे अन्य माननीय सदस्य ने अभी प्रकट किये हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं मैं समझता हूं उन्होंने दो पहलू रखे हैं एक तो यह कि उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के आसन पर हो या पैनल ऑफ चेयरमेन का कोई माननीय सदस्य आसन पर हो और वह आसन पर बैठ कर कोई बात कहे उसका स्पष्टीकरण वह सदन में बैठ कर नहीं दे सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय इस आसन पर कोई भी साधारण रूप में नहीं बैठ सकते। सीनियर मोस्ट बैठें वैसा करते हैं अध्यक्ष के आसन पर चाहे डिप्टी स्पीकर हो या पैनल ऑफ चेयरमैन्स हों वे आसन से वापस सदन में बैठते हैं और यह नियमों में है कि डिप्टी स्पीकर हाउस में बैठकर डिबेट में पार्टीसिपेट कर सकते हैं। उत्तरप्रदेश विधानसभा में व अनेक विधानसभाओं में विरोधी दल के सदस्य डिप्टी स्पीकर होते हैं। वे वहां वाद-विवाद में भाग लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। स्पष्टीकरण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति डिप्टी स्पीकर की बनती है। अध्यक्ष की सभापति की तालिका पर काम करने वाले इस सदन में कोई भी स्पष्टीकरण करने, विवाद में भाग लेने, प्रश्न उठाने आदि का उन्हें नियमों के अनुसार अधिकार है। अध्यक्ष के आसन से जो रूलिंग व्यवस्था दी गई उसके सम्बन्ध में चाहे तो अध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण दें और सदन को बतावें कि वह गलत है, रूल्स के अनुसार है या सही है। वे इसको कंसीडर करें। हो सकता है वह आसन के खिलाफ हो। आसन की व्यवस्था के खिलाफ हो। आसन के आचरण नियमों के खिलाफ हो। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसका निर्णय आपके ऊपर है, अध्यक्ष महोदय। किधर भी निर्णय देंगे। आसन पर कोई स्पष्टीकरण देंगे तो यह गलत परम्परा हो जायेगी। यह उनका स्पष्टीकरण नहीं होगा निर्णय हो जायेगा और उसको मानने को हम नियमानुसार बाध्य हो जायेंगे। उसको चैलेन्ज नहीं कर सकेंगे। जो भी प्रश्न उठा है, उसका आप निर्णय दे दें। उपाध्यक्ष महोदय आसन पर बैठकर उस पर निर्णय दें, इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह मतलब नहीं है ···· विधि मन्त्री महोदय ·······

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : इसका पहलू यह है कि कल ५ बजे हाउस क्यों एडजोर्न हो गया। इसके बारे में जो रूल है उस रूल के सब-क्लॉज (२) में लिखा गया है :

Chapter IV-Rule 12 (2)—

"Sitting of the House shall, subject to the direction of the Speaker ordinarily commence at 11.00 a. m. and conclude at 5.00 P. M." आपको कोई ऐसा डाइरेक्शन दिया था कि पांच बजे बाद भी हाउस नहीं बैठे। अगर ऐसा आपको कोई डाइरेक्शन था तब तो यह है कि क्लॉज १२ सब-क्लॉज (२) साफ है और अगर आपको यह डाइरेक्शन नहीं था और यह आर्डीनरी सिटिंग थी कि ११ बजे शुरू हुई और ५ बजे खत्म हुई। यह रूल्स के अन्दर है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे रूल्स, उनका जो ताल्लुक है और जहां तक बीच का सवाल है ऐसी कोई चीज नहीं है। जहां तक डिप्टी स्पीकर के हिस्सा लेने का ताल्लुक है, वह सब जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर को यह

(श्री अध्यक्ष)

अधिकार है कि डिबेट में हिस्सा ले सकें पारटीसिपेट कर सकें और वोट दे सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी सिचुएशन इस देश के अन्दर आज तक अराइज नहीं हुई कि जहां डिप्टी स्पीकर ने कोई निर्णय दिया हो और उस निर्णय के बाद अदालत की तरह यह हाउस बैठे और उस पर विचार करे। अगर डिप्टी स्पीकर सा० के कन्डक्ट से यह लगे कि वे जो कार्यवाही कर रहे है वह इल्लीगल है और मेजोरिटी ऑफ दी हाउस को यह लगे कि यह अकारडिंग टू दी ला नहीं है तो हाउस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नोन कान्फीडेंस ला सकता है। नाराजगी को इम्पोज कर सकते हैं। यह नहीं कि डिप्टी स्पीकर कठघरे में खड़े होकर उसका एक्सप्लेनेशन करें कि यह रूलिंग क्यों दी थी और फिर हाउस उस पर डिस्कसन करे।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज...

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। जहां तक पावर्स का सवाल है वे लिमिटेड हैं। कान्स्टीट्यूशन में दिये हैं। रूल्स में दिये गये हैं और उनके अनुसार डिप्टी स्पीकर, स्पीकर अपना काम नहीं कर सके, मेजोरिटी को नाराजगी हो उनको अधिकार है वोट आफ नो कान्फीडेन्स का। परन्तु उनकी रूलिंग को इस तरह से डिफरैन्सियेट करने से मैं समझता हूं इस आसन के स्थान को गिरायेंगे और सदन के स्थान को भी गिरायेंगे। आसन का स्थान कायम रखना सदन के हाथ में है।

श्री दौलतराम सारण : पाईन्टऑफ ऑर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : नो पाईन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : एक पाईन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। दूसरा प्रश्न नही उठाया जा सकता। इस पर आप बोल सकते हैं जब तक इसका निर्णय न हो।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय आपके निर्णय के बाद पहले की जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर के बोलने की, उनके एक्सप्लेनेशन की जरुरत नहीं है...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। इस कल की सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज व्यवस्था का प्रश्न पैदा करके यहां कैसे उठाया जा सकता है? इसको भी देख लेना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न यहां उठाया गया है, उसके तीन मुख्य मुद्दे हैं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपाध्यक्ष) : मुझे यह मालूम नही था कि कोई प्रोसेशन आ रहा है....

श्री अध्यक्ष : जो तीन मुद्दे उठाये गये हैं, उसमें पहला यह है कि कल की कार्यवाही इस प्रोसेशन के आने के संकेत के आधार पर बन्द की गई। ऐसा कहा गया कि चूंकि

(श्री अध्यक्ष)

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णयानुसार कल का बिजनेस समाप्त होना था उसके पूर्व ही कार्यवाही बन्द की गई। इसके साथ दूसरा प्रश्न यह है कि नियमों के अनुसार क्या यह आसन, आसन पर बैठे हुए पैनल ऑफ चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर, इस आसन से कोई रूलिंग दे और रूलिंग के बाद वे माननीय सदस्य आसन से उठकर चले गये हों और वे सदन में माननीय सदस्य की तरह बैठकर उस रूलिंग के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं या नहीं....

तीसरा प्रश्न सारण जी ने प्रस्तुत किया है।

ये तीनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं इतनी सूचना देना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी संघ का जो प्रोसेशन आया, उसके आने से पहले ही करीब ५.१५ बजे मैं रवाना हो चुका था। प्रोसेशन का अगला हिस्सा मुझे मिला। मुझे घर पर पहुँचने पर पता चला कि कर्मचारी मुझे ज्ञापन देना चाहते हैं। उसी समय मैं राजकीय आवास गृह चला गया वहां प्रोसेशन आया और उसने मुझे ज्ञापन दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने के लिये कहा मैंने कहा—

The Speaker speaks but seldom speaks and if he speaks, he speaks the dictation of the House.

श्री भैरोंसिह : यह तो अखबार में भी आ गया है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये में उनका ज्ञापन यहां पर ले आया हूं जो उनकी ओर से दिया गया इस बारे में जितनी भी परिस्थितियां बतायी गई और जो प्रश्न उठाये गये वे महत्वपूर्ण हैं। मुझे इसका तथ्यों के आधार पर, नियमों के आधार पर कुछ अध्ययन करना होगा अतः इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर मैं अपना निर्णय रिजर्व रखता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आयन्दा भी प्रोसेशन पर ठहरने की व्यवस्था हो जाय चाहे ११ बजे चाहे रात के १२ बजे इसका भी बन्दोबस्त कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय को प्रोसेशन्स का बड़ा दर्द है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी विधान सभा जब तक है प्रोसेशन आते रहेंगे और उनको सुनना पड़ेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : २९ तारीख को राज्य कर्मचारियों का प्रोसेशन विधान सभा के सामने आयगा यह जानकारी उपाध्यक्ष को होगी। अखबारों में बहुत दिन पहले यह प्रकाशित होगया था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कोई जरूरी नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी हो।

शासकीय वक्तव्य

पंचायत समितियों से शिक्षा हटाने संबंधी

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, निवाई और अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव रखे गये थे जिनको अस्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष ने मुझे वक्तव्य देने का आदेश दिया था मेरा नम्र निवेदन है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

शिक्षक संघ की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में शिक्षक संघ का डेपूटेशन चार बजे मुख्य मंत्रीजी से, मुझ से और डिप्टी मिनिस्टर, शिक्षा विभाग से मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज मुझे स्टेटमेन्ट देने को बाध्य न किया जाय पहले राज्य सरकार इस पर विचार करले उसके निर्णय के बाद में, मैं वक्तव्य देना उचित समझता हूं। अतः इसको तारीख आगे के लिये रख दी जाय। सोमवार या मंगलवार तक स्टेटमेन्ट दे दूंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह केवल अध्यापकों का ही प्रश्न नहीं है। इसका सम्बन्ध लोकतांत्रिक संस्थाओं से भी है। मंत्री महोदय से जो शिक्षक मिल रहे हैं वे अपनी तकलीफों के बारे में मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन भले ही वक्तव्य दे दें। लेकिन इनके बारे में मुख्य मंत्री किसी प्रकार का निर्णय लें उससे पहले इस विषय में अन्य दलों की क्या राय है यह जानना भी उनके लिये आवश्यक है। यह मामूली प्रश्न नहीं है। शिक्षा संस्थाओं से पंचायत समिति को हटाया जाय इसमें लोकतांत्रिक स्वरूप का मूल छिपा हुआ है। यही प्रक्रिया जारी रहे। अगर इसमें फेर बदल किया तो एक दिन यह भी आ सकता है चीफ सेक्रेट्री और सेक्रेट्री लोग यह कहेंगे कि राज्य मंत्रिमंडल अयोग्य है हम उनके नीचे नहीं रहेंगे। इसलिये किस की क्या राय है वह जानना आवश्यक है। मुख्य मंत्री महोदय इस पर कुछ निर्णय लेने से पहले अन्य दलों से मिल लें। मिल कर जो अपना दृष्टिकोण हो वह सदन के सामने रखें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना है इस प्रश्न पर निर्णय करने से पहले सदन में व्यक्त किये गये माननीय सदस्यों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाय। पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा लेने के सम्बन्ध में कर्मचारी प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिये इसी बिना पर उनसे शिक्षा ले ली जाय यह दृष्टिकोण सही नहीं होगा। हमें इसके बुनियादी आधार को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जो प्रश्न उठाया गया है इस सम्बन्ध में बहस हो यह अलग प्रश्न है। जहां तक प्राइमरी एज्युकेशन पंचायत समितियों से वापिस ले ली जाय यह प्रश्न अब पैदा ही नहीं होता। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है जिस चीज को पंचायत समितियों को सौंपा है उसमें प्राइमरी एज्युकेशन को वापिस लेने की बात ही नहीं आती।

इस सम्बन्ध में और कई दिक्कतें हैं उस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है उसको हल करना सम्भव हो तो उसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री रामकिशन : सरकारी निर्णय की हमें जानकारी है कि शिक्षण संस्थाओं को सरकार नहीं ले रही है लेकिन अगर इस पर बहस हो जाय तो अन्य जो तकलीफें हैं और जिस प्रकार से लोकतन्त्र को कमजोर करने की बात हो रही है, इसके बारे में एक पक्ष नहीं कई पक्ष हैं। आज के समय में लोकतंत्र

(श्री रामकिशन)

की क्या हैसियत है उस पर बहस हो जाय तो आप ज्यादा बढ़िया ढंग से निर्णय ले सकते हैं। केवल इतना ही कह देना काफी नहीं है कि हम शिक्षा संस्थाओं को नहीं ले रहे हैं। इसमें कई मामले उलझे हुए हैं यदि इस पर बहस की जाय तो दूसरे ही ढंग की स्थिति सामने आयेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर दो घंटे की बहस होना जरूरी है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में स्थगन प्रस्ताव था उसमें मैंने यह जाहिर नहीं किया है कि पंचायत समितियों से शिक्षा को वापिस लिया जाय। मेरा आशय यह था कि शिक्षा विभाग के अध्यापक और पंचायत समिति के अध्यापकों में फर्क है प्रोमोशन में, नियुक्ति में तनख्वाह में और ग्रेड में उससे सम्बन्धित बातें हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों से लेकर शिक्षा को एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : जिस समय इस बारे में स्टेटमेंट होगा उस वक्त विचार व्यक्त करने की सुविधा दी जायगी लिबरल एटीट्यूड लेकर। इसको मैं आज स्थगित करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : पंचायत समितियों में जो शिक्षण संस्थाओं की हालत है वह हम देख चुके हैं। मेरा इस बारे मे सुझाव था कि पंचायत समितियों के प्रधान इलेक्टेड होते हैं उनके अधीन जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें विद्यार्थियों के साथ बड़ा अन्याय होता है, पक्षपात होता है शिक्षकों की हालत भी खराब है इसलिये उनसे लिया जाना उचित रहेगा।

श्री हीराभाई : मेरा अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम में कुछ रूटीन मेटर्स हैं। अतः उनको पहले ले लिया जाय ताकि सदस्यों को उस समय तक बैठने के लिये बाध्य न होना पड़े। उसके बाद वक्तव्य ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा आपकी सुविधा का ध्यान रखूंगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आयन्दा मेरे पास किसी सर्वोदयी को न बैठाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सर्वोदयी माननीय सदस्य नहीं हैं ? वे क्या स्ट्रेन्जर हैं ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा दो घंटे के बाद विवाद की मांग की है। कुशलगढ़ की पंचायत समितियों के कर्मचारियों को बिना पंचायत समिति की राय से शिक्षकों को पंचायत समिति से बाहर फेंक दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो अधिकारी वहां इस तरह का कार्य कर रहे हैं उन अफसरों को उद्योग मंत्री की शह प्राप्त है। वे जिस तरह से करवाना चाहते हैं कराते हैं। आज पंचायत समितियों के अधिकारों पर यह कुठाराघात है। आज इस तरह से चलता रहा तो कल ये अधिकारी यह भी कह सकते हैं कि विधानसभा बेकार है सब काम हमें करने दिया जाय।

(श्री हीराभाई)

लोकतन्त्र में जो विकेन्द्रीकरण किया गया है गवर्नमेन्ट के अधिकारी उसको फेल करने पर तुले हुए हैं उनको हटाया जाय। ये सब तबादले राजनैतिक षड़यन्त्र के आधार पर किये गये हैं और उद्योग मंत्री हरिदेव जोशी के कहने पर किये गये हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

२. सरदारशहर पंचायत समिति के प्रधान की हत्या सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान, पंचायत समिति, सरदार शहर की हत्या के षड़यन्त्र का उल्लेख करते हुए माननीय श्री दौलतराम सारण, श्री नत्थीसिंह व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक स्थान प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो पाया गया कि दिनांक १२-८-६८ को श्री मानखां पुत्र श्री अजीम खां कायमखानी, साकिन सरदारशहर ने थाना सरदारशहर पर यह इत्तिला दी कि उसी दिन जब वह भोजासर-छोटा बस द्वारा जा रहा था तब कुम्भा व मनफूल जाट द्वारा उसे बस से उतार कर लाठियों से मारपीट की गई जिसकी वजह से उसके सिर व हाथ पर चोटें आई, बस-यात्रियों के बीच बचाव से उसे बचाया जा सका। इस इत्तिला पर मुकद्दमा नं० ३१/६८ दिनांक १२-८-६८ हस्ब दफा ३०७ ता० हि० दर्ज किया गया, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और तफतीश प्रारम्भ की गई।

दौराने तफतीश मुलाजिमान ने जाहिर किया कि उनसे वकील मोहनलाल निवासी सरदारशहर ने श्री हजारीलाल, प्रधान पंचायत समिति, सरदार शहर को जरिये सुगनाराम निवासी मालासर, कत्ल कराने की गरज से एक देशी पिस्तोल मय २ कारतूस मंगवाये थे। यह हथियार धरमा सीकली-गर तलवाड़ा के यहां से मंगवाये थे। इस प्रकार के डिस्क्लोजर को देखते हुए थानेदार सरदारशहर ने मुलजिमान को पुलिस अधीक्षक, चूरू के समक्ष तुरन्त पेश किया, जिन्होंने मुलजिमान के लिये पुलिस कस्टडी रिमाण्ड हासिल कर अन्य कोरोबरेटिव एवीडेन्स एकत्रित करने व हथियार आदि बरामद कराने की हिदायत की। मुलजिमान के कथन की पुष्टि होने तक जुदागाना मुकद्दमा दर्ज करना उचित नहीं समझा गया।

एस. डी. एम., चूरू से रिमाण्ड हासिल कर तफतीश की गई किन्तु मुलजिमान के कथन की पुष्टि नहीं हो सकी और न हथियार ही बरामद हुए। अन्त में दोनों मुलजिमान के बयान ह. द. १६४ सी. आर. पी. सी. कलमबन्द कराने की कार्यवाही, उन्हें जुडी-शियल लोकअप में रखने के पश्चात् की गई। दफा १६४ के तहत बयानों में दोनों मुलजिमान ने प्रधान को मारने के बाबत षड़यन्त्र के विषय में कुछ नहीं कहा और पूर्व बयान पुलिस दबाव से देना बताया। इस प्रगति को देखते हुए श्री हजारीलाल की हत्या के षड़यन्त्र के बाबत पर्याप्त शहादत अभी तक दस्तयाब नहीं हुई है, लेकिन केस में अभी तफतीश जारी है। अतः अधिक कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा।

जनता में कोई भय या असन्तोष की भावना व्याप्त होना नहीं पाई जाती।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुलजिम दो पकड़े गये। पुलिस के पास लाकर बस वालों ने उनको पकड़ाया और बस सरदारशहर से महाजन, भोजासर गांव जा रही थी। सरदारशहर से करीब ७-८ मील भोजासर नाम का गांव है। बस कन्डक्टर ने किराया मांगा और इस पर सामना कर लिया और झगड़ा हुआ। एक मुसाफिर के लाठी मारी और उसका सिर फूट गया। मुसाफिरों ने पकड़ा और बस सरदारशहर के थाने में आई एक मुलजिम मौके से भाग गया जिसके पास रिवाल्वर थी और जिसका नाम तुगना था। यह फैक्ट है कि उस मुलजिम को पकड़ने की कोई चेष्टा नहीं की गई जिसके पास रिवाल्वर था। दो आदमी पकड़े गये और थाने में आने के बाद कोई कान्सपीरेसी के केस का नहीं मालूम हुआ था। मुसाफिरों के सामने स्थिति आई तो गांव में यह अफवाह सब जगह फैली। उस पर थानेदार द्वारा पूछताछ के बाद एस. पी. के सामने मुलजिम को लाया गया और एस. डी. ओ. के सामने भी वही बात तसलीम की और उसके बाद में मुलजिम का रिमाण्ड लिया गया। १० दिन का रिमाण्ड मिला और फिर १० दिन से पहले ही जुडीशियल लाक-अप में दाखिल करवा दिया गया। तफतीश नहीं की गई। जो मुलजिम बताया था कान्सपीरेसी केस में उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई। एक मोहनलाल वकील जिनके द्वारा ३००० रु. दिया जाना तय किया बताया गया है उन वकील साहब को अरेस्ट नहीं किया गया, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। उसके बाद में एक थाना के आदमी को बताया गया। उससे न पूछताछ की और तुगना जो रिवाल्वर लेकर भागा उससे भी पूछताछ नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि एक भूतपूर्व मन्त्री वहां पर गये और उन्होंने अधिकारियों का दबाया और यह केस वहां से रफा-दफा करने की चेष्टा की जा रही है। यह षड़यन्त्र निश्चित रूप से था और इससे पहले भी कई राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ घटना हुई है। एक भंवरसिंह म्हेरी को कत्ल किया गया। उसमें इनवाल्व्ड आदमी को राजनैतिक दबाव से छोड़ा गया। उसका एफ. आई. आर. में भी नाम दर्ज था लेकिन सी. आई. डी. की तफतीश के बाद भी उसको छुड़ाया गया और उसका नाम मुल्जिमों में से निकलवाया गया। कुछ दिन पहले ही उसके (भंवरसिंह के) भतीजे को गोली से मार दिया गया और वही आदमी आज भी घूम रहे हैं। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का जीवन खतरे से खाली नहीं है। आये दिन झूठे मुकदमें बनाये जाते हैं। भंवरसिंह के रिश्तेदारों के खिलाफ १०७ और ११० के मुकदमें बनाये, उनको अरेस्ट किया गया और उनको परेशान किया गया। मुलजिमों को और कत्ल करने वालों को नहीं पकड़ा गया। यह षड़यन्त्र राजनैतिक आधार पर चलते हैं और यह मेरा चार्ज है और मैं चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में गंभीरता से जांच की जाये।

मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में इस मामले को साधारण रूप दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा के लिये कहता हूं। इसमें केवल सरदारशहर के प्रधान का ही सवाल नहीं है बल्कि सारे राजस्थान के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का जीवन खतरे में है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज

(श्री दौलतराम सारण)

फलां राजनैतिक कार्यकर्ता का कत्ल हो गया और आज फलां की हत्या हो गई। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और राजनैतिक लोगों के जीवन के लिये खतरा पैदा हो गया है। इसलिये उनके जान-माल की रक्षा के लिये गृह मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को साधारण रूप से नहीं लें। यह सरदारशहर के प्रधान का सवाल नहीं है, यह राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के जीवन का सवाल है। इसलिये उन लोगों को पकड़ कर उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करके इसकी तफतीश की जानी चाहिये।

श्री मस्तीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे गृह राज्य मंत्री महोदय ने जिस तरह से जवाब दिया और हमारे गृह-मंत्रीजी का जो रवैया रहा है निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिनको यह बचाना चाहते हैं वह कितना भी भयंकर जुर्म कर लें और सबूत भी हो तो उनको वह बचाते हैं। इसी सदन में अनेकों बार हमने इसके सबूत दिये हैं। जो आदमी राष्ट्रपति के शासन-काल में गिरफ्तार किये गये, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उनको इन्होंने ३ दिन ऑफिस में आने के बाद केसेज से बरी कर दिया और अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमे बनवाते हैं। आज सरदारशहर के प्रधान की बात नहीं है मैं कहता हूं कि इसको आप इतने हलकेपन से लेंगे तो निश्चित रूप से जब उनकी हत्या हो जायेगी तो वह कहेंगे कि हमने तो प्रिकाशन्स लिए लेकिन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब साफ-साफ आरोप आये हैं कि उन आदमियों को बुलाया गया और प्रश्रय दिया गया और कलेक्टर और एस० पी० को कहा है और उसके बाद एक भूतपूर्व मंत्री जो कि इन बैंच पर बैठने वाले कलेक्टर के पास जाते हैं और यह कहते है--उनका नाम तो मैं बता दूंगा लेकिन आप फिर सदन में कहेंगे कि वह अपना बचाव करने के लिये यहां नहीं आ सकते, इसलिये उनका नाम नहीं लिया जाये, सरदारशहर में किनका निहित स्वार्थ है और कौन ऐसे आतंकवादी लोगों को बचाना चाहता है, आप परिचित हैं, उसमें नाम लेने की आवश्यकता है, इशारा सभी समझ गये होंगे। तो उन्होंने जाकर कहा है कि किसी भी हालत में यह हमारा साथी है और इसके ऊपर कोई मुकदमा........

(म० प० १-०२)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहीं चलाया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत कहता हूं कि लोगों की हत्या हो जाती है और आप विज्ञप्तियां निकालते हैं। अलवर में और नीमराना में एक सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता का कत्ल हुआ। यदि आप इस प्रकार से राजस्थान में राजनैतिक कार्यकर्ताओं का वातावरण बनायेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के जन-जीवन में आतंक पैदा होगा और जो सही तौर से और निर्भीकता के साथ काम करने की पद्धति जारी रहनी चाहिये वह नहीं रह पायेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि आप आश्वस्त करें कि जो चार्ज सरदारशहर के खिलाफ लगाया गया है उसकी आप हाई कोर्ट लेवल पर जांच करायेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हत्याओं का दौर बढ़ रहा है और विरोधी दल को मारने का कुचक्र चल रहा है हम मानते हैं कि आप उसका निराकरण नहीं कर सकते। आप एक पार्टी हैं, जानबूझकर राजनैतिक अपराध कराते हैं और अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आप में ताकत है तो

Page No. 58

(श्री नाथीसिंह)

इण्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी के द्वारा इसकी जांच करायें। इसमें जितना गृह विभाग दूषित है उतना राजस्थान के जन-जीवन को आतंकित करने में कोई नहीं है।

इस तरह से षडयंत्र कर जनता और विरोधियों को दबाना चाहें, मारना चाहें, फिर यह कहें कि हम जांच नहीं करायेंगे। आप जनतंत्र को कहां ले जायेंगे? मेरा यह, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है ये हमारे गृह-मंत्री महोदय टालमटोल के सिवाय कोई जवाब नहीं देंगे। इनके सूत्र ऐसे हैं कि यह किसी को चिट्ठी लिखेंगे तो उसमें भी इनके शब्द निश्चित हैं कि यह लिखूं तो इसका मतलब यह है। किसका काम होना चाहिये किसका नहीं। ये लोगों को खुश करके भेजते हैं। काम करते नहीं हैं। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उनसे राजस्थान का जन-जीवन विषाक्त हो गया है। आप पूरी तरह से जांच कराइये। मत डरिये कि चन्दनमल वैद आकर कुछ कहेंगे। सही बात जनता के सामने आनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : एक तो यह बताइये कि इ ेस्ट कब हुए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रूपसिंह!

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : हाउस में जो मसला चल रहा है, मुझे भी उसके बारे में थोड़ा अर्ज करना है। मैं मानता हूं कि हमारे गृह-मंत्रीजी ईमानदार हैं। ईमानदार कहलाते हैं। अच्छे आदमी हैं। ये दोनों केसेज जो हाउस में रखे गये हैं, ये दोनों हमारी कॉन्स्टीटुयेंसी से सम्बन्ध रखते हैं। सरदारशहर का जो सब-इन्सपेक्टर है, वह ईमानदारी से काम कर रहा था लेकिन उसको वहां के कलेक्टर ने बुलाकर हस्तक्षेप किया है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है पहले जो ईमानदार था, एक आदमी जिसके पास मुकदमा है। पुलिस इन्क्वायरी करके जांच करें। लेकिन एक डी० एस० पी० जो ईमानदारी से मुकदमे की जांच कर रहा है उसमे छीनकर पुलिस इन्क्वायरी सी० आई० डी० को दे दी गई है। इसमें मुझे एतराज है। आप के जो आई० जी० हैं। डी० आई० जी०, सी० आई० डी० है उनसे उन लोगों के सम्बन्ध ठीक नहीं हैं। सी० आई० डी० में मुकदमा न देकर अन्य ईमानदार आदमी से जांच करायें। हम नहीं चाहते हैं कि बेगुनाहों को सजा मिले, किसी बेगुनाह का चालान किया जाये। लेकिन जो मुल्जिम हो उसको सजा मिलनी चाहिये। इसलिये मेरी मांग है, होम मिनिस्टर काफी ईमानदार हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने इलाके के अन्दर यह बात ध्यान में रखेंगे कि इस तरह की नाजायज हरकतें रोकी जायं, बन्द कराई जायें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ईमानदार जो अच्छा आदमी पुलिस के अन्दर हो उसको दीजिये। सी० आई० डी० को मुकदमा नहीं दिया जाय। क्योंकि उनका सम्बन्ध सुना है पैसा देकर काम कराना चाहते हैं। उनको इन्क्वायरी नहीं दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजनैतिक लोगों की हत्याएं होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द!

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : चूरू जिले में आये दिन ऐसी हत्याएं होती रहती

(श्री लाभचन्द वैद)

हैं। एक बार जो हत्यारा था वह एक बड़े नेता के नोहरे में पाया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो वर्ष पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह नहीं होना चाहिए।

श्री लाभचन्द वैद : अभी आठ दिन पहले चूरू जिले में हत्या हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रखें।

श्री लाभचन्द वैद : चूरू जिले में हत्याएं हुई हैं और उनका कोई पता नहीं चलता है। अभी सुजानगढ़ में जो हत्या हुई, आज तक कोई पता नहीं चला है। इस तरफ होम मिनिस्टर साहब ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह-मन्त्री!

राज्य मन्त्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): जहां तक जांच का प्रश्न है, मैंने बताया है कि जांच चालू है। अब तक क्या-क्या किया गया है यह मैंने निवेदन किया। माननीय दौलतराम जी सारण ने जिक्र में यह बताया जब यह पहला इंसीडेंट हुआ, तीन मुल्जिमान थे। एक बाकी है। एफ० आई० आर० में दो ही मुल्जिमान हैं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं। वह भाग गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने बताया कि बस से भागा।

तुगना और मनफूला, दो ही मुल्जिमान थे। उनके मुंह से जो बातें निकलीं वही मैंने बयान कीं। तीसरे आदमी का एफ० आई० आर० में जिक्र नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : एफ० आई० आर० में नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं था।

श्री हीरालाल देवपुरा : जब एफ. आई. आर. में नाम आया ही नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर सही रूप में हमें इस मामले की जांच करवाना है तो चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों चाहे उस पक्ष में बैठने वाले हों, इस प्रकार के मामले को राजनैतिक तूल नहीं दिया जाएगा तो सही जांच होगी। अगर राजनैतिक तूल देकर तोड़ा मरोड़ा जायगा तो पुलिस को अपने मामले को सही रूप में लाने में दिक्कत होगी। मैं सही बता देना चाहता हूं कि किसी प्रकार के राजनैतिक वातावरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। सही रूप में जानकारी की जाएगी। माननीय रूपसिंह जी ने बताया कि इन्क्वायरी पहली दफा एक सीनियर ऑफिसर को दी गई थी। हजारीलाल प्रधान के द्वारा कहे जाने पर दी गई। उसने कहा कि इस एस० आई० के मार्फत जांच कीजिये तो इस एस० आई० के पास ही तफतीश रखी गई। यह हजारीलाल के कहने के माफिक किया गया।

श्री दौलतराम सारण : आप गलत समझे हैं। उन्होंने नहीं कहा। हजारीलाल ने कि इसमें इन्क्वायरी नहीं कराई जाय। वह निहरी केस के बारे में कह रहे हैं, उसमें सी. आई. डी. से जांच करवाई जाय। हजारीलाल के केस की जो इन्क्वायरी चाही वह ठीक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य मानते हैं कि यह तफतीश ठीक है।

Page No. 60

राजवी श्री रूपसिंह : I may clear it.

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात कही गई कि इसमें ढिले बर्ती जा रही है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जहां तक आपने तारीखों के बारे में पूछा है तो मैं तारीख बता देना चाहता हूं। १२-८-६८ को जब यह इत्तला हुई तो १२-८-६८ को ही दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और १२-८-६८ को ही उनके द्वारा इस प्रकार की बातें कबूल कर ली गईं। १३-८-६८ को उन्हें एस. पी. के सामने पेश किया गया और १३-८-६७ को ही रिमाण्ड लिया गया दस दिन का आगे की तफतीश के लिए। तो जो बात कही गई हथियार की बरामदगी के लिए तो १३-८-६८ को रिमाण्ड लिया गया और इस दरम्यान सारी पूछताछ की गई और कोई चीज नहीं मिली तो २१-८-६८ को उस केस को, पूरे रिमाण्ड के खत्म होने से पहले पेश कर दिया गया, २१-८-६८ को....

श्री दौलतराम सारण : जुडिशियल लॉक अप में कब दाखिल किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : २१-८-६८ को। यह फेक्ट्स की बात है, इसमें आप कुछ कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा और मैं कहूंगा तो भी गलत नहीं होगा। तो २१-८-६८ को....

श्री दौलतराम सारण : २१ है या ३१ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : २१, ट्वन्टीवन २१-८-६८ को लॉक अप किया गया और २७-८-६८ को एस. डी. एम. के सामने बयान के लिए तलब किया गया और वहां पर २७-८-६८ को बयान लिये गये। उसमें उसने स्पष्ट इन्कार किया है कि इस प्रकार की बात नहीं है और जो कुछ भी पहले बात कही थी वह पुलिस के दबाव से कही थी। इससे आगे की तफतीश चालू है। मैंने यह नहीं कहा है कि तफतीश बन्द कर दी गई है या उधर खत्म कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूं, इसके विपरीत जब एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना मिली, जब इसकी जानकारी मिली तो एस. पी. को खास तौर पर आदेश दे दिया गया है कि वह इस मामले को स्वयं देखें, इसमें ढिले नहीं होनी चाहिए। वह इस मामले को स्वयं देखें, यह हिदायत उनको कर दी गई है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में कोई ढिले नहीं बर्ती जायगी। पुलिस की ओर से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं इस प्रकार के मामले आयेंगे उनमें किसी प्रकार की ढिले कहीं दिखाई नहीं देगी बशर्ते कि दूसरी ओर से किसी की ओर से इसे राजनैतिक कलर नहीं दिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : आपने कहा कि २१-८-६८ को जुडिशियल लॉक अप करवाया और २७-८-६८ को १६४ के तहत बयान के लिए पेश किया गया। जब २१-८-६८ को जुडिशियल लॉक अप करवाया तो २४ घण्टे के अन्दर-अन्दर १६४ के तहत बयान क्यों नहीं लिये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मजिस्ट्रेट का काम है। पुलिस का काम दरख्वास्त पेश करना होता है। अब वह कितना टाइम लेता है यह उनका काम है।

श्री दौलतराम सारण : यही तो आपत्ति की बात है। १५-८-६८ के बाद एक प्रभावशाली आदमी ने मिल कर तारीख को आगे डलवा दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे पुलिस का सम्बन्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मुलजिमान के न बयान लिये गये और सुनना का रिवाल्वर बागासर के पास पकड़ा गया और दो मुलजिम भाग गये। यह षडयंत्र केस में था। थाना का आदमी था उसको नहीं पकड़ा गया। मोहनलाल वकील के बयान नहीं लिये ...

श्री उपाध्यक्ष : यह सब चर्चा में आ चुका है।

श्री दौलतराम सारण : न रिवाल्वर को बरामद किया गया और न आदमी को पकड़ा गया और जो तफतीश की है उसमें इस मामले में खुदबुर्द करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। आज के लिए अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि खाद्य निगम पर चर्चा है वह आज की जायेगी। उस पर आपकी क्या व्यवस्था है, खाद्य निगम पर चर्चा पर ?

श्री उपाध्यक्ष : उस पर आज चर्चा नहीं होगी।

श्री नत्थीसिंह : फिर कोई दूसरा दिन तय कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री नत्थीसिंह : कागज में यह जो प्रस्ताव हुआ है, तो इस समय को आगे क्यों बढ़ाती है सरकार। सरकार के मन में इस कर को लगाने की बात नहीं है तो विधेयक को वापिस ले ले, तीन तीन दफा समय बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह माननीय सदस्य कहते है/ तो माननीय सदस्य ने समिति में अपना विरोध प्रकट क्यों नहीं किया ?

श्री नत्थीसिंह : मैं समिति में नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं हैं, तो प्रस्ताव के पास होने के बाद विरोध करने की कौनसी परम्परा है ?

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं। (विराम) मैं प्रस्ताव करता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सहमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई। विधायी कार्य।

(१.१८ म.प.)

विधायी कार्य

राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, १९६८ (तृतीय वाचन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा है ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, १९६८।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा दस मिनट।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राजस्थान में पशु पालन के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : यह तीसरा वाचन चल रहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं थोड़े से में कह देना चाहता हूँ इस विषय में।

श्री उपाध्यक्ष : नियम के अनुसार आप उसको देख लीजियेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने दस मिनिट कहा, मैं उसके पहले ही खत्म कर दूंगा। मुझे मेरी बात कहने दें।

पशुओं के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। वेटरनरी कॉलेज हमारे यहां सिर्फ एक है और मनुष्यों के लिए हमारे यहां पांच है कॉलेज। वेटरनरी कॉलेज में लड़कों को पांच साल पढ़ना पड़ता है। वहां भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से दूसरी कॉलेजों में पढ़ाया जाता है या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते है। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी जब बाहर निकलते हैं तो उनकी पे स्केल्स और इनकी पे स्केल्स में जमीन आसमान का फर्क है अब जो राणावत कमीशन ने निर्णय लिया है उसमें वेटरनरी डॉक्टर को जो वेतन मिलता है उसे कम किया गया है। डॉक्टर वगैरह के अलावा पशु-पालन विभाग पर इस राणावत कमीशन की विशेष मेहरबानी रही है, पता नहीं कि डाइरेक्टर से नाराज थे या क्या बात थी, सारे के सारे अधिकारियों की ऊपर से नीचे तक उपेक्षा की है। जिस समय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई ..

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : क्या राणावत आयोग पर विचार हो रहा है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : राणावत आयोग पर विचार नहीं हो रहा है। इस पर कह रहा हूं कि पशु-पालन विभाग के डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है ? डाक्टर को २७५-६०० की ग्रेड मिलती थी, ६०० से ८५० मिलते हैं उसका ६०० कर दिया। यह लोग दूसरे डॉक्टरों को जितना पढ़ने के लिये तैयार है, इतना पढ़ कर कॉलेजों से आते हैं। क्या उनके लिये कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है ? क्या पशुओं के डॉक्टर को पढ़ाई का काम नहीं करना पड़ता है जो

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मनुष्यों के डॉक्टर को करनी पड़ती है इसलिये उनके वेतन पर ध्यान देना चाहिये था। आज नौकरी के मामले में बाहर के लोगों को भर्ती कर दिया जाता है, हमारे आदमी चुप रह जाते हैं। आज मेडिकल कॉलेज में यह तय किया है उन्होने कि हम राजस्थान के आदमी को पढ़ाने के लिये रखेंगे और उनका ही एडमीशन होगा लेकिन वेटरनरी में दूसरे प्रान्त के लोगों का एडमीशन हो जाता है, दूसरे प्रान्त के लोग सर्विस में आ जाते हैं और यहां के सैंकड़ों की तादाद में बेकार बैठे रहते हैं। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी खाद्यमंत्रीजी ने बीच में टोका था कि क्या यहां राणावत कमीशन पर विचार हो रहा है ? उनका कहना ठीक है। उन्होंने अपने कृषि मंत्रालय और दूसरे पंचायत मंत्रालय के काफी अच्छे पे स्केल करवा लिये क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। दुर्भाग्य यह है कि पशु-पालन विभाग मंत्री, जिसके पास में इस विभाग की पावर हैं, कैबिनेट में बैठने का अधिकारी नहीं है इसलिये पशु-पालन विभाग के आफिसरों की आवाज वहां नहीं पहुँच सकती है और इसलिये उनके पे स्केल्स गिरा दिये गये। उन लोगों की आवाज मंत्रिमण्डल में नहीं पहुँची है जो कैबिनेट मिनिस्टर के नहीं है। पशु-पालन मंत्री भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं इसलिये उनकी आवाज भी वहां नहीं पहुँच पाई और विभाग का विभाग वैसा ही रह गया। मैं समझता हूं, यह मनफूलसिंह जी के लिये उचित नहीं है कि वह अपने आदमियों को नीचा दिखावें दूसरे डिपार्टमेन्ट की तुलना में। दूसरे डिपार्टमेन्ट में कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर में दो तीन साल की पढ़ाई करने वाले पांच साल की पढ़ाई करने वाले वेटरनरी के डॉक्टर के बराबर होंगे। यह सारे विभाग का, मैं समझता हूं अपमान है। मैं समझता हूं क्योंकि यह पशुओं का विभाग है इसलिये पशुओं की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाय यह उचित नहीं है। इनके साथ में उचित व्यवहार होना चाहिये, आदमियों जैसा व्यवहार होना चाहिये। मनफूलसिंह जी को स्टेट मिनिस्टर समझ कर उनके कब्जे में जो डिपार्टमेन्ट दे दिया है उसके आदमियों की यह हालत हो—मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में स्टेट मिनिस्टर को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिये और ध्यान देना चाहिये कि पे स्केल्स बराबर हों और इन लोगों का भी ध्यान रखा जाय।

आज यहां पर सेनिटरी इन्सपेक्टर्स हैं, डाक्टर्स हैं, इनमें क्या है, दूध, अंडे, मांस सभी देखने पड़ते हैं इन सब चीजों को पशु-पालन विभाग अच्छी तरह से देख सकता है या मेडिकल विभाग वाले अच्छी तरह से देख सकते हैं, पशुपालन विभाग वालों को यह काम दे दीजिये।

पशुपालन में आपका एक करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता है, शीप एण्ड वूल का खर्चा भी इसी में है, इसमें आपका खर्चा बहुत कम है और आमदनी बहुत अधिक है, इसलिये जानवरों के डाक्टर हैं, कम्पाउन्डर्स वगैरह हैं, उनकी अच्छी पे स्केल कीजिये। सी. विलेज स्कीम है, उसको बढ़ावा देना चाहिये, जानवरों की चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये ताकि डाक्टर और कम्पाउन्डर्स अच्छा काम कर सकें। आर्थिक दृष्टि से पशुपालन विभाग काम करे तो पशुधन राजस्थान में कम नहीं है, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, इसलिये आपको इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। ये मूक पशु

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
जो बोल नहीं सकते इनकी बात रखने की जिम्मेदारी आप पर है, जो बच्चे वेटरनरी में पढ़ते हैं जो वेटरनरी डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी आप पर है, आपको इनकी बात रखनी चाहिये। अगर आपकी कैबिनेट में नहीं चलती है तो हमारे पास बैठें, झगड़ा क्या है ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशुमेला संशोधन विधेयक पारित करने जा रहे हैं, उस विधेयक में जो बहुत जरूरी-जरूरी चीजें थीं, जो आवश्यक चीजें थीं, उन चीजों को तो विधेयक में लिया नहीं है। यो तो पशुओं के बिजनेस की, बेचने की बात करते हैं पर पशुओं के अन्दर जो महामारी राजस्थान के अन्दर चल रही है उसकी रोकथाम के लिये आपने आज तक अपने २०-२१ साल के शासन में एक भी दवाई सफल नहीं हुई है। तो क्या हमारी राजस्थान सरकार अच्छे डाक्टरों की व्यवस्था नहीं कर सकती, अच्छी दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर सकती ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि राजस्थान के पशुओं के अन्दर जो बीमारी फैल रही है, उसके लिये चाहे इन्जेक्शन लगाओ, चाहे गोलियां खिलाओ एक भी पशु बीमार होने के बाद बचता नहीं है तो क्या आप अच्छी दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, अच्छी दवाइयों की खोज करेंगे या नहीं ? अगर करें तो ठीक है, अगर नहीं करे तो ये सारे पशु अस्पताल बन्द कर दो।

इस साल जून और जुलाई इन दो महिनों में लाखों भैंसें मर गई, गला सूज जाता है, कलेजा सड़ जाता है, कलेजा बढ़ जाता है और उनके इलाज के लिये हम अस्पतालों में जाते हैं तो वहां डाक्टर कहते हैं कि दवाई नहीं है, यह तो जिला स्तर पर दवाइयां होनी चाहिये. पंचायत समितियों या नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में पशु अस्पताल कायम कर रखे हैं पर वहां दवाइयां नहीं है, खामोंखाम डाक्टरों को और कम्पाउण्डरों को बैठा रखा है और रुपया खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से बकरे-बकरी, भेड़ वगैरह लाखों की बजाय करोड़ों की तादाद में इन दो महीनों में साफ हो गये। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप इस बारे में कोई व्यवस्था करने को तैयार हैं या नहीं ? पेटेन्ट दवाइयां और एक्सपर्ट डाक्टर यदि आपके यहां नहीं है तो जैसे मंत्रियों को हवाईजहाज से यात्रा करवाते हैं, मंत्रियों के लिये हमारे देश का पैसा बरबाद करते हैं वैसे ही राजस्थान के पशुओं के लिये पेटेन्ट दवाइयों का प्रबन्ध करने को तैयार हैं तो उनके लिये पेटेन्ट दवाइयों, स्पेशलिस्ट डाक्टरों की व्यवस्था कीजिये वरना आपके ये सारे पशु अस्पताल बेकार हैं। हम दवाई के लिये इन पशु अस्पतालों में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे मवेशियों का गला सूज गया है, इनके कण्ठ रुक गये हैं तो कहते हैं कि इनको खिलाते नहीं हो। इतने नासमझ, अनजान डाक्टरों को रख कर क्या कर रहे हैं ? राजस्थान की जनता पर कर लगाकर उसे लूट रहे है, जानवरों के दवाखानों में डाक्टरों के पास दवाइयां नहीं है। हम इलाज के लिये जाते हैं तो कहते कि हमारे पास दवाईयां नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि ४१ दिन तक तो आदमी भूख से नहीं मरता है तो क्या मवेशी को नहीं खिलाने से उसका गला सूज जायगा ? कितने रद्दी से रद्दी अस्पताल आपने कायम कर रखे हैं

(श्री हीराभाई)

जानवरों के लिये। या तो आप राजस्थान की जनता से टैक्स लेना बन्द कर दो नहीं तो घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय भैंस सभी जानवरों के लिये दवाइयों का प्रबन्ध कीजिये। एक भी केस आपकी दवाइयों से ठीक हो जाय तो मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं। पर आज तक एक भी केस आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ है।

जानवरों के चेचक के टीकों का आप कहते हैं कि हर साल लगवाते हैं। पर दो-दो साल तक टीके नहीं लगाये जाते हैं, टीके लगवाने के लिये जानवरों के अस्पतालों में जाते हैं तो कहते हैं कि दवाई अभी यहां नही है, हमें दवाई के लिये एक-दो महीने पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तब जाकर दवाई मिलती है। ऐसी लापरवाही से खामोखाम अस्पताल कायम करके अस्पताल के नाम से हम लोगों को भुलावे में डाल कर हमारी मवेशियों को मरवाने की बात आप नहीं करें। आप इस तरह से हमें भरोसे में नहीं रखो तो हम लोग तो कुछ अपनी तरफ से इन्तजाम करें।

आपने जानवरों के लिये डॉक्टरों की दवाइयों की व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, मन्त्रियों की तो चालीस-चालीस की व्यवस्था कर दी पर मवेशियों के लिये आपने कुछ भी इन्तजाम नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार को राज्य करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि एक तो पेटेन्ट दवाइयों की व्यवस्था करें, फालतू इधर-उधर टाला-टूली नहीं करें। जानवरों में चेचक की बीमारी फैल रही है, दूसरी बीमारियां फैल रही हैं तो आपके डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं, तो फिर खामोखाम अस्पताल खोल कर जनता पर टैक्स का भार बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है।

दूसरा यह भी है कि पंचायत समितियों के सांड या बैल खरीदे जाते हैं उस वक्त आपके डायरेक्टर और आपके डॉक्टर लोग रिश्वत के सिवाय सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। १० सांड खरीदने हों तो राजस्थान के डॉक्टर साथ में जायेंगे, उस विभाग के आदमी साथ में जायेंगे और ५००, हजार रुपये लिये बगैर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में मेला है तो वहां भी रिश्वत बगैर सर्टिफिकेट नहीं देंगे।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार पर भी कन्ट्रोल कीजिये पर यह आपके बस का रोग नहीं है, कांग्रेस जब तक जिंदा है तब तक भ्रष्टाचार पर कन्ट्रोल नहीं कर सकती। हां दवाइयों के लिये यदि आप उत्सुक हैं तो जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है। यह तीसरा वाचन है, इसका दायरा बहुत सीमित है और विधेयक आ रहा है, उस पर आप बोल लेना। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। (राज्य मन्त्री श्री मनफूलसिंह बोलने के लिये खड़े होने पर) जो रिलेवेन्ट बातें हैं उन्हीं का कृपया उत्तर दें।

श्री मनफूलसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

राज्य मन्त्री (श्री मनफूलसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने

Page No. 66

(श्री मनफूलसिंह)

इस संशोधन विधेयक में भाग लिया है। उनमें से जिन-जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कल के बोलने के बाद में भाग लिया है उन्हीं माननीय सदस्यों को मैं जवाब देना चाहता हूं।

एक तो माननीय मनोहरसिंहजी मेहता ने चारागाह के लिये बहुत अधिक जोर दिया कि चारागाह को नष्ट किया जा रहा है। कल भी मैं बता चुका था कि चारागाहों के लिये पहली बात तो यह है कि वे रेवेन्यू विभाग के नीचे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट जहां उचित समझता है वहां चारागाह रखता है। किन्हीं भूमिहीनों को चारागाह अलॉट करने की बात आती है तो वे उचित समझते हैं तो वे अलॉट करते हैं। यह मेरी मान्यता है कि चारागाह हर शहर के पास हर गांव के अन्दर रहना चाहिये। उसके लिये मैं राज्य सरकार को लिख चुका हूं और मेरे पास कई जगह से इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि चारागाह को नष्ट किया जा रहा है। केटल ब्रीडिंग फार्म के लिये भी जहां रिजर्व किया है वहां ऐसे चरने के लिये घास-फूस वगैरा देते हैं। उन फार्मों को रखते हैं और उनको नष्ट नहीं करते हैं।

माननीय श्रवणलालजी ने चारागाह के लिये काफी जोर दिया। दूसरा उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि चिकित्सा के साधन होने चाहियें। उन्होंने खास तौर से मेलों की बात कही। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में भी कोई कॉन्क्रीट चीज आप देंगे। इस चीज में व्यवस्था हुई है और उसमें गड़बड़ हुई तो उसकी जांच करवा लेंगे। दूसरे माननीय रणजीतसिंहजी ने कहा कि ऊंट एक ऐसा पशु है जिसके ऊपर पशु-पालन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में एक केमल ब्रीडिंग फार्म है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितना ध्यान ऊंट के ऊपर दिया जा रहा है पशु-पालन विभाग की ओर से उससे हम को संतोष नहीं है। इसका विशेष कारण यह भी है कि हमारे पास धन का भी अभाव है। चौथी पंच-वर्षीय योजना में ऊंट के कई फार्म रखे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऊंट राज-स्थान में और खास कर रेगिस्तान में एक ऐसा पशु है जो काम का है। जिस घर में और गांव में ऊंट न हो या ऊंट बीमार हो जाय और दवाई न मिले और संकट आ जाय ऊंटों पर, मैं समझता हूं वहां का सारा का सारा काम ठप्प हो सकता है। क्योंकि दूर से पानी लाते हैं तो ऊंट पर लाते हैं, खेती करते हैं तो ऊंट से करते हैं, कोई चीज शहर से लाते हैं तो ऊंट से लाते हैं। राजस्थान में ऊंट एक बहुत काम का पशु है उसके बिना काम नहीं चल सकता। इस ओर राज्य सरकार काफी ध्यान देने की कोशिश करेगी।

श्री रणजीतसिंह : मैंने यह निवेदन किया था कि ऊंट को पशु में शुमार नहीं कर रहे हैं।

श्री मनफूलसिंह : पशु में शुमार कर रहे हैं। केमल ब्रीडिंग फार्म बीकानेर में खुला हुआ है। १७० ऊंट हैं। पशु-पालन विभाग से उन पर खर्चा भी किया जा रहा है।

श्री श्रवणलाल : काफी ऊंट राजस्थान में मर गये हैं और विभाग की ओर से कोई

(श्री श्रवणलाल)
दवाई ही नहीं दी गई। कहते हैं उनको तो कहते हैं कि फोरेन से दवाई नहीं आती है तो क्या करें ? हजारों ऊंट मर गये।

श्री मनफूलसिंह : मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री श्रवणलाल : बजट के समय भी स्वीकार किया और आज भी स्वीकार करते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

श्री मनफूलसिंह : इसके लिये काफी प्रयत्नशील हैं और ऊंट के विकास और रक्षा के लिये राजस्थान काफी इस विषय में सोच रहा है और भविष्य में इसका रिजल्ट निकलेगा और आप देखेंगे।

श्री रामकिशन : आप ऊंट को तो पशु मानते ही नहीं हैं। तो कम से कम कांग्रेस का सदस्य ही मान लो।

श्री मनफूलसिंह : आपके यहां कमी होगी इसलिये आप मानते हैं। हमारे यहां तो ऊंट ज्यादा हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : ऊंट ही ऊंट आ रहे हैं।

श्री शंकरलाल : रणजीतसिंहजी ने जो सवाल उठाया है, वह यह है कि ऊंट की चराई के लिये रेवेन्यू में जो जमीन घोषित होती है, उसको गांवों में नहीं मानते हैं। भेड़, बकरी, ऊंट वगैरा नहीं आते हैं। ऊंट को भी उस चराई में शामिल किया जाय यह आपके विभाग की ओर से कराया जाय। ऊंट किसी भी गोचर भूमि में नहीं चरने दिया जाता है इसलिये दिक्कत होती है।

श्री श्रवणलाल : माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि इन्क्वायरी करायेंगे। चिकित्सा वगैरा के लिये व्यवस्था करेंगे। मन्त्री महोदय यहां पर वक्तव्य दे देते हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उत्तर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन समय का सवाल है। रेलेवेन्ट सवाल है या नहीं, उससे सम्बन्ध है या नहीं यह देखना चाहिये। एक छोटे से विधेयक पर तीन दिन से विवाद चल रहा है। ज्यादातर बातें बिल से सम्बन्धित नहीं हैं आप मन्त्री महोदय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे आपको सूचना दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्री महोदय आश्वासन देना चाहते हैं उससे उनको क्यों रोकते हैं ? जुल्मों को रोक सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, संक्षेप में कहें। बिल रिजेक्ट होना चाहिये नहीं, आश्वासन देना चाहते हैं वह भी दे दें। रिजेक्ट करने की बात किसी ने कही भी नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : अमेन्डमेन्ट का जहां तक सवाल है और बिल का जहां तक सम्बन्ध है, दो-तीन माननीय सदस्यों के सिवाय और कोई माननीय सदस्य नहीं बोले। जनरल डिबेट के रूप में जिन माननीय सदस्यों ने कहा उनका उत्तर देना मैं उचित समझता हूं लेकिन संक्षेप में ही कहूंगा। अभी माननीय गोकुलप्रसादजी ने तनख्वाह के लिये कहा। राणावत पे-कमीशन ने रिपोर्ट रखी है। मैं

(श्री मनफूलसिंह)

समझता हूं यह कोई यहां पर सम्बन्धित प्रश्न नहीं है फिर भी मैं यह उचित समझता हूं कि पे-कमीशन ने जो डॉक्टरों की पे रखी है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि पशु चिकित्सा और इलाज का प्रसार होना चाहिये, उसके साथ-साथ जो उनकी तनख्वाह में कमी की गई उसको उचित नहीं समझते, मैं भी उसको उचित नहीं समझता हूं। राज्य सरकार को मैं इस सम्बन्ध में लिखूंगा। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान के बाहर से डॉक्टरों को बुला कर लगाया जाता है और राजस्थान के डॉक्टर फालतू फिरते हैं और उनको नौकरी नहीं दी जाती है। राजस्थान के बाहर से उस समय लिये जाते हैं जब कि उस तरह के टेक्निकल हैंड न मिलते हों और यदि क्वालिफाइड डॉक्टर मिलें तो राजस्थान से बाहर के डॉक्टरों को नहीं लेंगे। अगर लिये हैं तो भविष्य में नहीं लेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आप भी क्षेत्रीय भावना रखते हैं।

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान के लोगों पर शिक्षा के लिये खर्च करते हैं वे लोग यहां यों ही मारे-मारे फिरें और फिर भी बाहर से लें तो मैं उसको उचित नहीं समझता।

दूसरे माननीय सदस्य श्री गोयल साहब ने यह प्रश्न रखा था कि बूंदी के अन्दर एक गबन हुआ था उस गबन में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, और जिस व्यक्ति ने गबन किया उसने सुसाइड कर लिया। उसकी वसूली नहीं हुई। इस केस को हमने लॉ डिपार्टमेन्ट के अन्दर भेज दिया है और जब भी रिपोर्ट आ जावेगी तो पी. डी. आर. में वसूली के लिये केस भेज देंगे।

दूसरे माननीय सदस्यों ने हॉस्पिटल में दवाइयां एवं इलाज के लिये बहुतसी चीजें रखी मैं यह निवेदन करूंगा कि पशु-पालन विभाग इसमें दिलचस्पी ले रहा है। अभी आपको यह मालूम होगा कि दिल्ली के अन्दर एक पशु-पालन विभाग के तमाम स्टेट के मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी। उसके अन्दर इस बात की चर्चायें हुई। खास बात यह है कि अर्थ का कुछ अभाव है। इसलिये बहुतसी दवाइयां नहीं दे सकते। जितनी दे सकते हैं, दे रहे हैं। तो अब हम आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आ रही है, उसमें हम इसको रख रहे हैं। हम बहुतसे अस्पतालों के अन्दर दवाइयों का इन्तजाम करेंगे। जहां दवाइयां पहले से हैं उसमें बढ़ोतरी करेंगे। अस्पताल भी खोलेंगे। इसके साथ-साथ आई. सी. बी. का प्रोग्राम भी चल रहा है। आज भी बीकानेर में चल रहा है। यह करोड़ों की स्कीम है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि कम से कम तीन-चार स्कीम आई. सी. बी. की यहां राजस्थान में चलें। इसके लिये केन्द्रीय पशु-पालन मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि राजस्थान में अधिक पशु-धन है और इसको बढ़ाने के लिये आई. सी. बी. की स्कीम बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पशु-पालन विभाग अपने कर्त्तव्य के प्रति सचेत है, सचेष्ट है और इसके लिये बहुत अधिक काम करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पशु मेला (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पारित किया जाय ? जो पक्ष में हों, हां कहें।

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य पशु मेला (संशोधन) विधेयक, १९६८ पारित किया गया ।

राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८

श्री बृजप्रकाश गोयल (उप मन्त्री कराधान) : माननीय महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

(१) श्री रामकिशन (वि० स० १९६), (२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि० स० १९४) ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

१. "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को एक सप्ताह/पन्द्रह दिन के लिये जनमत जानने के हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) श्री मूलचन्द डागा (पाली) ने प्रस्ताव किया कि:

२. "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"

(१) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि० स० १३७), (२) श्री श्रवणलाल ने प्रस्ताव किया कि :—

३. "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ तीन माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) श्री केसरीसिंह हाड़ा (वि० स० २१), (२) श्री नत्थीसिंह (वि० स० ९०), (३) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि० स० ५२) ने प्रस्ताव किया कि :—

४. "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।"

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को जनमत के लिये परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह संशोधन विधेयक आया है, देखने में यह इतना मासूम है और इस सदन में भी मायूसी है और ऐसा लगता है कि किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि न तो कोई दोष है और न कोई इसके निकलने से नफा है। केवल विभागीय कमजोरी, अज्ञानता से यह संशोधन हमारे

(श्री रामकिशन)

सामने आया है । मैं नहीं कहता कि राजस्थान सरकार में कोई बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि का काफी प्रचार हो गया है। राजस्थान के मन्त्री इतने नासमझ लोग हों यह मैं नहीं मानता। राजस्थान के विभाग के संचालक, अधिकारी भी नासमझ हों ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अज्ञानता से, भूल के कारण, नासमझी के कारण, अपील की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह सरकार अपील की व्यवस्था क्यों करने जा रही है। इसमें जरूर राजस्थान के किसी बड़े मन्त्री की बुद्धि की उपज है इसलिए इसमें मुझे कुछ शंकाएं हैं। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का जो मामला है उसमें अपील करने की कोई व्यवस्था, प्रावधान नहीं था। उसमें अपील का प्रावधान रखने का और उसके बिल में यह संशोधन लाने का आज आपको क्यों खयाल आया ? ऐसा लगता है इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के मामले का सम्बन्ध कुछ सिनेमा मालिकों से है। गुपचुप में उनकी बात किसी बड़े मन्त्री से हो गई है और यह संशोधन लाया गया है। यह कोई बात है। कई तरह की राजस्थान में मनोरंजन की प्रक्रिया है। खेल-कूद, डिमॉन्स्ट्रेशन, आदि पर एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लग रहे हैं। इनके आयोजनकर्ता साधारण लोग होते हैं। वे यह टैक्स देते रहें। पैनल्टी देते रहें। अपील की व्यवस्था नहीं थी। अपील न होने से अधिकारियों ने जो उचित, अनुचित लगा पैनल्टी लगा दी और वह उन्होंने भर दी। उसे बरदाश्त कर लिया। परन्तु जब यही मामला बड़े सिनेमा मालिकों के साथ आया तो वे हाई कोर्ट में गये। इस बीच राजस्थान के मन्त्रियों से उनकी कोई बातचीत हो गई शायद। यह मानना पड़ेगा कि इसमें कोई होशियारी है। राजस्थान के मन्त्री ऐसे मामलों में होशियार हैं। वे बुद्धि में, व्यवहार में, उठने-बैठने में इन सब में होशियार हो चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मै समझता हू इसमें प्रेम प्रकाश सिनेमा के मालिकों से कोई बात हुई है। चाहे वे सरकार के मन्त्रियो को, कांग्रेस को चन्दा दें। इससे इसमें गंभीरता आ जाती है। यह छूट पास होने के दिन से देने की, इससे पहले से प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। उन पर जो जुर्माना हो गया उसको वापस लेने का अधिकार दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बिल लाकर सरकार इस सदन में शंका का वातावरण पैदा कर रही है। चाहे मन्त्रीजी, उप-मन्त्रीजी हों, जवाब देते समय वे इस बात को स्वीकार करें। क्या यह उनकी भूल थी या विभाग के अधिकारियों की भूल थी ? आपके मन्त्री, उप-मन्त्रियों की इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है ? इतनी बड़ी फौज रखने के बाद भी भूल क्यों हो जाती है ? तो आप अपनी गलती स्वीकार करें। मन्त्रीजी तो सदन में हैं नहीं। उप-मन्त्रीजी नये हैं। इनसे क्या कहूं। इसलिये इनको माफ कर देते हैं। सदन भी माफ कर देगा। मन्त्री महोदय होते तो उनसे लड़ाई भी लड़ता। ये तो नये आदमी हैं, अभी बच्चे हैं। माफ कर देता हूं। सदन में मेरे बाद श्री सतीशचन्द्रजी इस पर बोलेंगे और वे इस मामले के ज्यादा गुल खिलायेंगे। मेरी स्थिति दूसरी तरह की है। इतना मैं समझता हूं कि प्रेम प्रकाश सिनेमा मालिकों से दूसरों से क्या समझौता है, गुप्त वार्ता, कांग्रेस संगठन को पैसा देने के लिये हुई है। यह मेरी जानकारी है और यह

(श्री रामकिशन)

मैं समझ पाया हूं। इस विभाग के मंत्री योग्य व्यक्ति हैं। यह अधिकारियों के समझने की बात नहीं है। इनमें से आप एक बात स्वीकार कर लें कि या तो विभाग योग्य नहीं है या कांग्रेस के मन्त्रियों के हस्तक्षेप से विभाग द्वारा गलती की जा रही है। यहां जो मन्त्री, उप-मन्त्री हों वह इस सदन को बतावें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का मामला है इससे हमारे समाज की कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके सन्दर्भ में जितना जा सकते हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। हिन्दुस्तान की राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : समय १० मिनिट है।

श्री रामकिशन : मैं १५ मिनिट में इसको समाप्त कर दूंगा। यह मामला दूसरे टाइप का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम मनोरंजन के नाम पर हिन्दुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? सरकार का दृष्टिकोण है कि पैसा इकट्ठा हो? सरकार का काम टैक्स इकट्ठा करना है। इसके माध्यम से मानस बनाने का नहीं? तो जो गड़बड़ियां यूरोप में हो रही हैं, उन गड़बड़ियों के लिये हिन्दुस्तान तैयार हो जाय। सिनेमा चल-चित्र के जरिये समाज का मानसिक निर्माण कैसे हो, मैं जानता हूं कि यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है, किन्तु राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को, समय-समय पर सुझाव देना चाहिये। आज हमारे देश में मनोरंजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वही चलता रहा तो फ्रांस की सी हालत हम यहां भी करने जा रहे हैं। आपको जानकारी मिली होगी कि फ्रांस में बगावत है। यह वही फ्रांस है जिसने संसार को लोकतंत्र दिया है। जिसने सामन्तवादी व्यवस्था को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। उसी फ्रांस में कुछ दिन पहले नौजवानों ने, नवयुवतियों ने, मजदूरों ने मिलकर एक विद्रोह कर दिया है। उस विद्रोह के लिये जो मांगें गईं उठाई वह आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे और उससे भी हिन्दुस्तान की सरकारें, राज्य सरकारें, सरकारी विभाग कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। मैं उस सारे घोषणा पत्र को सुनाना नहीं चाहता। विद्यार्थी डिगॉल से प्रभावित थे जिसने फ्रांस को बनाया, यूरोप के देशों में जो उसकी स्थिति गिर गई थी उसको उठाया।

आज उस सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। सारे फ्रान्स की अवस्था को जर्जरित कर दिया। वहां के नौजवानों की पहली मांग यह है कि हमारी प्रेमिकाओं से खुले रूप में मिलने की इजाजत दी जाय। परीक्षाएं नहीं ली जायं समाज में क्या बुराई है और क्या भलाई है इसकी ओर ध्यान न दिया जाय। भौतिकवाद की ओर बहुत बढ़ गया है। इसकी ओर तो मैं चिन्तित नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता है कि फ्रान्स के नौजवानों को आज रोटी की कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी का कोई सवाल नहीं है। एक विशेष प्रकार की शिक्षा दी गई है, उनको खाने-पीने का कोई फिक्र नहीं है। उनके यहां सब साधन मौजूद हैं। लेकिन वे दूसरे गरीब देशों के बारे में नहीं सोचते हैं। फ्रान्स की अजीब स्थिति हो गई है। वे किसी दूसरे देश के लिये क्या करना चाहिये यह नहीं सोचते हैं। उनका तो एक ही दृष्टिकोण है कि स्त्री, सैक्स के

(श्री रामकिशन)

बारे में अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है। केवल प्रेम करना ही उनका एक मात्र ध्येय रह गया है। वही दशा आज हिन्दुस्तान की होती जा रही है। मैं कभी सिनेमा नहीं जाता। १०-१५ साल में दो-एक बार गया हूंगा। पूरी जिन्दगी में एक-आध बार मैं अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया हूंगा और एक-आध बार ही अपने साथियों के साथ गया हूंगा। मैं मंत्री महोदय की बात नहीं करता हूं। मंत्री लोग अक्सर देखते रहते हैं। मैं मानता हूं कि आमदनी का जरिया सिनेमा है, लेकिन सिनेमा के सामने सामाजिक लक्ष्य होना चाहिये। मैं कहता हूं कि हम भी यूरोप की तरह साधन-सम्पन्न हो गये तो हम क्या करेंगे, यह एक सोचने की बात है। यूरोप की तरह हमें नहीं करना चाहिये। हमसे जो पिछड़े हुए देश हैं, उनके लिये हमारा क्या कर्त्तव्य है? इस प्रकार राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिये। मैं कोई सर्वोदयी नेता नहीं हूं। भौतिकवादी नहीं हूं। लेकिन जो प्रेस्क्राइड प्रक्रिया है वह चलती रहनी चाहिये। मनुष्य उम्र के साथ सब सीख जाता है कि उसका क्या कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य के बारे में मुझे बड़ी चिन्ता है, क्योंकि मनुष्य आजकल अपने कर्त्तव्य को भूला हुआ है। यूरोप प्रेमिकाओं से प्रेम करने के बारे में आज अधिक सोचता है। हिन्दुस्तान भी आज उसी गति की ओर बढ़ रहा है। ये सब सिनेमा उसी पर आधारित हैं।

लूथरकिंग ने सामाजिक संघर्ष किया। उसकी जो पत्नी थी केरेटा जो एक गायिका थी, उससे प्रेम किया और दोनों का सम्बन्ध हो गया। उन दोनों में आपस में बड़ा भेद था लेकिन समाज परिवर्तन में, जाति-भेद तथा काले-गोरे का भेद मिटाने के लिये संघर्ष में जुट गया। उसका वह वास्तविक प्रेम था लेकिन हमारे देश में आज लक्ष्यहीन सिनेमा बनते जा रहे हैं। सिनेमाओं का कोई मॉरल नहीं रह गया है उनका ध्येय तो केवल मात्र पैसा कमाना है। आज आप इस प्रकार के चित्र पायेंगे जिनमें सैक्स की बहुत बढ़िया बात हो, तामझाम के वस्त्र पहने हों, बहुत बढ़िया सोफासैट हो, रेशमी रजाई हो। सारे ऐश-आराम की बातें दिखाई जाती हैं, जिसे देखकर हर आदमी का मन ललचा जाता है। उनका ही मन नहीं हमारा भी मन, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार देखकर ललचाता है कि इस प्रकार के पूंजीपतियों की जिन्दगी होनी चाहिये सो दूसरों की तो कहनी ही क्या है, जब हमारा स्वयं का मन डिग जाता है। उन रेशमी रजाइयों में सोने का और प्रेम करने का मन किसका नहीं चाहता? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) प्रेम जो भी होता है, वह रेशमी रजाइयों में होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जब ये राज्य सरकार के मंत्री लोग कहीं मिले तो सिनेमा और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में न सोचें, लेकिन उसके बारे में चिन्तन करें।

१०-२० साल के बाद कांग्रेस के राज्य में यह नहीं होगा। यह तो जब हमारा राज्य आयेगा तभी होगा। ये लोग नहीं जानते कि नौजवानों को किस प्रकार का सबक दें। उसके लिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज का सही दृष्टिकोण क्या हो इसके लिये आप मंत्रीजी से कहें कि वे मुख्य मंत्रीजी को यह

(श्री रामकिशन)

बतायें कि अगर डेवलपमेन्ट कौन्सिल में जायें तो इस बारे में प्रधान मंत्रीजी से विचार-विमर्श करें और उन्हें अवगत करायें कि जो हिन्दुस्तान की दशा चल रही है, उसकी तरफ आपका चिन्तन होना चाहिये। इस देश को भविष्य में ऐसी हालत में नहीं डालें जैसी हालत आज यूरोप में प्रेमी और प्रेमिकाओं की चल रही है।

मुझे इस बात के बारे में निवेदन करना है कि इस विभाग को चुस्त बनायें, लेकिन इस विभाग में लीकेज बहुत हैं। जब कभी गवर्नमेन्ट होस्टल में मेम्बर्स आते हैं। मैं भी जाता हूं मैं प्रमुख भी और उस हैसियत से लोग आते हैं और एम्प्लॉयमेन्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि, भाई, इस समय एम्पलॉयमेन्ट की स्थिति खराब है और खास तौर से वे लोग एम्पलॉयमेन्ट के लिये तीन विभागों को चुनते हैं। मैं जब कहता हूं कि मास्टर हो जाओ तो, उपाध्यक्ष महोदय, उनका यह जवाब होता है कि मास्टर तो हो ही जायेंगे, लेकिन कहीं सैल्स टैक्स में, ट्रान्सपोर्ट में और या कहीं पुलिस में थानेदार आदि बन जाय तो अच्छा रहे और इसके लिये कुछ देना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की परिस्थिति क्यों होती जा रही है? हम भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करते हैं और मां-बाप इन तीनों विभागों में भेजने की कोशिश करते हैं। उनके बाप ईमानदार बनते हैं और कहेंगे कि मैं विधानसभा का मेम्बर रहूंगा, लोकसभा का मेम्बर रहूंगा लेकिन अपने बेटे को इन तीनों में क्लर्क बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिये चाहे उनको कुछ भी करना पड़े।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि जो इस विभाग का आकर्षण बना हुआ है, उसको खत्म करें। विभाग हमारी आमदनी बढ़ाने के जरिये है न कि भ्रष्टाचार के अखाड़े हैं। इतना मैं कह करके, क्योंकि आपने समय की सीमा बान्धी है स्थान ग्रहण करूंगा। अब हमारे माननीय सतीशजी हैं वे सरकार की नीतियों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के समक्ष राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एन्ड एडवरटाईजमेन्ट (अमेन्डमेन्ड), बिल, १९६८ विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस विधेयक के माध्यम से जो मनोरंजन कर लगाने की व्यवस्था की गई है, उसके सम्बन्ध में अपील करने की व्यवस्था मूल विधेयक में नहीं थी, और इसीलिये अपील करने का प्रावधान निर्धारित अवधि के अन्दर निर्धारित अधिकारी के समक्ष करने की व्यवस्था की जा रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, इसके पूर्व कि मैं अपने विचार प्रकट करूं कि यह अपील करने की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं क्या सदन को यह बता सकते हैं कि यह अपील किसके पास की जायगी?

श्री रामकिशन : एक अधिकारी की नियुक्ति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं वह तो जो उसमें लिखा है, मैंने पढ़ लिया है। आपको (माननीय उपमंत्रीजी को) जबानी रूप में पूछता हूं कि यह अपील करने की व्यवस्था किसके पास होगी?

श्री बृजप्रकाश गोयल : रूल में प्रोविजन किया हुआ है। धारा ३ में अपील हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके पास होगी।

श्री बृजप्रकाश गोयल : डिप्टि कमिश्नर रूल्स में प्रोवाईड किया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, मै इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सदन ने १९५७ में पास किया और १९५७ के बाद अब १९६८ चल रहा है। क्या इन ११ सालों में अपील करने की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है और अपील करने की स्थिति पैदा नहीं हुई तो इसके माने असेसमेन्ट नहीं हुआ और असेसमेन्ट हुआ तो अपील के प्रावधान का विचार नहीं किया ? यह तो सरकार स्वयं विचार करे कि दस-दस साल बाद पहली अपील का प्रावधान करने का कानून इसमें पेश करते हैं। पर, उपाध्यक्ष महोदय, देर आयद दुरुस्त आयद। राज्य सरकार को आज भी अक्ल तो आई। चाहे देर से आई। यह तो ठीक है।

पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार करते हुए एक दो बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय एक बड़ा भारी प्रश्न जैसा उपमंत्री महोदय ने सूचित किया इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की अपील डिप्टि कमिश्नर के यहां होगी और इस की निगरानी राजस्व मण्डल में करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में अगर नहीं है प्रावधान तो राज्य सरकार करने की व्यवस्था करेगी और आश्वासन सदन में देगी। पर चूंकि इसमें उल्लेख नहीं है इसलिये कहना चाहूंगा कि इन सारी अपीलों के निर्णय के विरूद्ध निगरानी करने का अधिकारी सेल्स टैक्स कानून मे जैसे राजस्व मण्डल को दिया है उस तरह निगरानी करने का अधिकार इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में होना चाहिये और इसका प्रावधान नहीं हैं तो किया जाना चाहिये। इसके बारे में उपमंत्री बतावेंगे। उपमंत्री महोदय का सम्बन्ध इस टैक्सेशन विभाग से है। इसकी अपील डिप्टी कमिश्नर के यहां करने की व्यवस्था की गई हैं। इसके खिलाफ अपील करने का राजस्व मण्डल में प्रावधान होगा। राजस्व मण्डल अजमेर में स्थित है। पिछले बजट अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि टैक्सेशन केसेज की दृष्टि से राजस्व मण्डल की सिटिंग जयपुर नगर में हो इसके लिये इनकी बैंच जयपुर में होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले इतने दिनों में जयपुर में काफी केसेज निपटाये गये फिर भी काफी पेण्डिग में हैं और दो दिन जो इसके लिये रखते हैं ये बहुत कम हैं। हजारों की संख्या में मुकदमें पड़े हैं। तो उनका समय दो दिन के बजाय एक सप्ताह किया जाना चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्व मण्डल की बैंच राजस्थान के विभिन्न भागों में जाकर कोर्ट होल्ड करती है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा में जाती है तो जब यह बैन्च जोधपुर, कोटा, उदयपुर में जाकर राजस्व सम्बन्धी मामलों का भी निर्णय कर सकता है तो क्यों नही वही बैंच इन राजस्व

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के केसों को भी जयपुर में सुनती है। ताकि भरतपुर, अलवर, टोंक, सीकर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर आदि सात आठ जिलों की जनता को इससे राहत मिल सकेगी।

फिर आप जब वे सेलसटैक्स के केस निपटाने जयपुर में दो दिन के लिये आते हैं तो भत्ता किराया सरकार को देना ही पड़ता है तो एक बार के किराये में हर दूसरे दिन आने-जाने के बदले दो दिन के बजाय सात दिन एक साथ बिठा देंगे तो इससे आने-जाने के किराये की बचत होगी और यहां भी काफी केस वे सुन सकेंगे और फिर बजाय रोटेशन में रखने के परमानेन्ट बैंच कायम की जावे तो काफी सहूलियत लिटिगेन्ट जनता को मिलेगी, जल्दी और सस्ता न्याय भी उनको मिल सकेगा, और दैनिक भत्ता भी नहीं देना पड़ेगा, और महिने भर बैठ कर यहां के मुकदमों को आसानी से सुन सकेंगे। उनके अजमेर जाने-आने की हर दूसरे दिन की दिक्कत बच जावेगी। अजमेर पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उदयपुर, जोधपुर, और कोटा भी तो जाते हैं। अगर परमानेन्ट बैन्च भी कर दे तो यहां इतना काम है कि सबको राहत मिलेगी और काम की कमी नहीं होगी केस जल्दी निपट सकेंगे, जल्दी सबको न्याय मिल सकेगा जिसकी घोषणा पिछले सत्र में सरकार ने भी की थी। जो सरकार की मंशा थी उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ इस सन्दर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा। जिस वक्त मनोरंजन कर का कानून बनाया गया था उस समय यह व्यवस्था थी कि इस सारे कर प्राप्त करने के अधिकार को नगरपालिका से सरकार ले रही है तो उन स्वायत्त शासन संस्थाओं की अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात होगा। इस को मद्दे नजर रखकर यह आश्वासन दिया था कि नगरपालिकाओं को पहले तीन साल की जो आमदनी इस टैक्स से होती थी उसका औसत निकाल कर इस मनोरंजन कर का हिस्सा उनको सरकार अदा करती रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज पिछले दस सालों में राजस्थान में मनोरंजन कर में काफी वृद्धि हुई है नये-नये सिनेमाघर बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है। सिनेमा जाने की लोगों की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। दूसरे मनोरंजन के साधन यह सरकार जनता को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। जिस तरह राजस्थान की और हिन्दुस्थान की जनता इनके राज्य में महंगाई के कारण, अधिक करारोपण के कारण, भ्रष्टाचार, बेकारी और बेरोजगारी के कारण कराह रही है तो इस से परेशान होकर वह किसी प्रकार का मनोरंजन करना चाहती है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वह कई तरह के मनोरंजन के लिये जाता है। पर सिनेमा ऐसा नहीं हैं जिसको अधिक पैसे के कारण लोग पसन्द करते हों। अधिकतर ऐसे हैं जो अपनी दिमाग की थकान, बेकारी, बेरोजगारी की वजह से मिटाने के लिये चौदह आने, एक रुपया, सवा रुपया खर्च करके सिनेमा में बैठते हैं और दो तीन घंटे के लिये मानसिक असन्तुलन को कम करते हैं। कांग्रेस के राज्य में रोजी-रोटी नहीं मिल रही है पर टैकनिकल कॉलेज का मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी वहां बैठकर दो ढाई घंटे का समय अपना बिताता है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इतने समय के लिये अपनी दिमाग की थकान को दूर करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो राज्य सरकार को विचार करना चाहिये कि नगरपालिकाओं की आमदनी सरकार ने ली है दस साल पहले अब जब कि सिनेमाओं की आमदनी बढ़ी है एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से भी सरकार की आमदनी बढ़ रही है तो उसी अनुपात से नगरपालिका को भी बढ़ाकर उसका हिस्सा दे। अगर सरकार ईमानदार है तो दस साल पहले एवरेज क्या था और आज क्या है उनको फिर से रिवाइज करके बढ़े हुए अनुपात में नगरपालिकाओं को इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में से हिस्सा सरकार उनको दे। इस सम्बन्ध में सरकार को घोषणा करनी चाहिये और जनमत इस सम्बन्ध में जाना जावे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। सदन के माननीय सदस्य उसका समर्थन करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। अगर देश का, किसी देश का नागरिक स्वस्थ और सक्षम हम देखना चाहते हों तो नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिये। आत्मनिर्भर होना चाहिये उसे। नहीं तो उसके नागरिक विकास नहीं कर पावेंगे। तो इस दृष्टि से मेरे से पहले वाले वक्ता ने जैसे कहा सरकार को नगरपालिका को और अधिक हिस्सा इस एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में से देना चाहिये। आज नगरपालिकाओं की हालत खराब हो रही है। राजस्थान में तो ८० प्रतिशत नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत बिलकुल गिरी हुई है। उनके पास अभी तक हरिजनों को चुकाने के लिये पूरा पैसा नहीं है, पर सरकार न उनको सेल्स टैक्स में से पैसा देना चाहती है न इनकम टैक्स में से देना चाहती है। हालत यह हो रही है थोड़े दिन बाद सरकार हाउस टैक्स भी उनसे छीनने वाली है। तो मेरा तो यह मानना है कि मनोरंजन कर और एडवर्टाइजमेन्ट के मामलों में टैक्स की सारी आमदनी नगरपालिका को देनी चाहिये। थोड़ा देने से काम नहीं चलेगा। आज नगर के विकास की आवश्यकता है। गन्दी बस्तियां हैं, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, आज सड़कें नहीं हैं, न नागरिकों के लिये अच्छे उद्यान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्वयं वकील हैं, अपील से इनका सम्बन्ध क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मनोरंजन कर पूरा नगरपालिका को देने का कष्ट करें और इससे इसका यही सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अध्यादेश को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का संशोधन रखा है। जो इस अध्यादेश में प्रोवीजन किया गया है वह केवल पेनल्टी की अपील का प्रोवीजन है। मैं समझता हूं कि इस एक्ट में काफी बुनियादी बातों पर विचार करके और अधिक व्यापक एपेन्डिंग बिल लाने की आवश्यकता है। इस सरकार की नीयत केवल टैक्स वसूल करने की ही नहीं होनी चाहिये। यह भी होना चाहिये कि जिस जनता से यह टैक्स वसूल करती है उसका जनता को भी ठीक प्रकार से लाभ मिले। यह बात देखने की सरकार की अधिक जिम्मेदारी है।

मनोरंजन कर जिन चीजों से वसूल होता है चाहे वह सिनेमा हो, सरकस हो, ड्रामा हो, केवल पैसा और टैक्स वसूल करने का उनसे लक्ष्य सरकार को नहीं रखना चाहिये, बल्कि इन माध्यमों से देश के नव निर्माण के लिये नव उत्साह और उमंग जनता में भरने के लिये भी काम लिया जाना चाहिये। कई उदाहरण सामने हैं हमारे कि जिन देशों ने इन माध्यमों से अपने देश का निर्माण किया है, जनता में उत्साह, उमंग, स्फूर्ति और देश-प्रेम की भावना भर दी है। देश की जनता को इस माध्यम से मोबीलाइज किया है और वास्तव में इनका पार्टीसिपेशन देश के नव निर्माण में कराया है।

तो इस दृष्टि से इन मनोरंजन स्थलों के सुधारने और उनका उपयोग उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम किस सीमा तक सफल हुए हैं यह देखना चाहिये और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम इस में कतई सफल नहीं हो पाये हैं। इसका इस दृष्टि से रिओरियेन्टेशन होना चाहिये। हमें इनका उपयोग चरित्र निर्माण के हित में करना चाहिये, देश भक्ति की भावना जनता में भरने की दृष्टि से करना चाहिये। आज तो इनको देख-देख कर हमारे नवयुवक छात्र बालक-बालिकाएं, गिरहकट, जेब कतरे चार सौ बीस, सैक्सुअल बनते जा रहे हैं मानो यही हमारा उद्देश्य हो। तो इस प्रकार के चित्रपटों को भी हमें बदलना है। सुधारना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जहां चलचित्रों का सवाल है यह केन्द्रीय सरकार का विषय है। वह जिम्मेदार है इसके लिये। हमारे राज्य सरकार का उस पर कन्ट्रोल नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि जो राज्य सरकार चाहे तो इस पर सीरियसली विचार करे। आखिर राजस्थान में जो जनता रहती है जहां पर इतने चलचित्र दिखाये जाते हैं उससे राजस्थान की जनता का चरित्र अच्छा बनता है या बुरा, यह देखने का हमारा कर्त्तव्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! बिल की सीमा में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फर्स्ट रीडिंग में काफी वाइड स्कोप होता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सबको सीरियसली इस पर सोचना-विचारना चाहिये ताकि इन माध्यमों को सही रूप से अब भी देश के निर्माण में हम इस्तेमाल कर सकें। नौजवानों के चरित्र निर्माण में इनको इस्तेमाल कर सकें।

चलचित्रों पर सरकार का नियन्त्रण सीधा न सही, पर नाटक, सरकस पर तो है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार अपनी तरफ से इस तरह का इनीशियेटिव लेकर ऐसी संस्थाओं को जो अच्छे उद्देश्य से काम करना चाहें करों में छूट देकर, और और तरह से प्रोत्साहन देकर ऐसे क्लब और ड्रामेटिक सोसायटियों को प्रोत्साहन दे सकती हैं ताकि वह इस देश में आगे रचनात्मक तरीके से ठोस तरीके से कदम उठा सकें और वास्तविक हमारी समस्याओं को समझ कर आगे बढ़ सकें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जैसा औरों ने भी कहा है यह मनोरंजन कर वास्तव में नगरपालिकाओं को ग्रामपंचायतों को या जहां पर भी यह मनोरंजन कार्य हों उनको देना चाहिये। अभी तो सरकार एक नगरपालिका और दूसरी नगरपालिका में भी भेदभाव कर रही है।

एक पर्टीक्यूलर तरीके से यह मान लिया कि उस रोज जो नगरपालिका यह टैक्स वसूल करती थी उनको तो हम देंगे बाकी को नहीं जिन्होंने बाद में वसूल करने की बात सोची। मैं समझता हूं इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं जानता हूं अलवर में पहले यह टैक्स वसूल नहीं होता था। नगरपालिका वसूल करना चाहती थी, पर सिनेमा वालों ने रिट करके स्टे करवा दिया। इसलिये वहां की नगरपालिका सरकार को तीन साल का अपना रेश्यो नहीं बता सकी और इसलिए सरकार उसको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का कोई हिस्सा नहीं दे रही है। इस पर मैंने पहले कहा है। दरअसल यह टैक्स लोकल बाडीज का होना चाहिये। तो आज जो भेदभाव बरता जा रहा है वह समाप्त होना चाहिये।

(२.२० म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत,
सभानेत्री, पदासीन)

इसका प्रपोर्शन दुबारा तै किया जावे। ये दो बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दौलतराम सारण!

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई!

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया!

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदया...

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी कोरम भी बन रहा है या नहीं। गिन तो लें।

श्रीमती सभानेत्री : कोरम है आप बोलिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदया यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका एक मात्र उद्देश्य अपील से संबंधित है। यद्यपि हमारे राजस्थान की सरकार की जिसके अन्तर्गत मनोरंजन कर से संबंधित विभाग है हमारी सरकार के पास जो विधि विभाग है उस विभाग ने दस साल तक ध्यान नहीं दिया। यह इसको साबित करता है कि राजस्थान की सरकार का यह विधि विभाग और यह मनोरंजन कर विभाग, सेल्स टैक्स विभाग बिलकुल अयोग्य है। इसके साथ ही

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

साथ में यह जो मनोरंजन कर पहले नगरपालिकाओं को दिया जाता था उसके कारण से नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक थी लेकिन हमारी राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को बढ़ती हुई आमदनी को देखकर यह जो नाटक रचा कि इस प्रकार से यह मनोरंजन कर को आमदनी होती है उसका ३ साल का हिसाब लगाकर उसका एक हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जावेगा...

श्री श्रवणलाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। हाउस का कोरम नहीं है। इसलिये जब तक हाउस का कोरम नहीं हो पूरा तब तक के लिये हाउस को एडजर्न कर दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : कोरम है पूरा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो मनोरंजन कर का कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जाता है, कुछ प्रतिशत दिया जाता है वह अपर्याप्त है। यदि वास्तव में राजस्थान की सरकार नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को, उस क्षेत्र के विकास को ठीक ढंग से चलाना चाहती है तो यह सारा का सारा मनोरंजन कर उन क्षेत्रों की नगरपालिकाओं को जहां सिनेमागृहों के माध्यम से और अन्य तरीकों से जो मनोरंजन कर की आय होती है वह उस क्षेत्र की नगरपालिका को और पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आज हमारी सरकार जिन क्षेत्रों में नगरपालिकाओं पर विरोधी दल का कब्जा है जैसे, माननीय सभापति महोदया, कोटा नगर परिषद् के ऊपर जनसंघ के सदस्यों का बहुमत के आधार पर कब्जा है आज उस नगर परिषद् को मनोरंजन कर की आय नहीं दी जाती है। नगर परिषद् के अध्यक्ष ने और बोर्ड ने अनेक बार राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि इस मनोरंजन कर के माध्यम से कोटा क्षेत्र में जो आय होती है वह सारी की सारी राज्य सरकार या जो निर्धारित है वह नगर परिषद् को दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि नगर परिषद् के ऊपर जनसंघ का अधिकार है, विरोधी दल का अधिकार है इसलिए उसकी नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति को जर्जर करने के लिए यह राजस्थान की सरकार मनोरंजन कर की आय को कोटा नगर परिषद् को नहीं दे रही है। इसका क्या कारण है?

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदया, कोटा नगर आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इसकी आबादी काफी बढ़ गई है। कोटा के अन्दर आधुनिक ढंग के कारखाने खुलने के कारण आज वह राजस्थान का कानपुर माना जाता है। इसके अन्दर हजारों की संख्या में मजदूर आये हैं और उसका क्षेत्रफल बढ़ा है। उस कोटा नगर के अन्दर केवल २ ही सिनेमा हैं और इन दोनों पर एक ही मालिक का अधिकार है। अनेक बार कोटा जंक्शन के ऊपर एक और नया सिनेमा घर खोलने के लिए नये व्यक्तियों ने प्रयास किया लेकिन वह व्यक्ति जो वहां दो सिनेमाओं का मालिक है वह कोई तीसरा सिनेमा नहीं खुलने के लिए जिम्मेदार है और उसने मंत्री लोगों से सांठ गांठ कर रखी है...

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभानेत्री महोदया, हाउस में कोरम नहीं है। इसका ध्यान रखा जाय।

(गणपूरक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : (कोरम पूरा होने पर) हां, आप (श्री देवीदत्त गाड़िया) प्रारम्भ रखिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा के अन्दर जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है—कानपुर जो माना जाता है और उसके क्षेत्रफल के अन्दर, आबादी में विस्तार होने के बाद आज एक ही मालिक के दो सिनेमा होने के कारण तीसरा सिनेमा नहीं खुलने दिया जा रहा है। आज वहां पर माननीय सभापति महोदय जब मजदूर व दूसरे श्रमिक वर्ग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, बढ़ती हुई आबादी को देखकर दो सिनेमाओं का वहां पर अभाव माना जाता है। कोटा नगर के अन्दर सिनेमा हॉल में जिस समय पिक्चर चलता है तो टिकटों का ब्लेक होता है और उसके कारण से राजस्थान की सरकार को जो मनोरंजन कर की आयहोनी चाहिए वह पूरी नहीं होकर सिनेमा मालिक ब्लेक के अन्दर टिकट का वितरण कराते हैं। कोटा जंक्शन के अन्दर मैं माननीय मंत्रीजी और उप-मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि कोटा नगर के अन्दर तीसरा सिनेमा हो तो जंक्शन पर खोलने के लिए वहां के नागरिकों ने नये लाइसेन्स के लिए मांग की उसको आज तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? और यदि आज एक सिनेमा और खुल जाय तो राजस्थान सरकार को, कोटा की नगर परिष कोद् मनोरंजन कर की आय बढ़ेगी, सरकार की आय बढ़ेगी और इससे नगर परिषद् को भी सहायता मिलेगी। लेकिन आज ये वहां से उद्योगपतियों के सांठगांठ करके इस प्रकार से कोटा नगर की बढ़ती हुई आबादी को मनोरंजन के साधनों का अभाव पैदा करना चाहते हैं।

इतना ही नहीं आज मैं एक बात की ओर, माननीय उप-मन्त्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी चलचित्र है उनको आय का किस प्रकार से असेस करेंगे? किस प्रकार से उनको अपील करेंगे जिस समय मीलों के अन्दर सिनेमा दिखाते हैं उनकी आय होती है उसमें अधिकारीगण चलते फिरते सिनेमाओं के मालिकों से मिलकर सरकार की आमदनी के ऊपर कुठाराघात करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या नीति होगी?

अंत के अन्दर मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार ने धार्मिक संस्थाओं को, सांस्कृतिक संस्थाओं को और इस प्रकार की संस्थायें जिससे उस इलाके के अन्दर धार्मिक सोसा-इटीज शिक्षा की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से उसके विकास के लिये किसी प्रकार का कोई नाटक करती हैं, किसी प्रकार का सांस्कृतिक नृत्य करती हैं उस कार्यक्रम के लिये हमारी सरकार मनोरंजन कर की छूट देती है लेकिन अभी, माननीय सभापति महोदया, झुंझुनू के अन्दर २३ अगस्त को खेल संगम ने एक पवित्र धार्मिक स्थान रानी सतीजी के मेले के अन्दर देश और विश्व का विख्यात नृत्यकार और हमारे हिन्दुस्तान का माना हुआ गोपीकृष्ण का नृत्य हुआ था। उसके सम्बन्ध में कला संगम ने मनोरंजन कर की छूट के लिये उनको यहां पर जयपुर में आना पड़ा। मैं इसके सम्बन्ध में उपमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनके लिये क्यों नहीं जिलाधीश को इस प्रकार की छूट देने का अधिकार दे दिया जाता है कि वह मनोरंजन कर की छूट दे

Page No. 81

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सकते हैं ताकि लोगों को जयपुर आकर यहां के अधिकारियों के पास आने-जाने का खर्च नहीं करना पड़े।

मैं यह अन्त में कहूंगा कि यह जो मनोरंजन कर है, वह नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये। दस साल पहले नगरपालिकाओं को यह अधिकार मिला हुआ था। वह उनको फिर मिलना चाहिये ताकि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो।

अन्त में मैं कुछ और निवेदन करूंगा कि जितने सिनेमा हॉल हैं, जितने पिक्चर चलते हैं, उनमें पानी की, सफाई की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे स्थानों पर जहां २० हजार, २५ हजार की आबादी है और एक सिनेमा हॉल चलता है। जिसमें मनोरंजन के लिये सभ्य मनुष्य जाते हैं वहां शौचालय का स्थान नहीं है। समय का कोई निर्धारण नहीं है। रात के दो-दो बजे तक सिनेमा चलते हैं। सरकार को पूरा कर नहीं मिलता है। चलते-फिरते सिनेमाघरों को इजाजत नहीं मिलती है। सरकार की क्या नीति होगी। यह कर नगरपालिका को दिया जाये। इस सम्बन्ध में यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मेरा, राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १९६८ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। यह प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में सन् ५७ से यह टैक्स नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किया जाता था। इसके कारण नगरपालिकाओं की आय को बड़ा धक्का लगा है। यह मनोरंजन कर जैसा कि सिनेमा के अन्दर चाहे एक हो या एक से अधिक हों वह वहां की नगरपालिकाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को धन की पूर्ति के लिये साधन था। उसके अनुसार वह जो ढंग से अपने कार्यों को पूरा कर सकती थीं। लेकिन, सभानेत्री महोदया, इस विधेयक को इस सरकार ने सन् ५० के बाद में इस प्रकार का एक संशोधन लाकर नगरपालिकाओं की आय को समाप्त करके राज्य ने अपने हाथ में लिया है। जिस प्रकार से नगरपालिकाओं की आय खत्म हुई है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति को इतना धक्का लगा है। वह काम करने जा रहे थे, वह इन्कम बढ़ाने जा रहे थे इससे उनको काफी नुकसान पहुंचा है। सभानेत्री महोदया, इसके कारण नगरपालिकाओं से जो साधन उपलब्ध किये जा सकते थे वह कोई वृद्धि नहीं कर पाये हैं। जिस प्रकार से सरकार को यह मानकर चलते हैं कि एक बड़ा भारी कार्य होता है। आज यहां इस प्रकार का वातावरण पैदा करके चलते हैं कि हमको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। सभानेत्री महोदया, अगर सिनेमा देखने के लिये जायें तो बिना ब्लेक के टिकट नहीं मिलता है। हमें धक्का मुक्की करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। न दर्शकों को बैठने की सुविधा होती है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है। जिसके कारण वहां पर जाने वाले यात्री जो भी पिक्चर देखने के लिये जाते हैं तो पीने के पानी के लिये ५ या १० पैसा देना पड़ता है। बिना पैसा दिये पानी नहीं मिल सकता है। हमारी सरकार इतना कर वसूल करती है। इतना कर वसूल करते हैं लेकिन सुविधाओं का

(श्री श्रवणलाल)
प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। रात-दिन वहां ब्लेक होता है। हमारी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। सरकार यह सोचती है कि हमें इससे क्या मतलब है ? हमें तो जनता से टैक्स वसूल करना है। किसी भी तरह से बढ़े। लेकर मनमाने ढंग से खर्च किया जाये। सभानेत्री महोदया, किसी प्रकार से कोई सभ्य व्यक्ति किसी चलचित्र में जाये, स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है, विद्यार्थी है, परेशान हो। जिस प्रकार से नौकरी के सम्बन्ध में मारे-मारे फिरते हैं। किसी प्रकार की सर्विस नहीं मिलती है। तो वह मनोरंजन के लिये शान्ति प्राप्त करने के लिये, अपने मन को एक प्रकार के वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिये सिनेमा हॉल में जाता है तो उसको तरह से हमको देखना चाहिये। इस विधेयक से नगरपालिकाओं को जो आय होती थी, उनकी आय पर आघात हुआ है। वह आय नहीं बढ़ सकती है। न किसी प्रकार का विकास कर सकती है। चाहे वह वाटर स्कीम हो, मेडिकल स्कीम हो, बच्चों की पढ़ाई का सम्बन्ध हो। नगरपालिका के पास कोई सुविधा नहीं रह गई है। माननीय सभानेत्री महोदया, मेरा इसके अन्दर सुझाव यह है कि सन् ५७ में जिस प्रकार यह टैक्स नगरपालिकाएं वसूल करती थीं आज भी उनको वापिस दे देना चाहिये जिससे वहां के नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां आपके एक या दो अधिक सिनेमा हॉल हैं जिसके द्वारा यहां नागरिकों को अच्छा स्वच्छ जीवन और अनेक प्रकार को सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि यहां पर जो संशोधन लाया गया है जिस प्रकार से सन् ५७ में नगरपालिकाएं वसूल करती थीं उसी प्रकार से उनको वापिस किया जाय। उनकी आय का साधन बढ़े। वहां के नागरिकों को सुविधा मिले।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केसरीसिंह हाड़ा !

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न है। यह पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हाउस में बैठा देते हैं। बाकी और लोग वहां भोजन कर रहे हैं, यह उनका अपमान है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी तादाद से हमारी तादाद ज्यादा है।

श्री रामकिशन : आप का वर्ग और है। ये बेचारे फैले-फैले बैठे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभानेत्री महोदया, यह जो कर संशोधन विधेयक पेश है उसको मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। सभानेत्री महोदया, राज्य सरकार का रवैया अब तक ऐसा रहा है कि जहां से भी पैसा मिल सके, उसे बटोरा जाय। कोई भी ऐसी मद सरकार ने नहीं छोड़ी है, जहां से पैसा नहीं वसूल करती हो। यहां तक कि पंचायतों में हड्डियों तक के पैसे वसूल करती है। आप मनोरंजन कर वसूल करते हैं और जनता को क्या सुविधा देते हैं ? सिनेमा की हालत राज्य के मन्त्रियों को बताता हूं। न तो टिकटों की व्यवस्था है कि टिकट मिलें, ठीक तरीके से मिलें। लोगों के कपड़े फट जाते हैं। एक-दूसरे के सिर पर चढ़ कर टिकट ले लेते हैं, और फिर ब्लेक से बेचते हैं। मैंने पहले भी इस विषय पर ध्याना-कर्षण कराया था कि जब कोई नई फिल्म

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

लगे उस वक्त सिनेमा के मालिकों को अनिवार्य रूप से एडवान्स बुकिंग का एक तरीका अपनाना चाहिए ताकि भीड़-भाड़ कम हो सके। इसके लिए कहा कि हमारे कोई कानून में उसके लिए प्रोवीजन नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसके लिए प्रोवीजन करे। उसके लिए कोई ऐसा कानून में क्लॉज लाया जाय ताकि सिनेमा मालिक को इस माफिक करना पड़े। इसके अतिरिक्त सिनेमा के अन्दर मंत्री और पुलिस के अधिकारी तो मुफ्त में देखते ही हैं, इसके तो प्रमाण अनेकों हैं लेकिन वह मनोरंजन कर भी स्वयं नहीं देते हैं। उनके लिए मनोरंजन कर सिनेमा मालिक देते हैं, वह खुद अपनी जेब से देता है। माननीय मंत्री महोदय अपने पास से कभी नहीं देते, न पुलिस अधिकारी देते हैं और न कोई अधिकारी देते हैं, न सेल्स टैक्स अधिकारी देते हैं, सब मुफ्त जाते हैं। सिनेमा मालिक क्या करे बेचारा, उसको तो सिनेमा चलाना है। अगर वह उनसे लेगा तो उसके सामने बहुत सी बाधायें आ सकती हैं....

श्री रामकिशन : यह कहो कि बहुत से तो नींद निकालने के लिए वहां जाकर बैठ जाते हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बहुत देखते भी नहीं हैं, खाली कुर्सी रोक लेते हैं और नींद निकालते हैं क्योंकि आज कल बड़ी जगहों पर सिनेमा में कूलर लगे हुए हैं, एअर कन्डीशनर लगे हुए हैं तो वहां जाकर गर्मी में उनका पूरा फायदा उठाते हैं। सभानेत्री महोदया, सरकार जो भी विधेयक और जो भी मनोरंजन कर के मुतल्लिक संशोधन लाती है उसके पीछे कोई रहस्य हुआ करता है। मेरा एक प्रश्न था, "आखिरी खत" के सिलसिले में और जब उसका जवाब सही तरीके से नहीं मिला तो उसके लिए विवाद आधे घण्टे के लिए उठाया था। उसमें सरकार ने कहा कि हमने उसको बन्द कर दिया है और "आखिरी खत" पर जो मनोरंजन कर मुक्त किया था उसको अब वापिस लगा दिया है। मैं समझ नहीं पाता, सभानेत्री महोदया, कभी तो यह मनोरंजन कर लगा देते हैं और कभी हटा देते हैं तो इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए, कुछ इसमें कारण अवश्य होना चाहिए। उसके अन्दर, सभानेत्री महोदय, "आखिरी खत" में तात्पर्य यह था, कि माननीय मंत्री को सेठ शाह रूपनारायण, जो कि पोलो विक्ट्री सिनेमा के प्रोप्राइटर हैं, ठेकेदार हैं, को कुछ फायदा पहुँचाना था, इसलिए मनोरंजन कर २२-७-६७ से माफ किया और ज्योंही वह पिक्चर वहां से हटा कि वापिस मनोरंजन कर लगा दिया। इसी प्रकार इस विधेयक में भी, यह विधेयक सन् १९५७ में बना, इसमें संशोधन आता है १९६८ में। दस-ग्यारह साल तक सरकार सोती रही, इस बीच में कोई अपील की जरूरत नहीं रही। और अब ऐसे मसले पैदा हो गये, ऐसी समस्या सामने आ गई कि अब कहती है कि अपील का प्रावधान किया जाय। अब अपील का प्रावधान किया जाय वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पीछे से, जहां से भी यह कानून बना है वहां से अपील करने का उनको अधिकार दे दिया गया है। तो इसके अन्दर भी सरकार का कोई इन्ट्रेस्ट है और किसी पार्टी को फायदा पहुँचाना चाहती है। इस कारण से यह विधेयक यहां लाया गया है वर्ना इसकी सरकार ने जरूरत नहीं समझी थी अब तक

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

नहीं तो अब तक कभी का आजाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिनेमा के अन्दर जो अप्रत्यक्ष कर लगता था और जिसका उपयोग या जिसका फायदा म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका उठाया करती थीं, सरकार ने उसको ले लिया और उस वक्त लिया जब कि आय बहुत कम थी। उस अनुपात से आज आय मनोरंजन कर की काफी बढ़ गई है और सरकार नगरपालिकाओं को उसी अनुपात से अनुदान दे रही है। अब क्योंकि आय बढ़ गई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए सरकार को नगरपालिकाओं को अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वह जनता के लिए अधिक कार्य कर सके। इसका यह भी कारण है कि नगरपालिका के अन्दर ही सिनेमा गृह होते हैं इसलिए उनकी साफ-सफाई इत्यादि का सारा भार उन्हीं पर होता है। इस तात्पर्य से यह विधेयक जनता के लिए प्रसारित करने के लिये मैंने प्रस्ताव पेश किया है।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्रीजी उत्तर दें। (श्री मनोहरसिंह मेहता से) आप दूसरी रीडिंग पर बोलिये ....

श्री बृजप्रकाश गोयल (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : सभानेत्री महोदया, यह संशोधन टैक्स पेअर्स....

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस पर थोड़ा अधिक समय नहीं लेने वाला हूं, केवल पांच मिनिट के लिए...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! दुबारा रीडिंग होगी तब बोलिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय ने कहा, टैक्स पेअर्स, तो इसमें टैक्स पेअर्स का क्या है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : कर देने वाले को और कुछ रिलीफ दिये जाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। पहले इस कानून में जो प्रावधान था उसको एक्ट नं० ९,१९६५ से संशोधित किया गया था और सन् १९६५ से पहले जो भी खिलाफ-वर्जी होती थी, इस धारा १० की उप-धारा (३) के तहत उसका पनिशमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जाता था। मजिस्ट्रेट के सामने चालान होता था और कार्यवाही होकर सजा देदी जाती थी अब संशोधन किया जाकर मौजूदा यह धारा रखी गई है। इस धारा में पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है परन्तु जैसा पहले १९६५ से पहले की स्थिति थी, मजिस्ट्रेट कोई सजा निर्धारित करता था तो उसका सी. आर. पी. सी. के तहत अपील व रिवीजन का प्रोवीजन था। इस संशोधित प्रोवीजन के तहत पैनल्टी प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन अपील का प्रोवीजन नहीं रखा गया था। इसमें दो-तीन वर्ष में कुछ ऐसी डिफीकल्टी महसूस हुई और ऐसी परिस्थितियां सामने आने पर यह विचार किया गया कि यह अपील का प्रोवीजन रखना न्यायसंगत है। कोई सजा निर्धारित की जाय और उसकी अपील नहीं हो-यह उचित नहीं है। इस स्थिति पर विचार करके यह संशोधन हाउस के सामने रखा गया। इस संशोधन में सीधा-सादा सा प्रोवीजन है कि अगर पैनल्टी धारा १० की उप-धारा (३) के तहत इम्पोज

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

की जाय तो उसकी अपील एक महीने में की जा सकेगी या इस कानून के लागू होने से पहले कोई सजा निर्धारित कर दी गई है तो उसके अन्दर भी इस कानून के लागू होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपील करके रिलीफ प्राप्त कर सकेगा। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के बारे में केसरीसिंहजी ने कहा लेकिन उन्होंने ऐसा कोई विशेष दृष्टान्त नहीं बताया कि किस व्यक्ति को रियायत देने की बात आई है। वैसे इससे कोई ऐसी रियायत देने की मन्शा भी नहीं है। आम टैक्स पेअर्स, कर देने वाले को, जो इस एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट के तहत कर देता है, उसको रिलीफ दिये जाने का प्रश्न है और यह रिलीफ ऐसा बड़ा नहीं है, पांच सौ रुपये मैक्जिमम पैनल्टी है उस पांच सौ रुपये की पैनल्टी के मुतल्लिक अपील का प्रोवीजन रखा गया है। इससे कोई बड़ा फायदा उठाया जा रहा हो या सरकार के हित में बहुत बड़ी गलती की जा रही हो, ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। सीधा-सादासा मामला है। अगर किसी पर पैनल्टी लग गई है तो न्यायसंगत बात होती है कि अपील का प्रोवीजन हो। आखिर एक आदमी पर पैनल्टी लगती है तो जिस पर पैनल्टी लगी है वह सोच सकता है कि प्रिजुडिस हो कर, नाराजगी के कारण से या और कारण से लगा दी गई है। उसको अपील करने में राहत दिखती है तो अपील से वह न्याय प्राप्त कर सकेगा।

जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक रिलीफ देने का प्रोवीजन है और इस रिलीफ के प्रोवीजन में ज्यादा डिले किया जाना, या किसी और वजह से रोकना, इसके लिये कोई भी कारण किसी भी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत नहीं किया है।

इस कानून के सिलसिले में बहुतसी बातें कही गई हैं, श्री रामकिशनजी ने और श्री रामानन्दजी ने विशेष तौर से सिनेमाओं के मुतल्लिक काफी लम्बी चौड़ी बातें कहीं। उनको बातों में जो बयान किया है, मैं समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है कि इन सिनेमाओं से ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई हो कि हिन्दुस्तान में लोगों का करेक्टर बहुत गिर गया हो या सिनेमाओं की वजह से कोई लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आती हो। सिनेमा एक एन्टरटेनमेंट का सीधा और सस्ता साधन है, सिनेमा में एन्टरटनमेंट इस कारण होता है, एन्टरटेनमेंट की बातों को अगर सिनेमा से निकाल दें तो जिस मकसद से लोग सिनेमा में जायेंगे, वह मकसद पूरा नहीं होगा, भाषण वगैरह की बातें सिनेमा में होंगी तो लोग सिनेमा में जाना बन्द कर देंगे...

श्री रामकिशन : यह आप अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं या उम्र के हिसाब से ?

एक माननीय सदस्य : दोनों के आधार पर।

श्री रामकिशन : मैं आपसे नहीं आपसे पूछ रहा हूं। दोनों में से किस आधार पर कह रहे हैं, यह बतायें ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : दोनों के हिसाब से। सिनेमा से चरित्र भ्रष्ट हो रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा देश कोई

(श्रीबृजप्रकाश गोयल)

विशेष परिस्थिति में आ गया हो ऐसी बात नहीं है। आम तौर पर जनरल बात कह दी जाती है पर इसके सारे पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिनेमा एन्टरटेनमेंट का साधन है। उसमें एन्टरटेनमेंट की सामग्री होनी चाहिये। वैसे केन्द्रीय सरकार पूरी तरह इस सम्बन्ध में जागरूक है। भारत सरकार का सेंसर बोर्ड यह सब छानबीन और देख-रेख के लिये बैठा हुआ है, यह देखता है कि यह हमारे देश के हित में है या नहीं, फिर सिनेमा का प्रदर्शन होता है।

एक प्रश्न खास तौर से सभी सदस्यों ने उठाया है कि एन्टरटेनमेंट का शेयर नगरपालिकाओं का है, उस शेयर में सन् १९५७ से पहले निर्धारित हो गया था उसमें तब्दीली नहीं आई है और उससे नगरपालिकाओं को नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं, यह प्रश्न विचार करने लायक है। नगर-पालिकाओं के लिये मनोरंजन कर भी आमदनी का स्रोत है। नगरपालिकाएं किस प्रकार का शेयर चाहती हैं। इसमें उनका क्या हक होना चाहिये, इसके मुतल्लिक सभी बातें आने पर यह विचार किये जाने योग्य है, मैं हाउस को आश्वासन देता हूं कि इसके सम्बन्ध में पूरे सुझाव आने पर कि हर नगर-पालिका की यह स्थिति है, उनका इसमें क्या शेयर होना चाहिये, यह सब बातें आने पर इस पर विचार किया जायगा और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में नगरपालिकाओं के शेयर के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की जायगी। अभी कोई संशोधन लाये और म्युनिसिपेलिटीज को नया टैक्स नहीं मिल सकता और न ज्यादा शेयर मिल सकता है। इस कानून की धारा १४ के अन्दर शेयर मिलने का प्रावधान है उसमें जब तक संशोधन नहीं हो जाता तब तक कोई नई बात नहीं की जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप चेयर-मैन रह चुके हैं. आप सब जानते हैं इसलिये आपसे उम्मीद करते हैं कि अमेंडमेंट कर दीजिये।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मैं डागाजी के सुझाव के मुताबिक विचार रख चुका हूं। मैं एन्टरटेनमेंट टैक्स को नगरपालिकाओं की आमदनी का स्रोत मानता हूं. उस पर विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सारे सुझाव आने पर नगरपालिकाओं का इसमें क्या शेयर होना चाहिये, यह सब आने पर इस पर विचार किया जायगा।

और रेवेन्यू बोर्ड की बैंच के बारे में सतीशचन्द्रजी ने बात कही। जहां तक टैक्स केसेज का सवाल है, जयपुर में इसकी बाबत कठिनाई हो इस प्रकार का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। दो दिन बैंच जयपुर में रखने की सुविधा प्रदान की हुई है। ७ दिन के लिये बैंच बैठाई जाय या नहीं इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है, इस डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे कार्य के लिये सुविधा दी हुई है।

टूरिंग टॉकीज के मुतल्लिक एतराज उठाया गया कि टैक्स वसूल नहीं हो रहे हैं। आम बात कहने से कोई ठीक तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो उसकी जांच की जायगी, टूरिंग टॉकीज में अगर कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो स्पेसिफिक इन्स्टान्स देने पर उसमें जांच की जायगी और जो भी अपराधी होगा उसको सजा दी जायगी।

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

रिवीजन के प्रोवीजन के मुतल्लिक सतीशचन्द्रजी ने कहा, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपील के इस प्रोवीजन से रिलीफ मिल जायगा तो फिर रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। ५०० रुपये की पेनल्टी है, सैकण्ड कोर्ट तक उसको अपील की सुविधा मिल जाती है तो यह काफी है।

रामकिशनजी ने करप्शन के बारे में काफी जोर दिया है। आज हर एक जनरल बात कहने के आदी हैं, करप्शन के बारे में...

श्री रामकिशन : पर्टिक्यूलर कह दूं।

श्री बृजप्रकाश गोयल : शिकायत जरूर कर दी जाती है पर परस्यू करने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे दबाव में आ जाय या नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हों, शिकायत हर एक कर देता है पर परस्यू नहीं करते। जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है आखिर उसको भी डिफेन्स का अधिकार है। उस आधार पर जब तक पूरा साबित नहीं किया जाय तब तक यों ही सजा दे दें, वह उचित नहीं होगा, रामकिशनजी भी इसे महसूस करेंगे। कोई स्पेसिफिक सबूत देंगे तो करप्शन करने वाले को दण्ड दिया जायगा। वैसे आम तौर पर चलते हुए को दण्ड देने का किसी को अधिकार नहीं है।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि सदस्यगण मेरी इस राय से सहमत होंगे। जो मैंने निवेदन किया है और जो बातें उन्होंने कही हैं उनका मैं जवाब दे चुका हूं और मैंने यह संशोधन विचारार्थ प्रस्तुत किया है, इसकी पूरी आवश्यकता आप सबके सामने रख दी।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में श्री रामकिशन, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री भवरलाल ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा, श्री केसरीसिंह हाड़ा, श्री नत्थीसिंह, श्री देवीदत्त गाड़िया ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : रण छोड़ दिया है।

श्री रामकिशन : इनका परमानेन्ट नाम रणछोड़ रख दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री डागा को उनका संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री केसरीसिंह हाड़ा, श्री नत्थीसिंह और श्री देवीदत्त गाड़िया के संशोधन प्रस्ताव को

(श्रीमती सभानेत्री)
स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

श्री बृजप्रकाश गोयल : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(३ म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभानेत्रीजी, हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल नैतिकता की। जो इस देश की मूल पूंजी थी, सारा संसार जिससे प्रभावित होता था आज उस चीज की सबसे बड़ी कमी आगयी है। यह वह देश है जहां सिकन्दर ने यह कहा था कि भारत इसलिये जिन्दा है कि यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोहरों के घड़े को भी उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। जब वह उधर से जा रहा था तो एक पंडितजी न्याय कर रहे थे। एक मोहरों का घड़ा रखा हुआ था। इकलंगी धोती वाले पंडितजी, जिनके बदन पर कुर्ता भी नहीं था, वह न्याय कर रहे थे। एक ने कहा कि मैंने उनसे जमीन का तलिया खरीदा, मोहरों का घड़ा मेरा नहीं हो सकता है। दूसरे ने कहा कि मैंने तलिया बेच दिया तो बेच दिया वह अब मेरा नहीं हो सकता। उसने कहा यह भारतवर्ष है। लेकिन आज हमारे इस भारतवर्ष की स्थिति यह है कि मंदिर में जाइये नये जूते पहिन कर, वापिस दर्शन करके आवेंगे तो जूते गायब। इस प्रकार जो नैतिक पतन हमारा हुआ है उसमें सिनेमा भी एक प्रमुख कारण है। सिनेमा के कारण हमारा बहुत नैतिक पतन हुआ है, स्वास्थ्य बिगड़ा है। हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। लोग सैकिण्ड शो में जाते हैं, १२-१२॥ बजे घर लौटते हैं। १-१॥ बजे खाना खाकर फिर लेटते हैं। उनको पूरी नींद भी नहीं मिलती हैं। दूसरे दिन वे काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को सिनेमा का शौक लग जाता है। बिना सिनेमा देखे तो उनका काम ही नहीं चल सकता। रोज सिनेमा के शौक को पूरा करने के लिये पैसा आये कहां से? तो रिश्वत खानी पड़ती है। शिक्षा भी उधर खराब मिल रही है। सबने इस तरह से बिगाड़ दिया। बेटा बाप को मदद नहीं करता। सिनेमा ने हमारा भयंकर नैतिक पतन किया है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है। बच्चा बाहर पढ़ता है। मां-बाप उसको खर्चा भेजते हैं। सौ रुपये से काम नहीं चलता। १२५ रु० चाहिये। रोज-रोज सिनेमा देखता है। सौ रुपया तनख्वाह मिलती है। क्या करेगा फिर? रिश्वत खायेगा आदमी। रोज बच्चा सिनेमा में जाता है, स्ट्राइक चल ही रही है। कॉलेज के बजाय सिनेमाघरों में मिलेगा। आप इस प्रकार की चीजों पर टैक्स लगायें जिससे अच्छी वृत्ति का निर्माण हो। लेकिन आप तो सिनेमाघर खोलते जा रहे हैं। उद्‌घाटन कर रहे हैं मंत्रीजी। यह नहीं सोचते कि कितना पतन हो रहा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है ? कितना सर्वनाश हो रहा है, यह नहीं सोचते हैं। सिनेमा दिखाना ही है तो ऐसी पिक्चर्स रखिये जिनसे नैतिकता का निर्माण हो, बुद्धि, श्रम और सम्पत्ति का समन्वय हो सके और देश के प्रति उस देखने वाले की भक्ति जागे। आजकल देख रहे हैं लाइनदार पाजामा पहिने, ट्रान्जिस्टर को गले में डाल कर चल रहे हैं। जब मैं देखता हूं तो कभी-कभी कहा करता हूं कि एक जगह बैठ कर सुन लीजिये, कहीं ठोकर खा जाओगे। यह सब सिनेमा के कारण होता है। जब यह मांग आती है कि और सिनेमा खोलिये तो मैं कहा करता हूं कि क्यों इस देश का और पतन कर रहे हैं। इस टैक्स को बढ़ा कर यह पाप आप मत करिये। एक तरफ शराब का पैसा, दूसरी तरफ सिनेमा और लॉटरी का पैसा आने वाला है। हम पाप ही पाप में डूब रहे हैं। तो भारतवर्ष का उत्थान होने वाला नहीं है। आदमी के पास धन आता कहां से है ? वही पाप ही से। पुण्य के काम से प्राप्त किया हुआ इतना पैसा नहीं आ सकता। इतना पैसा नहीं बचा सकते कि रोज-रोज सिनेमा देखें। सिनेमा में शायद तीसरा शो शुरू करने वाले हैं। निशाचर ही हो जावेंगे। रात को १ बजे खाना खाना। सब पाश्चात्य चीजें चल रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी सिनेमा अन्धाधुन्ध मत खोलिये। बाहर वाले देशों की नकल न करवाइये। नहीं तो जिस तेजी से यह देश पतन की ओर बढ़ रहा है उसमें सिनेमा कई कड़ियां जोड़ रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदया, राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एन्ड एडवर्टाइजमेन्ट टैक्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, १९६८ में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है और वह संशोधन यह है :—

In sub-section (3-A) sought to be inserted after sub-section (3) of section 10, the expression "Or in case the order had been passed before the commencement of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax (Amendment) Act, 1968... or of the communication of the said order, whichever is later" occurring after the expression, 'sub-section (3)' be deleted."

सभापति महोदया, यह जो संशोधन मैंने रखा है उसके कई कारण हैं। मैंने राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एन्ड एडवर्टाइजमेन्ट टैक्स एक्ट, १९५७ को भलीभांति देखा है। यह सबसे पहले अधिनियम बना १९५७ में और ६ जून, १९५७ को इसे राज्यपाल को स्वीकृति हुई और यह जो मूल अधिनियम है यह १ अप्रेल, १९५८ से लागू हो गया। इस मूल अधिनियम में कुल मिलाकर २१ धारायें हैं। अभी दस वर्ष मुश्किल से हुए हैं और एक छोटा सा अधिनियम जिसमें मुश्किल से केवल २१ धारायें हैं, यह आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल में यह दसवां संशोधन है। दस वर्ष के काल में इस २१ धाराओं वाले छोटे से एक्ट में यह दसवां संशोधन है। एक विशेष परिस्थिति के अनुसार कोई मांग होती है उसके नियमन के लिये किसी न किसी अधिनियम की आवश्यकता होती है। इसलिये तदनुकूल बिल ड्राफ्ट किया, सदन में पेश किया और उसको

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

पास करा लिया। फिर दूसरी परिस्थिति खड़ी होती है उसे संशोधन करा लिया। राजस्थान में जितने अधिनियम हैं उनमें संशोधन इसी प्रकार हुए हैं लेकिन एविडेन्स एक्ट को लीजिये, जाब्ता फौजदारी और जाब्ता दीवानी को ले लीजिये, विदेशी बना कर चले गये, लेकिन उनमें संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन आजकल यहां क्या होता है कि हमारे विधिवेत्ता कानून बनाते हैं, सदन में प्रस्तुत करते हैं, चाहे छोटा सा अधिनियम हो, सारे पहलुओं पर विचार किये बिना ही सदन के सामने रख दिया जाता है, उसको प्रवर समिति के सामने रेफर नहीं किया जाता है। यह छोटा सा अधिनियम जिसमें २१ धारायें हैं उसमें यह दसवां संशोधन है। कारण क्या है ? मूल अधिनियम की धारा १० में जो सजायें, पैनेल्टीज रखी गई हैं अपराधों के अधीन उसमें अपील का कहीं प्रावधान नहीं रखा हालांकि धारा ११ में सस्पेन्शन ऑफ लाइसेन्स या रिमूव ऑफ लाइसेन्स में अपील का प्रावधान रखा गया है लेकिन सेक्शन १० जिसमें पैनेल्टीज या कन्विक्शन का प्रावधान रखा गया है उसमें अपील का प्रावधान नहीं रखा गया है जो बहुत आवश्यक है। सन् १६५८ से यह लागू हो गया तो उन केसेज का क्या हुआ ? अब दस वर्ष के पश्चात् ५८ से ६८ के अन्दर राज्य सरकार अपनी गल्ती को सुधारना चाहती है। कैसे चाहती है ? इस नियम में अपील के नियम का प्रावधान नहीं था। अपील का प्रावधान अब रखा गया है। लेकिन इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। यह चाहा गया है कि जब से अधिनियम लागू हुआ है, जो बिल रखा गया है, जो संशोधन करवाना चाहते हैं, उसका सारांश यह है कि जब से अधिनियम लागू हुआ है, उसके सेक्शन ३ के तहत धारा १० में जो पैनेल्टीज कायम की गई, उनमें जो कन्विक्शन कर दिया गया हो, उस आदेश की अपील अब भी की जा सकेगी, अधिनियम के लागू होने के एक महीने के अन्तर्गत। अगर आदेश नहीं पहुंचा हो या आदेश के अनुसार पैनेल्टीज कायम की हों, तो आदेश के ३० दिन के अन्दर-अन्दर या एक महीने में, इसके पूर्व अपील की जा सकती है। इसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसलिये शंका पैदा होती है। ऐसा महसूस होता है कि बड़े आदमी ने जिसने पैसा दिया है, उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिये राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ी है अपील का प्रावधान बनाने की। लेकिन आदेश के, कन्विक्शन से केवल ३० दिन का अपील का प्रोवीजन रखा जाता है तो शंका पैदा होती है। सदन आज इस संशोधन को पास करने जा रहा है। हम इसे पास कर देते हैं तो यह कानून बन जाता है। सदन के द्वारा इस बिल को पास कर देने के पश्चात् यह राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिये जायेगा और उनकी स्वीकृति के पश्चात् यह फोर्स में आयेगा। इसके फोर्स में आने के दिन से किसी भी अपराधी, दोषी को यह अधिकार होगा कि उस दिन से, ३० दिन के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी के पास अपील कर देगा और यदि तब तक उसको आदेश, कन्वे नहीं हुआ हो, तो वह आदेश मिलने के ३० दिन के अन्दर अपील कर सकेगा। सभापति महोदया, मैं यहां एक उदाहरण

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

देना चाहता हूं। यह बिल अपूर्ण है। एक-दो वर्ष भी नहीं निकल पायेंगे कि इसमें फिर अमेन्डमेन्ट पास करना पड़ेगा। अमेण्डमेन्ट इसलिये लाना पड़ेगा कि धारा १० के सब-सेक्शन (३) में जो सिनेमा मालिकों को पेनेल्टी है, उसके सब-सेक्शन (२) में कन्विक्शन है ब्लेक के टिकिट बेचने वालों का परन्तु इसमें अपील का प्रोवीजन नहीं किया गया है। जो ब्लेक से टिकिट बेचेगा, उस पर २००) रु० का जुर्माना हो सकता है और मालिकों पर ५००) रु० का जुर्माना। जो सिनेमा के मालिक हैं उनके लिये ५००) रु० बड़ी चीज नहीं है लेकिन ब्लेक से जो टिकिट बेचता है, वह सामाजिक परिस्थितियों, कुरीतियों के कारण ब्लेक से टिकिट बेचता है और वह एक गरीब व्यक्ति होता है। इस प्रकार एक गरीब के ऊपर २००) रु० का जुर्माना हो जायगा और उसको अपील नहीं होगी। अभी जो अमेण्डमेन्ट रखा गया है, उसमें अपील का प्रोवीजन है। अपील को जा सकेगी प्रेस्क्राइब्ड आॅथोरिटी के पास और वह भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से? मैं ऐसा समझता हूं कि इस बिल को यदि पास कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को राइट ऑफ अपील होगी जिनके ऊपर ५८ से अब तक पैनेल्टी लगी थी और इस आदेश के विरुद्ध वे फिर ११ वर्ष बाद उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इसलिये यह संशोधन गलत है। जो रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देने का क्लॉज है, उसके आगे यह बढ़ाया जावे और इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय। इसके डिलीट करने के बाद इसको इस तरह से रख दिया जाये, इसकी पूर्ति इस तरह से कर दी जावे। ये वर्ड्स हैं—

"Or in the case the order had been passed before the commencement of the Rajasthan Entertainments & Advertisements (Amendment) Act, 1968."

आगे जाकर पढ़ता है.........

"or of the communication of the said order, whichever is later,

यह जो इसमें क्लॉज रखा है, इसको डिलीट किया जाना चाहिये। इसकी एक दलील दी जा सकती है कि दरअसल हमारी यह मंशा नहीं है ६ साल, ८ साल, ७ साल या ९ साल पहले जो केसेज कन्विक्ट हो चुके हैं, कोई आॅर्डर्स किये हैं, उन पर पैनेल्टी इम्पोज कर दी गई है इतने पुराने केसेज को राइट ऑफ अपील देने का हमारी कोई मंशा नहीं है। इस संशोधन के जरिये कई साल पहले जो पैनेल्टी इम्पोज कर दी गई है, उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है। इसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से फोर्स में लाना गलत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केसरीसिंह हाड़ा!

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदया, मेरा भी संशोधन इसी प्रकार है और मैं भी इस विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब सरकार ने इस बात की जरूरत कैसे महसूस की कि अपीलेट आॅथोरिटी होना चाहिये और किसी भी कानून में कोई जुर्माना रखा जाय तो उसकी अपीलेट आॅथोरिटी होना आवश्यक है। सर्वप्रथम जब कानून बना उस समय आवश्यकता नहीं हुई कि इसकी अपील भी

Page No. 92

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

होना चाहिये। उसको न्याय का मौका दिया जाय ताकि वह अपील कर सके। जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि कोई न कोई ऐसा शख्स है, जिसको सरकार खुश करना चाहती है, जिसने अपनी प्रतिष्ठा का मामला बनाकर उसकी अपील का रास्ता खोल दिया। ११ साल में ऐसे मामले न हुए हों कि कोई अपील न करने आया हो। कोई न कोई अपील करने जरूर आया होगा परन्तु उसके लिये जरूरत नहीं समझी गयी। इसलिये मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि जो संशोधन मैंने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं उनको मन्जूर किया जाये और इसकी आवश्यकता अभी है नहीं, यह मेरा निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्रीजी उत्तर दें!

श्री बृजप्रकाश गोयल : माननीय सभानेत्रीजी, इस विधेयक में, संशोधन के विषय में रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने के विरुद्ध कुछ विचार प्रकट किये गये हैं। मैं पहले ही यह स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि १६५७ में यह कानून पास हुआ उस वक्त धारा १० की उप-धारा (३) की स्थिति और थी। १६६५ में एक्ट में जो संशोधन किया गया उससे दूसरी स्थिति पैदा हुई। पहले इस उप-धारा (३) में जो कन्विक्शन होता था, उसका पनिशमेन्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होता था और उस सी. आर. पी. सी. के तहत अपील, रिवीजन का प्रोवीजन था। जैसा भी पनिशमेन्ट दिया जाता था उसके बाद रिवीजन का एक रास्ता था। सन् ६५ में यह संशोधन हुआ उस वक्त पैनेल्टी इम्पोज करने का, मजिस्ट्रेट के थ्रू पनिशमेण्ट देने का जो प्रोवीजन था, हटा दिया गया और अब प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी की मार्फत एक पनिशमेण्ट का प्रोवीजन रख दिया गया जिसमे पनिशमेण्ट होने के बाद उसकी अपील या रिवीजन का कोई रिलीफ मिल सके। रिलीफ मिले, ऐसी कोई बात नहीं रही है। यह बात कही जा रही थी कि १८ साल हो गये यह बात अब क्यों कही जा रही है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य महोदय समझ गये होंगे, सन् ६५ तक अपील और रिवीजन करने के रास्ते थे और ६५ के बाद अमेन्डमेन्ट होने से वह रास्ते बन्द हुए और अपील का जो रास्ता जरूरी होता है जस्टिस के लिये उसकी आवश्यकता महसूस हुई। सन् ६५ से ६८ तक जो मामले सामने आये, अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हो सकती है। हर तरह की बदगुमानी हो सकती है। अपील का रास्ता जरूर होना चाहिये, जस्टिस के लिये यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह शंका हो रही है कि किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया गया है ऐसा नहीं है। ५०० रु० के पनिशमेन्ट में कितना पनिशमेन्ट करें और उसको छोड़ने के लिये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की बात हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : प्रतिष्ठा का सवाल तो हो सकता है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : प्रतिष्ठा की बात नहीं है। मनोरंजन कर में प्रतिष्ठा की बात हो, ऐसी भी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय डेढ़ साल में पहली बार बोल रहे हैं। यह उनके लिये पहला मौका है।

श्री रामकिशन : अच्छे बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर कोई नहीं बैठे हैं, आप तो बोलते चलो।

श्री रामकिशन : डिप्टियों की सरकार है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मैं निवेदन करूंगा आज से यह रिलीफ दें। ६५ से ६८ तक किसी को सजा इम्पोज की हो, उसे रीलीफ न दें ऐसी बात नहीं हो सकती है। इन दो-तीन साल में प्रोवीजन था नहीं। कोई रास्ता था नहीं। यह रास्ता प्रोवाइड करें तो यह न्यायसंगत रहेगा।

श्री रामकिशन : पहले रिलीफ क्यों नहीं दिया ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : पहले क्यों नहीं दिया इसको स्पष्ट नहीं कर सकता। यह नहीं रखा गया तब ही यह संशोधन आ रहा है, अगर रखा जाता तो यह संशोधन नहीं आता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रिट्रोस्पेक्टिव का क्या कारण है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : न्याय की दृष्टि से है। अपील और रिवीजन के पहले रास्ते नहीं थे। ६५ और ६८ के बीच कन्ट्राविन्शन कर लिया है तो...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह एकस्ट्रा लिमिटेशन है, क्या उसको रिट्रास्पेक्टिव होने से भंग नहीं होगा। लिमिटेशन के लिये अपील में प्रोवोजन है लॉ ऑफ लिमिटेशन और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैन्ड उसको स्पेसिफिक रूप में ओवर रूल करना चाहते हैं ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इस कानून में लिमिटेशन दिया हुआ है। जनरल लॉ की आवश्यकता नहीं रहती है और अब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें अपील करने के अख्तियारात हैं, उसको एक महीने का समय दिया जा रहा है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि लिमिटेशन से कोई फेवर में हो गया है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ६५ में संशोधन हो गया, ६५ के पश्चात् तीन वर्ष तक रिकवरी नहीं हुई इसलिये उसको भी अब रिलीफ देने की बात आ गई है यह स्पष्ट है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : यह किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पैनेल्टी रिकवर होने में देरी होती है। तीन साल की देरी तो मामूली है इसलिये अभी उनको भी रिलीफ दे दिया जाय, स्पष्ट नहीं रहता तो रिट्रास्पेक्टिव की जरूरत नहीं रहती है। स्पष्ट है आपके टैक्सेज में तीन साल की देरी होना मामूली बात है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : पैनेल्टी की जो बात करते हैं यह साधारण सी बात है। पैनेल्टी जमा हो गई हो तो भी वापिस मिल जायगी। कोई केस डिले हो गया हो तो कोई विशेष परिस्थिति पैदा नहीं होगी। कोई केस पेन्डिंग है या नहीं उसका राइट एक्रू होता है तो फायदा मिलना चाहिये। जैसा कि रिट्रास्पेक्टिव का महत्व है, मैं आपसे

(श्री बृजप्रकाश गोयल)

निवेदन करूंगा कि इसमें शंका की कोई बात नहीं है। ६८ के बाद यह लागू होगा किसी अफसर की नाराजगी से हो गई हो तो....

श्री केसरीसिंह हाड़ा : नाराजगी किस कारण ? सिनेमा नहीं दिखलाया इस कारण हो सकता है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मैं समझता हूं आप मेरी राय से सहमत होंगे। यह जो संशोधन है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सब लोगों को एकसा बर्ताव मिले इस कारण किया गया है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड दो पर जो संशोधन श्री हरिवल्लभ शर्मा और श्री केसरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं अभी रिप्लाई दूंगा जो कुछ मैंने मूव किया है उसके बाद में...

श्रीमती सभानेत्री : आप काफी कह चुके हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मंत्री महोदय का उत्तर मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। १० वर्ष के अन्तर को तो तीन वर्ष में ले आये। १९६५ में जो अमेन्डमेन्ट हुआ था उसमें पैनेल्टी का क्लॉज रखा गया था। यह मजिस्ट्रेट के द्वारा तय नहीं हुई, ६५ में जो संशोधन किया उसके बाद किसी प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी को अपील हो सकती थी। जो कुछ पैनेल्टी इम्पोज की गई है, उससे छुटकारा पा सके या आगे रास्ता ढूंढ सके इसलिये हमने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने का सुझाव दिया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

लिमिटेशन का जहां तक प्रश्न है जनरल लॉ से इसको ओवर रूल नहीं किया है।

तीन-तीन साल की पैनेल्टी वसूल नहीं हो पाई है तो यह अकर्मण्यता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इतने बड़े भारी लॉ को जनरल लॉ से ओवर रूल नहीं किया है यह जो मंत्री महोदय का उत्तर है यह गलत है इसलिये मैं अपना संशोधन वापिस न लेकर सदन से निवेदन करूंगा कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट न देने का जो मामला है वह स्वीकार किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री बृजप्रकाश गोयल) कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खण्ड २ में जो संशोधन श्री हरिवल्लभ शर्मा व श्री केसरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री दिग्विजयसिंह : ना वाले आदमी तो इतने हैं ही नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : आप क्लेम करते हैं ? घंटी बजाई जाय।

(विराम)

आप (श्री बृजप्रकाश गोयल) प्रस्ताव रखिये।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १६६८ को पास किया जाय।

(विराम)

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, १६६८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, १६६८

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री चिकित्सा) : सभानेत्रीजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, १६६८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभानेत्रीजी, राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, १६६८ को जनमत जानने हेतु भेजा जाय इस आशय का मैंने प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदया, मैं इस विषय में अपने विचार प्रकट करूं उससे पहले मैं राज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की मन्शा इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की है या नहीं ? अगर है तो मैं समझता हूं इस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस विधेयक के लाने के बारे में जो राज्य सरकार की उदासीनता रही है, निष्क्रियता रही है उस पर अपने विचार प्रकट करूं इससे पहले यदि राज्य मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर राजी हो जाते हैं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो मेरा वाद-विवाद यहीं समाप्त हो जायगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदया, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है यह बिल नया है और राजस्थान के लिये बहुत आवश्यक है इसलिये इस पर वाद-विवाद हो जाता तो सदस्यों के इस बारे में क्या विचार हैं पता लग जाता। क्या सदस्य चाहते हैं ? इसको जनमत के लिये भेजना या प्रवर समिति को भेजना दोनों में कहां ज्यादा फायदा होगा। अगर माननीय सदस्य पसन्द करें तो यह उचित रहेगा कि इस पर कुछ विचार आ जायं।

जहां तक बिल के देर से लाने का प्रश्न है। यह बिल राजस्थान के लिये अच्छा बिल है, इसको पास करना हमारे लिये आवश्यक है ताकि चिकित्सा सुविधायें अधिक उपलब्ध हो सकें।

यह बिल एक बहुत बड़ा बिल है इसलिये मैं भी चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वहां पर विचार होकर जो अमेन्डेड बिल होगा वह सदन के सामने आयगा तो उस पर विचार करने में ज्यादा सुविधा होगी। मैं इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा

(श्रीमती सभानेत्री)

विधेयक, १६६८ को प्रवर समिति को भेजा जाय।

(स्वीकृत)

बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया जिसके नाम मंत्री महोदय बाद में दे देंगे।

न्यूनतम मजूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६८

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजूरी (राजस्थान संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १६६८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह नहीं हो सकता। आप मिनिस्टर इन्चार्ज नहीं हैं। उनके ही द्वारा बिल पेश होना चाहिये।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा के भागते हुए सदन में आने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री भागते हुए आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि उनका बिल भी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कोई भी मंत्री बिल प्रस्तुत कर सकता है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, मुझे ख्याल नहीं था कि यह बिल आज ही आ जायगा इसलिये मैं इस पर बोलने के लिये तैयार होकर नहीं आया हूं। यह तो श्रम नीति से सम्बन्धित बिल है।

श्रीमती सभानेत्री : इसके अलावा एक और भी बिल पास करना है। आप तो बोलने के लिये हमेशा ही तैयार रहते हैं।

श्री रामकिशन : बगैर तैयारी के नहीं बोल सकता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सभानेत्रीजी, सदन की क्या राय है आप यह मालूम कर लें। सदन की राय से ही आगे चलना चाहिये। माननीय बृजसुन्दरजी इसे प्रस्तुत करते समय कहां चले गये थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बहुत छोटा सा बिल है, इस पर कोई ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : है तो यह छोटा सा बिल लेकिन इसमें श्रम नीति लेबर पॉलिसी का मामला है। इस पर हमें काफी विचार करना होगा। जिस तरह से आजकल मजदूरों का गला घोटा जा रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं सारी बातें कहनी हैं। इस विधेयक को तो आज पास नहीं होने देंगे चाहे आप कितनी ही देर बैठ लें।

श्री रामकिशन : इस बिल पर श्रम नीति का सवाल है, एग्रीकल्चर लेबर का प्रोब्लम है आखिर इसे ऐसे ही पास नहीं होने देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्रम नीति पर बहस हो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन इस बिल का ताल्लुक माइका माइन्स के मजदूरों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने से है। इसमें इन्डिपेन्डेन्ट परिभाषा तय करने का सवाल है। न्यूनतम मजदूरी के संबन्ध में कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसके अनुसार

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हमें इस बिल को पास करना है, इससे मजदूरों को फायदा होने वाला है।

हम इसके बारे में ऑर्डिनेन्स भी जारी कर सकते थे लेकिन वह इसलिये नहीं किया गया कि सदन की बैठक होने वाली थी इसलिये इस बारे में ऑर्डिनेन्स लाना आवश्यक नहीं समझा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप इसमें ६ ए में नया सेक्शन इन्सर्ट कर रहे हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें सिर्फ 'इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन' की परिभाषा का सवाल है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : महज लेबर्स का ही सवाल नहीं है इसमें और और बातें भी हैं इसलिये इसको सोमवार तक के लिये स्थगित रखा जाय तो क्या आपत्ति है ?

श्री रामकिशन : इसमें आपको आपत्ति क्या है ?

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन की राय जानना चाहता हूं। इस पर बहस की जावे या स्थगित किया जावे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थगित किया जावे। House be adjourned for Monday.

श्रीमती सभानेत्री : आपकी अगर यही मंशा है तो सदन की कार्यवाही सोमवार के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बजकर ४१ मिनिट पर सोमवार, दिनांक २-६-६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ९१ की सूची)

अप्रेल, १९६७ से जनवरी, १९६८ तक मंत्रीगणों द्वारा लिये गये आतिथ्य-भत्ते (सेम्पचूरी एलाउन्स) का विवरण-पत्र

	नाम	४/६७	५/६७	६/६७	७/६७	८/६७	९/६७	१०/६७	११/६७	१२/६७	१/६८	कुल
१.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	८३.३३	५००/-	५००/-	५००/-	५००/-	५००/-	५००/-	५००/-	५००/-	५ ०/-	४५८३.३३
२.	श्री मथुरादास माथुर	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
३.	श्री हरिदेव जोशी	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
४.	श्री बृजसुन्दर शर्मा	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
५.	श्री दामोदरलाल व्यास	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
६.	श्री परसराम मदेरणा	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
७.	श्री बरकतुल्लाखां	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
८.	श्री अमीनुद्दीन अहमद	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
९.	श्री नारायणसिंह मसूदा	२५/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२२७५.००
१०.	श्री शिवचरण माथुर	—	—	—	—	—	२०८.३३	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	१२०८.३३
११.	श्री भीखाभाई	—	—	—	—	—	२०८.३३	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	१२०८.३३
१२.	श्री शोभाराम	—	—	—	—	—	२०८.३३	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	१२०८.३३
१३.	श्री अमृतलाल यादव	—	—	—	—	—	२०८.३३	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	१२०८.३३
१४.	श्री रामप्रसाद लड्ढा	—	—	—	—	—	२०८.३३	२५०/-	२५०/-	२५०/-	२५०/-	१२०८.३३

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ६६ की सूची)

१ अगस्त, १९६८ को विचाराधीन मुकदमों की जिलेवार तालिका

जिले का नाम	दीवानी	फौजदारी	योग
१. अजमेर	७००	९०	७९०
२. जयपुर	८७१	१३४	१००५
३. सीकर	१४३	५७	२००
४. भरतपुर	२३८	१३७	३७५
५. झुन्झुनूं	१२५	८५	२१०
६. सवाई माधोपुर	१४०	४४	१८४
७. टोंक	४०	३१	७१
८. अलवर	२५०	६३	३१३
९. जोधपुर	६१६	८९	७०५
१०. बाड़मेर	७६	३८	११४
११. जैसलमेर	३३	२३	५६
१२. नागौर	१८८	४९	२३७
१३. जालौर	७९	२५	१०४
१४. सिरोही	९४	२४	११८
१५. पाली	२१७	५८	२७५
१६. बीकानेर	२९९	७१	३७०
१७. चूरू	९५	२८	१२३
१८. गंगानगर	४३३	१५३	५८६
१९. उदयपुर	३७३	५६	४२९
२०. बांसवाड़ा	३७	२२	५९
२१. चित्तौड़गढ़	२४१	२७	२६८
२२. भीलवाड़ा	१८९	३२	२२१
२३. डूंगरपुर	२१	६	२७
२४. कोटा	२६०	१६४	४२४
२५. बूंदी	८९	४४	१३३
२६. झालावाड़	५७	६४	१२१
योग ...	५९०४	१६१४	७५१८

राजस्थान उच्च न्यायालय में १-८-१९६८ को विचाराधीन मुकदमों का वर्षवार विवरण

	१० साल से अधिक पुराने	१० साल पुराने	९ साल पुराने	८ साल पुराने	७ साल पुराने	६ साल पुराने	५ साल पुराने	४ साल पुराने	३ साल पुराने	२ साल पुराने	१ साल पुराने	१ साल से कम पुराने	योग
दीवानी	३	३४	९४	१३७	११२	३३८	४५५	४२६	६२८	१०८९	७०४	१८८४	५९०४
फौजदारी	—	—	—	—	—	४	३	२६	७३	३१६	३६९	८२३	१६१४
योग...	३	३४	९४	१३७	११२	३४२	४५८	४५२	७०१	१४०५	१०७३	२७०७	७५१८

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

आसीन्द-बदनोर क्षेत्र में बिजली

१०७. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ६-४-६६ को राज्य विद्युत् मंडल के वार्षिक आय-व्यय १९६६-६७ पर हुई बहस पर माननीय विद्युत् मंत्री महोदय ने कहा — आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आसीन्द-बदनोर में बिजली नहीं आई है। मैं मानता हूं, मैं कमिट करता हूं पर उसमें आज भी दिक्कत यह है कि ५० पर्सेन्ट कट हो गया है। मुझे पैसा मिल जायगा तो आपके एरिया में भीलवाड़ा एरिया काफी अच्छा इलाका है, वहां बिजली आये तो कृषि की पैदावार में जरूर बढ़ोतरी करेगी, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वहां बिजली दी जाय ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुल १० लाख कुए हैं तथा उनमें से १ लाख केवल भीलवाड़ा जिले में हैं और २० हजार आसीन्द तहसील में हैं ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५००० आबादी के ग्रामों को बिजली दे दी जायगी ?

(४) क्या यह सही है कि आसीन्द ७००० जनसंख्या व बदनोर ५१०० जनसंख्या वाले ग्रामों को बिजली उक्त घोषणा के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही मिल जानी चाहिये थी मगर अब तक नहीं दी गई, जब कि उपरोक्त आश्वासन के बाद भी कई स्थानों पर बिजली दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(५) क्या यह सही है कि दिनांक ६-४-६६ के बाद राजस्थान में कोई भी नई लाइन नहीं खेंची गई ? अगर खेंची गई है तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपने आश्वासन व योजना के अनुसार कार्य न कर अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही है जिससे उत्पादन के असली क्षेत्र बिजली से वंचित रह रहे है ?

(७) क्या राज्य सरकार अब भी अपने आश्वासन दिनांक ६-४-६६ के अनुसार जल्दी से जल्दी आसीन्द-बदनोर क्षेत्र में बिजली दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(श्री मुख्य मंत्री)

(२) इस विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में काम में आने लायक केवल ४,५३,८८६ कुएं हैं। भीलवाड़ा जिले में केवल ५५,३३७ और समस्त आसीन्द पंचायत समिति में ८,३०० कुए हैं। तहसील के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार आसीन्द की जनसंख्या केवल ४,३०२ और बदनोर की ३,७९२ है।

(५) जी हां। आश्वासन के परिवर्तित रूप के अनुसार आबादी की बजाय कृषि हेतु बिजली दिये जाने को प्राथमिकता दी गई है और इस कारण से ऐसे ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया जो कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी थे।

(६) जी नहीं। अब तक के समस्त विद्युतिकृत ग्रामों की सूची संलग्न है, जिससे विदित होगा कि करीब ६३० ग्रामों का विद्युतिकरण ९-४-६६ के बाद किया गया है। जी नहीं। योजना बहुत सोच-विचार कर एवं परामर्श के बाद बनाई गई है।

(७) जैसा कि आश्वासन से प्रकट होगा वह यथेष्ट धनराशि की उपलब्धि पर निर्धारित थी जो प्राप्त नहीं हुई।

No. of localities electrified after 9-4-1966 in different Districts.

1. Ajmer	23	16. Jodhpur	23
2. Alwar	31	17. Nagaur	28
3. Banswara	10	18. Pali	24
4. Barmer	16	19. S. Madhopur	37
5. Bharatpur	16	20. Sikar	41
6. Bhilwara	13	21. Sirohi	15
7. Bikaner	11	22. Sri Ganganagar	13
8. Bundi	14	23. Tonk	21
9. Chittorgarh	42	24. Udaipur	41
10. Churu	29	25. Jaisalmer	Nil
11. Dungarpur	13	26. Kota	31
12. Jaipur	71		
13. Jalore	24	Total :—	630
14. Jhunjhunu	29		
15. Jhalawar	15		

गेहूं की फसल की क्षति

१०८. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि अलवर जिले में पिछली रबी की गेहूं की फसल में रोली लग जाने से पैदावार को काफी नुकसान हुआ है ?

(२) अलवर जिले में गेहूं की फसल को रोली से नुकसान का क्या अन्दाजा है ? क्या यह सही है कि किसी-किसी स्थान पर फसल का ३/४ भाग नष्ट हो गया है ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि अलवर जिले से मिले हुए हरियाणा व पंजाब प्रान्तों में गेहूं की बम्फर क्रॉप हुई है और वहां रोली की बीमारी की शिकायत नहीं है ?

(४) राजस्थान में आयन्दा गेहूं की फसल को रोली या अन्य बीमारी से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां। अलवर जिले में पिछली रबी की गेहूं की फसल में रोली लग जाने से पैदावार में नुकसान हुआ था।

(२) रोली से होने वाले नुकसान का अन्दाज आंका गया था इससे पता लगा कि देशी गेहूं में नुकसान अधिक हुआ तथा उन्नत जाति की फसल में मामूली नुकसान हुआ।

(३) इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(४) कृषकों को रोली निरोधक किस्में बोने के लिये समझाया जाता है। रोग के प्रकोप होने के पहले पौध-संरक्षण अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार से मान्यता एवं सहायता प्राप्त शालाओं के अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति

१०९. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा संचालित शालाओं के अध्यापकों को जो सरकार से मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त हैं, प्राइवेट रूप से परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही नहीं है।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

१११०. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर),

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कब-कब से विभागीय जांच आयोग के पास जांच चल रही है ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

(२) इन अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कब-कब आरोप-पत्र दिया गया और उनका उत्तर कब-कब प्राप्त हुआ है ?

(३) विभागीय जांच आयोग द्वारा किस-किस वर्ष में कितने-कितने मामले निपटाये गये और कितने-कितने शेष रहे ?

उत्तर

(१) वांछित सूचना तालिका "अ" में है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) वांछित सूचना तालिका "अ" में अंकित है।

(३) सूचना अंकित है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था

१११. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर के विस्तार के साथ यातायात सुविधा कितनी बढ़ी है ? गांधीनगर, आदर्शनगर व बनी पार्क में शीघ्र एवं सस्ती यातायात व्यवस्था के लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

(२) जयपुर नगर में चलने वाले टेम्पो एवं मोटर रिक्शाओं का भाड़ा किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

(३) जयपुर में दर्शनीय स्थानों, केवल आमेर को छोड़कर, तक पहुँचने के लिये जनता को क्या यातायात सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? तथा इस विषय में राज्य सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जयपुर शहर के विस्तार के साथ-साथ यातायात सुविधा भी समुचित बढ़ी है। गांधीनगर, आदर्शनगर व बनी पार्क में सी. टी. एस. की बसें चल रही हैं इसके अतिरिक्त टेम्पो और आटोरिक्शा के अनुमति-पत्र भी यथेष्ट मात्रा में दिये हुए हैं।

(यातायात मंत्री)

(२) जयपुर नगर में चलने वाले टेम्पो एवं मोटर रिक्शाओं का भाड़ा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया हुआ है। भाड़े की सूची संलग्न है।

(३) जयपुर में दर्शनीय स्थानों तक पहुँचने के लिये सी. टी. एस., टेम्पो, ओटोरिक्शा एवं कोन्ट्रेक्ट कैरिज (मोटर केब) द्वारा यातायात सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अन्य स्थानों के लिये जो इस समय सवारियां उपलब्ध हैं उनके अलावा खास इन्तजाम की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है परन्तु इस पर कोई खास सुझाव आया तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

(प्रश्न संख्या १११ की सूची)

प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जयपुर द्वारा

ओटोरिक्शा ३ सीट तक किराये तक की निर्धारित दरें

(१) मार्ग दर—४० (चालीस) पैसे प्रति १½ (डेढ़) किलोमीटर एवं तत्पश्चात् १० (दस) पैसे प्रति पांच सौ मीटर।

(२) प्रतीक्षा दर—१० पैसे प्रति आठ मिनिट किन्तु पांच रुपये प्रति २४ (चौबीस) घंटे अधिकतम।

(३) माल दर—१० (दस) पैसे प्रति नग किन्तु दस किलोग्राम भार मुक्त होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जयपुर द्वारा टैक्सी ७ सीट तक के लिये किराये को निर्धारित दरें

(१) मार्ग दर—५० (पचास) पैसे प्रथम किलोमीटर एवं तत्पश्चात् १० (दस) पैसे प्रति २५० (ढ़ाई सौ) मीटर।

(२) प्रतीक्षा दर—१० (दस) पैसे प्रति पांच मिनिट किन्तु दस रुपये प्रति २४ (चौबीस) घंटे अधिकतम।

(३) माल दर—१५ (पन्द्रह) पैसे प्रति नग किन्तु दस किलोग्राम भार-मुक्त होगा।

अराई कस्बे में बिजली

११२. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़ के कस्बा अराई में अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त कस्बे के काश्तकारान की तरफ से सिंचाई का के लिये बिजली लेने की मांग काफी समय से कर रखी है?

(३) यदि हां, तो उक्त कस्बे के व उसके आसपास के गांवों में काश्तकारान को कृषि कार्य हेतु कब तक बिजली सप्लाई कर देने की व्यवस्था कर दी जायेगी?

उत्तर

(मुख्य मंत्री)

(१) जी हां ।

(२) इस प्रकार की मांग करीब-करीब सभी स्थानों से प्राप्त होती रहती है ।

(३) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सीमावर्ती जिलों में खादी की संस्थाएं

११३. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिलों में खादी की दो संस्थायें खादी परिषद् और दूसरी खादी बोर्ड कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो किस सिद्धान्त पर ये संस्थायें अलग-अलग कार्य कर रही हैं ?

(२) खादी बोर्ड की, सीमा के जिले बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में आज तक कितनी राशि लगी है ? जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) खादी बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाने का प्रावधान है ?

(४) क्या यह सही है कि जैसलमेर व बाड़मेर का खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, जोधपुर में चलाया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में संलग्न सूची के अनुसार खादी की संस्थाएं व समितियां कार्य कर रही हैं ।

राजस्थान सीमा की ५० मील की पट्टी पर केवल खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ही सीधा काम किया जाता है । शेष क्षेत्रों में वहां की स्थानीय संस्थाएं व समितियां जो कि खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित हैं वे ही उत्पादन का काम करती हैं ।

(२) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सन् ६७-६८ तक खादी में निम्न प्रकार (ऋण) धनराशि दी गई है :—

वर्ष	बीकानेर	बाड़मेर	जैसलमेर
१	२	३	४
६०-६१ तक	६,८५,०००.००	—	—
६१-६२	६०,८३४.५०	९,६६७.५०	१,०८,८००.००

१	२	३	४
६२-६३	३,८७,८१२.५०	१,५१,६४०.००	३,३२,२५०.००
६३-६४	३,१४,४००.००	२२,६५७.५०	१,६६,५००.००
६४-६५	३,१५,१००.६०	६७,५००.००	६५,०००.००
६५-६६	१०,२२,६००.००	३,२५,५००.००	२,६० ०००.००
६६-६७	८,८४,३२५.००	३,१३,५००.००	४,६३,०००.००
६७-६८	११,६००.००	७८,०००.००	—

(३) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा १८ के अंतर्गत निश्चित कार्य किये जाने का प्रावधान है। बोर्ड साधारणतः धारा २७ के अंतर्गत ऋण व सहायता की धनराशि देता है जो आयोग के पेटर्न ऑफ असिस्टेन्स के अनुसार निर्धारित है।

(४) जैसलमेर व बाड़मेर के खादी ग्रामोद्योग के केन्द्र जोधपुर में नहीं चलाये जाते हैं।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

सीमावर्ती बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में खादी की संस्था समितियों की सूची

क्र० सं०	नाम समिति			
	बीकानेर जिला			
१	भीनासर खादी व ऊन कताई-बुनाई सह० समिति लि०,			गंगाशहर
२.	देशनोक	,,	,, ,,	देशनोक
३.	देसलसर	,,	,, ,,	देसलसर
४.	किशमीदेसर	,,	,, ,,	किशमीदेसर
५.	नापासर	,,	,, ,,	नापासर
६.	उदासर	,,	,, ,,	उदासर
७.	किल्चू	,,	,, ,,	किल्चू
८.	ऊन उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर			
	बाड़मेर जिला			
१.	ऊन अनुभाग, बाड़मेर			
२.	खादी ग्रोद्योगिक सहकारी समिति, बालोतरा			
	जैसलमेर जिला			
१.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोद्योग परिषद्, जैसलमेर			

अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड

११४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टौंक जिले के शिक्षा निरीक्षक ने शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड दिनांक १-१-६० को और दिनांक १-७-६० को दे दी जो ट्रेन्ड मैट्रिक थे? यदि हां, तो फिर पंचायत समितियों के अधीन ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों को क्यों नहीं दी गई?

(२) क्या यह सच है कि उप-निदेशक शिक्षा, बीकानेर ने पंचायत समितियों से ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों की लिस्टें १-६-५६ से पूर्व मांगी थीं, जो पंचायत समितियों ने भेज दी फिर भी आज तक कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है?

(३) क्या यह सच है कि वाजिब ग्रेड नहीं दिये जाने से पंचायत समिति के अध्यापकों को हर माह १५) रु० का नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों की भांति दिनांक १-१-६० से ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(दिनांक ९-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

पेन्ट एण्ड वार्निश फैक्टरी, अलवर

११५. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर में पेन्ट एण्ड वार्निश फैक्टरी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में इस प्रकार की फैक्टरियां कितनी हैं? क्या सरकार ने इस फैक्टरी की असफलता के कारणों को कभी जांच की है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे। यदि जांच नहीं की तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) सन् १९४५ में इस प्रकार की २४ छोटी-छोटी फैक्टरियां इस विभाग द्वारा रजिस्टर की गई हैं। असफलता के कारणों की जांच सरकार द्वारा नहीं की गई है। अलबत्ता प्राप्त जानकारी के अनुसार १९४७ की गड़बड़ तथा बाजार में मंदी के कारण इस फैक्टरी को काफी नुकसान हुआ जिससे फैक्टरी बंद हो गयी।

———

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ की सूची)

शाला का नाम	कक्षाओं में छात्र संख्या ६	७	८	योग
(१) रा० एस० डी० उच्च माध्यमिकशाला, ब्यावर	२६३	२५३	१४३	६८९
(२) राज० पटेल बहु० उच्च मा० शाला, ब्यावर	२००	१६३	१७७	५७०
(३) राज० जैन गुरुकुल उच्च मा० शाला, ब्यावर	८०	५४	३६	१८१
(४) मोहम्मद अली उच्च मा० शाला, ब्यावर	५३	६५	३६	१६६
(५) एस० डी० श्री उच्च प्राथमिक शाला, ब्यावर	१०५	८५	६२	२४९
(६) शान्ति जैन उच्च प्राथमिक शाला, ब्यावर	७४	६३	५६	१२६
(७) मिशन यंग उच्च प्रा० शाला, ब्यावर	८७	६१	४३	१६१
	८९२	८०४	५६२	२२०५

(२) ब्यावर के उच्चतर माध्यमिकशालाओं में छात्र निम्न प्रकार से शिक्षा पा रहे हैं :—

शाला का नाम	कक्षा में छात्र संख्या ६	७	८	९	१०	११	योग
(१) राज० एस० डी० रा० उ० माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर	२६३	२४३	१४३	२७१	२३७	१२६	१३२२
(२) राज० पटेल बहु० उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर	२००	१९६	१७७	२२६	२८१	२१४	१३९१
(३) राज० जैन० गुरुकल उ० माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर	८७	५५	३६	१२६	७५	८२	४६४
(४) मोहम्मदअली उच्च मा० विद्यालय, ब्यावर	५३	३५	३१	३७	३४	३६	२२६
	६३३	५२९	३९०	६६०	६२७	४५८	३४०३

(३) ब्यावर में माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के विषय में गुणावगुण के आधार पर अगले वर्ष विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ११५ की सूची)

वर्ष ६७-६८ में खोले गये औषधालयों की सूची

नाम जिला	खोले गये औषधालय स्थान
१. अजमेर	१ शिखरानी
२. अलवर	२ माचडी
	३ करनीकोट
	४ कीलपुर खेड़ी
३. चित्तौड़	५ धोलापानी
	६ जलोदिया
	७ हिण्डोली
	८ भीमगढ़
४. जयपुर	९ राजभवन
५. सीकर	१० दूदवा
	११ सांवलोदा पुरोहितान
	१२ दीनारपुरा
६. झालावाड़	१३ घाटोली
	१४ माचनिया
	१५ धकोनिया
	१६ उन्हेल
७. भीलवाड़ा	१७ बरूणी
	१८ छोटी बिजोलिया
	१९ घड़ोदा
	२० तिलस्वा
	२१ वलिन्दरी
८. उदयपुर	२२ गांधीवाड़ा
	२३ सुन्दरवास
	२४ टूकड़ा कलां
	२५ लवकड़वास
९. झुंझुनूं	२६ मोजासर
१०. भरतपुर	२७ सरमथुरा
११ गंगानगर	२८ मलसीसर

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ११८ की सूची)

परिशिष्ट (अ)

नागौर जिले में चर्म उद्योग सहकारी समितियों को ऋण मिला उनकी सूची

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	ऋण-राशि
१.	मंगयाना इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सो० लि०	५,०००)
२.	बड़ी खाटू रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	१२,५००)
३.	बढ़लो चर्म उत्पादक स० स० लि०	५,०००)
४.	कुचामन रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	१०,०००)
५.	छोटी खाटू चर्म उत्पादक स० स० लि०	५,०००)
६.	डेट्ट चर्म उत्पादक स० स० लि०	५,०००)
७.	डेगाना जंक्शन चर्म उत्पादक स० स० लि०	३,०००)
८.	मेड़ता सिटी रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	४,११२)५०
९.	चांदारूण चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,१३७)५०
१०.	रोहिणा रेंगरान चर्म उत्पादक स० स० लि०	३,०००)
११.	रेण रेंगरान चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,५७५)
१२.	फड़ोद रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	५,०००)
१३.	चैनार रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	१०,०००)
१४.	कुचामन मोचियान उत्पादक स० स०	५,०००)
१५.	कुचेरा पगरखी उत्पादक स० स० लि०	२,०००)
१६.	लजवाय रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	२,०००)
१७.	कुडुसू चर्म उत्पादक स० स०	७,०००)
१८.	कुचेरा रेंगरान चर्म उत्पादक स० स०	४,०००)
१९.	कुचामन शू मेकर्स स० स०	५,०००)
२०.	आकोली गंगा चर्म उत्पादक स० स०	४,०००)
२१.	पीह चर्म उत्पादक स० स० लि०	३,०६२)
२२.	नागौर चर्म उत्पादक स० स० लि०	५,०००)

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	ऋण राशि
२३.	रेण रामदेव चर्म उत्पादक स० स०	१,५७५)
२४.	खालड़की चर्म उत्पादक स० स०	१,३१२)५०
२५.	कोड़ चर्म उत्पादक स० स०	७,५००)
		२,९८७)५०
२६.	श्रोलावन चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,०५०)
२७.	बढ़ापलो चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,८५७)५०
२८.	लाडनूं गांधी चर्म उत्पादक स० स० लि०	७,५००)
२९.	लिनोद चर्म उत्पादक स० स० लि०	२,५००)
३०.	बोराबड़ गंगा चर्म उत्पादक स० स० लि०	८,३५०)
		२,९२५)
३१.	खोरवर चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,१३७)५०
३२.	खींवसर चर्म शोधक एवं चर्म कुर्मी उत्पादक स० स०	१,३१२)५०
३३.	चैगार चर्म-पादुका उत्पादक स० स० लि०	१,३१२)५०
३४.	मीठड़ी चर्म उत्पादक स० स० लि०	७,५००)
३५.	पाबा चर्म उत्पादक स० स० लि०	५,०००)
		१,९०,१०७)००

परिशिष्ट (ब)

परबतसर तहसील के चर्म उद्योग सहकारी समितियों को खादी बोर्ड से अनुदान

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	अनुदान राशि
१.	मुड्सू चर्म उत्पादक स० स० लि०	१,२००)
२.	गीधा चर्म उत्पादक स० स० लि०	२,०००)
३.	बीरावड़ गंगा चर्म उत्पादक स० स०	४,६५०)
		७,८५०)

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८	अन्तिम से ६	अल ा	अलग
६	,, २	पम्पि ा	पम्पिग
२७	,, २	सुन ई	सुनाई
४५	शीर्ष	(श्री रामचन्द आर्य)	(श्री दौलतराम सारण)
५६	अन्तिम से ३	ठता	उठता
८०	,, ५	वकशॉप	वर्कशॉप
६२	अन्तिम	बड़	बड़ा
६६	७	है	हैं
१०१	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री बरकतुल्लाखां)
१०५	अन्तिम से १४	ाय	राय
,,	,, २	अप ा	अपना
१०६	८	दृ०ि	दृष्टि
१०९	१८	स्थान	स्थगन
११३	१६	सकत	सकता
११४	अन्तिम से ८	ह इस्ट	हाइएस्ट
,,	अन्तिम	प्रश्रय	प्रशय
११५	अन्तिम से ६	अ स्ट	अरेस्ट
११६	५	आ मी	आदमी
,,	१६	इ लिये	इसलिये
११७	अन्तिम से ६	इंसडेट	इंसीडेन्ट
११८	१६	रा नैतिक	राजनैतिक
११६	३	रह	यह
,,	अन्तिम	अ गे	आगे
१२२	१३	समम	समय
१२३	अन्तिम से १२	श्री गोकुलप्साद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
१२५	शीर्ष	(श्री गोकुलप्रसाद श ा)	(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
१२६	२	सम ता	समभता
१२७	४	कम्पा न्डर्स	कम्पाउन्डर्स

१	२	३	४
१२७	१६	रहा	रही
१३३	अन्तिम से ६	व रा	वगैरा
१३४	४	ले कन	लेकिन
१४५	५	सकी	उसकी
,,	१६	इ	इस
,,	१७	एम्पलॉयमेट	एम्प्लॉयमेन्ट
१४६	७	स कार	सरकार
,,	१०	श्री सतीशचन्द्र अप्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१४७	अन्तिम से १२	उ ाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
,,	,, ३	टैक ।	टैक्स
१४८	१६	टैक शन	टैक्सेशन
१५१	१३	फि से	फिर से
,,	१६	आप त्त	आपत्ति
१५३	७	विच र	विचार
,,	१२	टैक	टैक्स
,,	१३	ठी	ठीक
,,	अन्तिम से ५	क	के
१५५	,, ३	दस ल	दरअसल
१५८	,, ८	हे	है
१५६	,, ७	परिष कोद	परिषद् को
१६०	,, ८	मनेरजन	मनोरंजन
१६३	२	प्रतिब ध	प्रतिबन्ध
१६५	४	सके	इसके
१६६	अन्तिम से ५	ग या	गया
१७०	१८	ख्य	मुख्य
,,	अन्तिम	ब त	बात
१७४	१३	स्व कार	स्वीकार

———